द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१

११ मार्च, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

380 LSD

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, ११ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खेसारी दाल

†*८३७ { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'खेसारी' नामक दाल के उपभोग के फलस्वरूप मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों के संबंध में जो रूजालाय तथा क्षेत्रीय अनुसन्धान किये गए हैं उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह अन्तिम रूप से सिद्ध हो गया है कि जिन लोगों ने यह दाल खाई थी उन्हें पक्षाघात हो गया था और उनके अंगों पर इस रोग का प्रभाव हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस दाल की काश्त तथा उपभोग का प्रतषेध करने के लिये क्या कार्यवाहीयां करने का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). खेसारी दाल के उपभोग और पक्षाघात होने के बीच क्या संबंध है, इस के अध्ययन के लिए हाल ही में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के तत्वधान में रूजालय तथा क्षेत्रीय अनुसन्धान का कार्य शुरू किया गया है और अन्तिम परिणाम प्राप्य होने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) (१) यदि प्रचार द्वारा सम्भव हुआ और यदि विधान द्वारा आवश्यक हुआ तो उन कार्यवाहियों से 'खेसारी' दाल की खेती को निरुत्साहित करने और (२) १९५४, के

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कुछ राज्यों में 'खेसारी दाल' की बिक्री बंद करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में लगधग एक तिहाई जनता खेसारी दाल खाती है और, यदि हां, तो क्या वहां किसी गवेषणो केन्द्र में कोई प्रयोग किया गया था और क्या जिन व्यक्तियों को पक्षाघात हुआ है उनकी प्रतिशत जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री करमरकर :** खेसारी दाल के उपभोग के परिणाम मालूम करने के लिए क्षेत्रीय अनुसन्धान किये गए हैं। ये अनुसन्धान कार्य बिहार के दरभंगा, मुंगेर तथा पटना ज़िलों में किये गए थे। यह देखा गया था कि जिन व्यक्तियों की खुराक ५० प्रतिशत से अधिक खेसारी दाल है और जिन की खुराक में विटामिन ए की बहुत ही कम मात्रा रहती है वे इस रोग से पीड़ित होते हैं, अर्थात, उनके शरीर के निचले अंगों में गृहीतांग पक्षाघात की स्थिति प्रकट होती है। यह उपधारणा की गई है थी कि खेसारी दाल को काफ़ी समय तक तथा काफ़ी मात्रा में खाने से रोग के लिए पूर्ववृत्ति उत्पन्न होती है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार खेसारी दाल की काश्त को निरुत्साहित करने पर विचार कर रही है और आज भी उन्होंने कहा है कि यह बात विचाराधीन है। क्या सरकार को मालूम है कि यह दाल पशुओं के लिए एक प्रमुख चारे के रूप में काम आती है और यदि हां, तो क्या वे इस के स्थान में कोई अन्य पदार्थ ढूंढेंगे ?

†**श्री करमरकर :** यद्यपि यह प्रश्न बड़ा सरल दिखाई देता है तथापि यह कुछ जटिल प्रश्न है। सर्वप्रथम तो, जैसा कि मुझे मालूम है, यह एक ऐसा खाद्य है जिसे चूहे आसानी से खाते हैं। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यदि कम मात्रा में इसे खाया जाया तो भी इसका प्रभाव हानिकारक होगा। परन्तु यह सिद्ध हुआ है कि यदि वे इसका उपभोग अपनी खुराक के एक प्रमुख भाग के रूप में करें तो इसके परिणामस्वरूप अवश्य यह रोग होता है। तीसरे, यह भी सच है कि इसका उपयोग चारे के रूप में भी होता है। चौथे, यह भी सच है कि इस खाद्य के हानिकर स्वरूप को देखते हुए सरकार अस्थायी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्वैच्छिक उपायों द्वारा इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिये। प्रश्न के ये चार पहलू हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : ईस्ट्रन यू० पी० में और करीब करीब आधे बिहार में इसी दाल का उपयोग होता है और हजारों साल से लोग इस दाल को खा रहे हैं, लेकिन कभी इस प्रकार की बीमारी वहां पर नहीं हुई। मैं अपने गांव का केस बताऊं कि करीब १०० मन खेसारी की दाल हमारे गांव में होती है, लेकिन आज तक एक केस भी पैरेलेसिज़ का नहीं हुआ है ।

श्री करमरकर : यह एक स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है । शायद माननीय सदस्य के गांव के लोग बहुत ही ीक हैं, जिससे उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन आम तौर से यह बात सिद्ध हुई है कि इस दाल का ज्यादा कनज़म्पशन करने से, ज्यादा परिमाण में इस को खाने से बीमारी आ जाती है। जब स्पेन में इसी दाल का उपभोग किया जाता था वार-टाइम में, उस वक्त यही बीमारी वहां पैदा हो गई थी।

इसलिये यह वांछनीय प्रतीत होता है कि.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य हिन्दी में बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री करमरकर** : संबंधित विशिट क्षेत्र के लिए यह बात अत्यन्त रुचिकर है। क्योंकि यह बात किसी संदेह से परे सिद्ध हो गई प्रतीत होती है कि दैनिक खुराक में इस दाल का आवश्यकता से अधिक उपभोग हानिकारक है, कम मात्रा में उपभोग हानिकर नहीं समझा जाता है, इसलिये लोगों को यह बताने के लिये प्रचार की आवश्यकता है कि यदि वे चाहें तो वे इस दाल की थोड़ी मात्रा ले सकते हैं परन्तु उन्हें इसे अपनी खुराक का प्रमुख अंग नहीं बनाना चाहिये। यह वर्तमान स्थिति है। जिस विशिष्ट गांव की चर्चा की गई है उस के संबंध में मेरा विचार है कि मुझे स्वयं उस गांव में जाना चाहिये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं आपका वहां स्वागत करता हूं।

बड़ी सिंचाई योजनायें

+

†*८३८. { **श्रीसुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल तथा बिहार राज्यों में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन बड़ी सिंचाई योजनाओं से ५० प्रतिशत संभाव्य लाभों का उपयोग नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन राज्यों में इन परिस्थितियों के लिये अधिकांशत: उत्तर-दायी कारणों की सरकार ने जांच की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९५७ की खरीफ़ ऋतु के दौरान पश्चिमी बंगाल के मामले में प्रमुख सिंचाई योजनाओं के अधीन प्राप्य सिंचाई संबंधी लाभों के संबंध में सिंच्य क्षेत्र के लागभग ४ प्रतिशत भाग में ही इन लाभों का उप-भोग नहीं किया गया था ?

बिहार के मामले में प्रथम योजना अवधि में बड़ी सिंचाई योजनाओं के संबंध में सिंचाई संबंधी किसी संभाव्य संसादन की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या यह सच है कि बंगाल तथा बिहार के अतिरिक्त तुंगभद्रा क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के संभाव्य की व्यवस्था की गई थी परन्तु उस योजना के अधीन अब तक केवल लगभग १०,००० एकड़ जितनी कम भूमि की सिंचाई की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हो सकता है कुछ सीमा तक यह बात सत्य हो और कारण भी वही हों परन्तु यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है। यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन राय** : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में इस जल का मूल्य बहुत अधिक होने से, उदाहरणार्थ १० रुपये प्रति एकड़ होने से किसान इस जल से लाभ उठाने से इनकार कर रहे हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक जल दरों का अभी तक संबंध है पानी मुफ्त दिया जाता है। किसी दर का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्री बीरेन राय** : पहले तो ऐसा था। प्रश्न यह है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि योजना के पूरा होने के तीन वर्ष बाद भी प्रत्याय के रूप में मूलधन की ३ प्रतिशत राशि मांगी गई है और यदि हां, तो क्या वह रकम प्राप्य हो रही है?

†**श्री स० का० पाटिल** : जब तक पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं होते तब तक यह सब एक पुस्त-प्रविष्टि ही है। यह भारत सरकार से एक ऋण है। इन सरकारों पर कोई विशिष्ट दबाव नहीं है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति

†*८४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की जल संबंधी परिवहन आवश्यकतायें मालूम करने के लिये जो अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति स्थापित की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) समिति ने एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२६]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बिहार में यह यातायात सर्वेक्षण कब शुरू किया जायेगा और पूरा होगा और क्या वहां कोई प्रयत्न किया भी गया है?

†**श्री हुमायूं कबीर** : एक उपयुक्त निवृत्त रेलवे अधिकारी को ढूंढने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसके मिलते ही यह सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में लगभग छः मदें दी गई हैं । क्या इन सभी छः मदों को कार्यान्वित किया जा चुका है या कुछ को किया गया है और यदि हां, तो कार्यान्वित के क्रम में पूर्ववर्तिता का स्वरूप क्या है?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह एक प्रकार का बहुगर्भित प्रश्न है और मैं संक्षेप में इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। विवरण में वर्णित कुछ मामलों का इस मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। उदाहरणार्थ कुछ यातायात का वहन रेल द्वारा हो रहा है। यह तथ्य

---

†मूल अंग्रेजी में

का एक विवरण है। कुछ मामलों में समिति ने यह सिफारिश की है कि उनका वहन रेल द्वारा होना चाहिये। यह भी एक ऐसी सिफारिश है जिसका इस मंत्रालय पर कोई प्रभाव नहीं होता है। परन्तु दो मुख्य सिफ़ारिशें ये हैं कि स्टीमर सेवायें बनाई रखी जायें और इस संबंध में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरी सिफ़ारिश नदी व्यवस्था के संरक्षण से संबंधित है जिसके लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस सभी कार्य के लिए कोई रकम पृथक रखी गई है?

†**श्री हुमायूं कबीर** : निःसन्देह इसके लिए कुछ रकम पृथक रखी गई है।

†**श्री हेम बरुग्रा** : विवरण से यह पता चलता है कि यदि आवश्यक हुआ तो एक गैर सरकारी अभिकरण के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड को, कलकत्ता-बिहार, बिहार-आसाम तथा आसाम-कलकत्ता के बीच त्रिपार्श्वीय सेवा बनाये रखनी है। इस गैर सरकारी अभिकरण तथा ज्वाइंट स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के बीच क्या संबंध है?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मेरे विचार में माननीय सदस्य कुछ दुर्भम में हैं। गंगा ब्रह्मपुर जल परिवहन बोर्ड इस प्रकार की सेवाओं का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है। वे केवल प्रविधिक मंत्रणा ही दे सकते हैं और सम्भवतः कुछ मामलों में यह सिफ़ारिश कर सकते हैं कि किसी ग़ैर सरकारी अभिकरण को वित्तीय सहायता दी जाय जो यह कार्य पूरा करें। समिति की यह सिफ़ारिश थी कि बोर्ड, सेवाओं का कार्य करता रहे। परन्तु यह स्पष्ट है कि समिति ने बोर्ड के गठन पर विचार नहीं किया था और इसलिये वह सिफ़ारिश मान्य नहीं है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*८४२. { + **श्री मोहम्मद इलियास** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वें० प० नायर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में या इसके लगभग हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए जर्मनी में एक पुरानी क्रेन का आर्डर दिया गया था और इस संबंध में कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया था ; और

(ख) क्या शिपयार्ड के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा क्रेन को प्रमाणित करने से इनकार करने पर भी क्रय मूल्य दे दिया गया था?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। टेण्डर आमंत्रित करने के बाद क्रेन हॉलैण्ड से खरीदी गई थी।

(ख) जी, नहीं। इंजीनियरिंग भाग द्वारा क्रेन को स्वीकार करने के बाद ही मूल्य दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इलियास** : जिस क्रेन को खरीदा गया है उसका वास्तविक मूल्य क्या है और इसी प्रकार की नई क्रेन का मूल्य क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह एक नई क्रेन है और स्वयं क्रेन का मूल्य ८.५० लाख रुपये था।

†**श्री तिरुमल राव** : जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या यह सच है कि यह क्रेन खराब हो गई थी या इस क्रेन में कुछ खराबी है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसे लगाने में कुछ कठिनाई थी और एक चरण पर कुछ खराबी भी उत्पन्न हुई थी। परन्तु क्रेन लगाने वालों ने स्वयं अपने खर्च पर इसे ठीक कर दिया था ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : जिन्होंने यह क्रेन दी है क्या उन से किसी रकम का दावा भी किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : दावा करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जब एक खराबी देखी गई थी—पथ की पटारियों में एक त्रुटि थी—तब इसके काम न करने पर इसे ठीक कर दिया गया था। 'बियरिंगस' में कुछ त्रुटि थी और उसे ठीक कर दिया गया था। दावे का कोई प्रश्न नहीं है ?

†**श्री कमलनयन बजाज** : समय की जो हानि हुई है क्या उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रकार के कामों में या अधिष्ठापनाओं ऐसी प्रारम्भिक कठिनाइयां अप्रत्याशित नहीं होती हैं।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

†*८४४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५८–५९ में पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों में बिजली की रोशनी की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी, हां। १९५८–५९ में बिजली लगाये जाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के ३० स्टेशनों के संबंध में कार्यक्रम बनाया गया है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : नलकूप चलाने के लिए जिस बिजली की व्यवस्था है, विशेष रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या उस से काम लेने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का संबंध रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाने से है। क्या रेलवे स्टेशनों में नलकूप भी होते हैं ? क्या यह रेलवे के प्रयोजन के लिये है ?

†**श्री विश्वनाथ राय** : नलकूपों के लिये वह बिजली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या रेलवे प्रयोजनों के लिये नलकूप हैं ?

†**श्री त्यागी** : यात्री पानी पीते हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक और बात है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हम केवल उन्हीं स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं जहां स्वयं नगर में बिजली घर हैं। नलकूप की बिजली से रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाना संभव नहीं है। यदि मीटर का उचित प्रबन्ध न हो तो रेलवे से किस प्रकार खर्च लिया जा सकता है और विद्युत सम्भरण के लिए हम खर्च कैसे अदा कर सकते हैं ?

†**श्री विश्वनाथ राय** : इन्हीं नलकूपों की बिजली से गावों में बिजली की व्यवस्था करने की एक योजना है।

†**श्री जगजीवन राम** : इस स्थिति में जहां कहीं भी बिजली की व्यवस्था मौजूद है और मीटर प्रबन्ध के लिए उचित व्यवस्था है वहां स्टेशनों पर बिजली का प्रबन्ध किया जायेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : बिहार के सरण ज़िलों में मीरगंज से चपरा और सोनेपुर तक बिजली प्राप्य है। क्या रेलवे मंत्री स्टेशनों को उस बिजली से सम्बद्ध करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कल ही मैंने यह सुझाव दिया था जिन माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग नहीं लिया था वे सुझाव भेज सकते हैं। यह एक सुझाव होना चाहिये। इस देश में हजारों रेलवे स्टेशन हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह रेलवे स्टेशनों में बिजली की व्यवस्था करेंगे.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सहमत हूं। यहां प्रत्येक माननीय सदस्य कई उदाहरण दे सकता है कि कहां बिजली प्राप्य है और स्टेशन उस से सम्बद्ध नहीं है।

'टेल्को' में बने इंजन

\+

†*८४५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सें० वें० रामस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–१९५९ में टेल्को से रेलवे को जिन इंजनों का संभरण किया जायेगा क्या उनकी कीमत तय हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इंजन की कीमत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं। उस फर्म से इस मामले में बातचीत अभी चल रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार को टेल्को द्वारा निर्धारित नये मूल्य के प्रस्ताव मिल गये हैं और क्या यह नया मूल्य आयात किये जाने वाले इंजनों की तुलना में ठीक बैठता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में हम एक दिन चर्चा कर चुके हैं।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : नये मूल्य १ अप्रैल, १९५८ से लागू होने हैं। उन्होंने जो कीमत निर्धारित की है वह ४,१९,००० रुपये है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : २८-८-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो विवरण दिया था उसमें मैंने देखा है कि ८५ वांई-जी जापानी इंजन वास्तव में ३,०१,००० रुपये में खरीदे जाने वाले थे। लेकिन, उसके बाद भी वह जो कीमत बता रहे हैं वह जापानी इंजन की कीमत से अधिक प्रतीत होती है। ऐसा क्यों है?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हमने इधर कुछ वर्षों में इंजनों के आयात के लिये आर्डर नहीं दिये हैं। कुछ समय पहले आदेश दिये गये थे। लेकिन यह प्रश्न उठाया गया और उसका उत्तर दे दिया गया था। अगली मूल्य अवधि के लिये टेल्को ने अपनी कीमतें बतायी हैं। बातचीत चल रही है और उपमंत्री महोदय ने जो मूल्य बताया है वह उससे काफी नीचे आ गये हैं। अब भी बातचीत जारी है। मेरे ख्याल से यह बताना लोक-हित में नहीं है कि यह बातचीत अब किस अवस्था में है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या टेल्को का वर्तमान मूल्य विदेशी इंजनों और चित्तरंजन में बने इंजनों की तुलना में उचित बैठता है?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा मैं बता चुका हूं, हाल के दो तीन वर्षों में हमने इंजनों का आयात नहीं किया है। इसलिये ऐसे विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं जिनसे इन मूल्यों की तुलना की जा सके।

†**श्री स० म० बनर्जी** : हमने आयात किया था।

†**श्री जगजीवन राम** : हमने कुछ वर्ष पहले आर्डर दिये थे। जहां तक चित्तरंजन में बने इंजनों से तुलना का प्रश्न है, मैं तब तक इनकी तुलना नहीं करूंगा जब तक कि हमारी वार्त्ता पूरी नहीं हो जाती।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या जापान से आयात किये गये और टेल्को से खरीदे जाने वाले सभी इंजन एक से ही नमूने और शक्ति के होते हैं?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा मैंने बताया, पिछले दो तीन वर्षों में हमने आयात के आदेश नहीं दिये हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने टेल्को में बने इन इंजनों की वास्तविक लागत निर्धारित करने में प्रशुल्क आयोग से परामर्श किया या उनकी राय ली है?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** वास्तव में, वर्त्तमान मूल्य-अवधि के लिये प्रशुल्क आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर ही वर्त्तमान मूल्य-अवधि के लिये मूल्य निर्धारित किये गये थे। यह ठीक है कि अगली मूल्य अवधि के लिये प्रशुल्क आयोग से पूछने का कोई इरादा नहीं है। रेलवे बोर्ड और टेल्को के बीच वार्त्ता जारी है और आशा है कि कुछ समझौता हो जायेगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या उस जर्मन कम्पनियों के समूह ने, जो टेल्को के साथ सहयोग कर रहा है, मूलरूप से भारतीय रेलवे को इन इंजनों का संभरण किया था, और यदि हां, तो किस मूल्य पर, और टेल्को द्वारा बताई गयी कीमत की तुलना में वह मूल्य कैसा बैठता है? क्या इसमें बहुत अन्तर है?

†**श्री जगजीवन राम :** यदि हम इस समय विश्व के बाजार की ओर देखें और इंजनों या कुछ वर्ष पहले संभरण की गयी किसी भी वस्तु के मूल्य पर विचार करें तो मौजूदा मूल्य स्वाभाविक रूप से ही अधिक प्रतीत होंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या वार्त्ता में विलम्ब होने का कोई कारण है, जैसे लागत के बारे में सरकार और टेल्को में मतभेद हो? क्या इस मामले में विलम्ब होने का यही कारण है? क्या सरकार ने कुछ कीमत बतायी है?

†**श्री जगजीवन राम :** वार्त्ता का मतलब है कि वह कुछ बताते हैं, हम कुछ सुझाव देते हैं, तब वह कुछ और बताते हैं—इसी का मतलब वार्त्ता है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** यदि वह उनके साथ समझौता नहीं कर पा रही हो तो क्या सरकार ने टेल्को का राष्ट्रीयकरण कर लेने का विचार किया है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब तर्क हैं।

†**श्री जगजीवन राम :** मालूम नहीं कि यह बात कैसे निकली कि यदि वह समझौता नहीं करते तो उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये।

†**श्री तंगमणि :** उपमंत्री महोदय ने बताया कि टेल्को ने ४,१९,००० रुपये कीमत बतायी है। क्या ब्रिटेन और कनाडा ने भी १९५८–५९ के लिये यही कीमत बतायी है?

†**श्री जगजीवन राम :** हमें ब्रिटेन और कनाडा से कोई टेंडर नहीं मिले हैं। इसलिये तुलना करने के लिये हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान "फैक्ट्स एबाउड टेल्को" नाम के उनके पैम्फलेट की ओर आकृष्ट हुआ है और क्या उसमें दिये तथ्य सही हैं, और यदि सही नहीं हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्री जगजीवन राम :** इस प्रश्न से यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** कुछ सदस्यों ने सभा में जो बातें कही थीं प्रबन्धकों ने अब उनका प्रतिवाद किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हम टेल्को के प्रशासन-प्रतिवेदन पर विचार करेंगे । माननीय सदस्य को मंत्री महोदय से यह सुनने की राह नहीं देखनी चाहिये कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सिर्फ इसलिये कि इसमें रेलवे का उल्लेख है, क्या यह सब रेलों पर लागू हो जायेगा ? अगला प्रश्न ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : श्रीमन्—एक प्रश्न और ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ ।

पोत निर्माण उद्योग

†८४८. **श्री विमल घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ने हाल ही में यह कहा है कि यदि गैर सरकारी क्षेत्र न पोत निर्माण यार्डों की स्थापना के लिये कुछ अनुरोध किये तो उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ; और

(ख) क्या इसमें पोत-निर्माण उद्योग संबंधी औद्योगिक नीति-संकल्प पर पुनर्विचार करने की बात निहित है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । गैर सरकारी क्षेत्र से जो भी अनुरोध प्राप्त होंगे उन पर गैर-सरकारी उपक्रम का सहयोग प्राप्त करन के बारे में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में निर्दिष्ट मापदण्ड के आधार अर्थात् इस बात के आधार पर विचार करना पड़ेगा कि सरकार को इस बात का विश्वास हो जाये कि गैर-सरकारी उपक्रम का इसमें भाग लेना राष्ट्र के हित में होगा और सरकार को निश्चित रूप से इस बात के पूरे अधिकार मिल जायेंगे कि वह उस उपक्रम की नीति का मार्ग-दर्शन और उसके कार्यों का संचालन कर सके ।

†**श्री विमल घोष** : क्या यह सच नहीं है कि औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प म यह परिकल्पना की गयी है कि यदि इस संबंध में पहल होगी तो वह गर-सरकारी क्षत्र को नहीं वरन् सरकारी क्षत्र को करनी होगी और यदि सरकार समझे तो गैर-सरकारी हितों का सहयोग प्राप्त कर सकती है, लेकिन पहल गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं कर सकता ।

†**श्री राज बहादुर** : मेरे ख्याल से यह चीज दो बातों के अधीन है । यदि पहले से ही कोई उद्योग मौजूद हो तो उसका उस सीमा तक विस्तार हो सकता है और उसे वह पोत-निर्माण यार्ड में बदल सकते हैं । दूसरी बात यह है, कि सरकार इस शर्त के अधीन रहते हुये, कि नियंत्रण और नीति संबंधी मार्ग-दर्शन अधिकार सरकार के ही अधिकार में रहेगा, वह गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उसमें योगदान करने की संभावनाओं और वांछनीयता का पता लगा सकती है ।

†**श्री विमल घोष** : श्रीमन्, क्या आपकी अनुमति से मैं वह बात पढ़ कर सुना दूं जो योजना आयोग के प्रतिवेदन में इस संबंध में कही गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी समझ में नहीं आता कि झगड़ा क्या है । यह औद्योगिक नीति का प्रश्न है । दुर्भाग्यवश सदस्यगण, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हों, इस प्रश्न काल का उपयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

नीति संबंधी वक्तव्य सुनने के लिये करते हैं। उन्हें केवल तथ्यों के बारे में प्रश्न पूछने चाहियें। जहां तक नीति संबंधी वक्तव्यों का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को सामान्य चर्चा के लिये अवसर दे दूंगा।

†**श्री विमल घोष** : मैं आधे घंटे की चर्चा उठाऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वह आयेगा तो मैं उसे देख लूंगा।

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) उठे—

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्री महोदय तो उत्तर देने को तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह अप्रासंगिक हो तो उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

†**श्री कासलीवाल** : औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प से संलग्न सूची श्रेणी 'क' में कहा गया है कि पोत-निर्माण का कार्य एकमात्र सरकारी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अधीन रहेगा। क्या इसके बाद किसी गैर-सरकरी पक्ष ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वहपोत-निर्माण का यह प्रश्न अपने हाथ में लेने वाले हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : किसी गैर-सरकारी पक्ष ने अब तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं किया है। लेकिन मुझे यह पता चला है कि वह इसके बारे में सोच रहे हैं। इस दूसरे पोत-निर्माण यार्ड की स्थापना में काफी समय लगेगा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं श्री विमल घोष द्वारा उठायी गयी बात को स्पष्ट कर दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जैसा कहा गया है, पहल गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं वरन् सरकार को करनी है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई पहल की जायगी तो वह हमारी, सरकार की ओर से की जायगी। यदि कोई गैर-सरकारी पक्ष इसमें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें तो निश्चय ही वे आ सकते हैं क्योंकि जहां तक वित्त का संबंध है, उसकी हमारे पास काफी कमी है और यदि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र से रुपया मिल सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन निश्चय ही उस पर हमारा पूरा नियंत्रण रहेगा। इसी बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता था।

श्री रघुनाथ सिंह : अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे कि वह अपने रुपये से कोई शिप यार्ड बिल्डिंग यार्ड बनाये, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी के रेजोल्यूशन के हिसाब से शिप बिल्डिंग यार्ड्स को पब्लिक सैक्टर में ही रहना है, इसलिये हम उसे प्राइवेट सैक्टर में नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर प्राइवेट सैक्टर रुपये से कुछ हमारी मदद कर के हमारे साथ शामिल होना चाहे तो हम पूरे कंट्रोल के साथ उसमें उन्हें शामिल करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुये कि जापान, यू० के०, इटली और वेस्टर्न जर्मनी में जो शिप विल्डिंग है वह प्राइवेट सैक्टर में ही हैं, मैं इस का कारण जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जो पालिसी अपना रहा है उसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है अगर प्राइवेट सैक्टर का कोई आदमी उसको स्टार्ट करे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं नहीं । इसे तो पहले ही स्वीकार किया जा चुका है । वह यहां नीति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं ।

†**श्री कासलीवाल :** मंत्री महोदय ने कहा है कि यद्यपि इस संबंध में पहल करना सरकारी क्षेत्र पर निर्भर होगा, फिर भी वह गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के लिये तैयार होंगे। यह सहयोग किस प्रकार का होगा और किन शर्तों के अधीन मांगा या स्वीकार किया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** यदि गैर-सरकारी क्षेत्र कुल धन का ३० या ४० प्रतिशत तक अंश-दान करना चाहेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन हम अपने पास ५१ प्रतिशत से कम अंश नहीं रखेंगे ताकि अधिकांश अंश हमारे पास ही बने रहें ।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

†*८५०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा-नंगल परियोजना के लिये १९५८–५९ संबंधी आवंटन के १४.५ करोड़ से कम करके १२ करोड़ रुपये कर दिये जाने का उस परियोजना की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** १९५८–५९ की वार्षिक योजना में भाखड़ा-नंगल परियोजना के लिये वहां के कार्य की गति और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के संसाधनों का ध्यान रखते हुये १५ करोड़ रुपयों का उपबंध किया गया है। परियोजना के कार्य में किसी प्रकार की कमी होने का भय नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी मूल मांग में कोई कटौती की गयी है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मुझे किसी कटौती का पता नहीं है । जहां तक नुकसान पहुंचने संबंधी सामान्य नीति का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी ।

रेलवे की भोजन-व्यवस्था

+

†*८५१. **श्री वें० प० नायर :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भोजन-व्यवस्था विभाग के कार्य-कलाप में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का ऊंचा स्तर कायम रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२७]**

†**श्री वें० प० नायर :** इस विवरण से मुझे उस व्यवस्था का अन्दाज नहीं हो सका है जो रेलवे द्वारा दिये जाने वाले भोजन की जांच के लिये की गयी है। रेलवे के अधीन कितने भोजन निरीक्षक या सफाई निरीक्षक काम करते हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : भोजन व्यवस्था विभाग के लिये ?

†**श्री वें० प० नायर** : जी हां परीक्षा के लिये। उन्होंने कुछ शर्त्तें निर्धारित कर रखी हैं. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, वह प्रश्न पूछ चुके हैं।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भोजन के नमूने ले लिये जाते हैं और यह देखने के लिये उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाता है कि उनमें मिलावट तो नहीं की गयी है। मिलावट पायी जाने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि भोजन-व्यवस्था विभाग के कार्य-कलाप की जांच करने के लिये कितने निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को नियुक्त किया गया।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता—मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या रेलवे की अपनी भोजन की जांच करने की प्रयोगशालायें हैं, और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं यों ही प्रयोगशालाओं की ठीक संख्या नहीं बता सकता। लेकिन हमारे पास इसका इंतजाम है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इससे मैं यह समझूं कि भोजन की जांच रेलवे द्वारा स्वयं की जाती है या राज्य सरकारों या उनके विभागों के सहयोग से की जाती है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : राज्य सरकारों के सफाई-निरीक्षकों को इस बात का पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे रेलवे क्षेत्र का दौरा करें, और नमूने लें और यदि चाहें तो उनकी रासायनिक जांच भी कर लें।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में हमने देखा है कि इसे ५ सदस्यों की एक भोजन-व्यवस्था देख-रेख समिति है जिसमें अधिकांशतः स्त्रियां ही हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक जोन के लिये पृथक समिति है या सम्पूर्ण भारत के लिये एक ही समिति है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : विचार तो प्रत्येक जोन के लिये पृथक समिति रखने का है।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण देखने से पता चलता है कि भोजन-व्यवस्था देख-रेख समिति में ३ से ५ तक सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश महिलायें हैं. .

†**अध्यक्ष महोदय** : महिलाओं से क्या शिकायत है ?

श्री हेम बरुआ : यही तो उन्होंने कहा है। उन्होंने महिलाओं पर विशेष जोर दिया है। निरीक्षण का कार्य कितनी कितनी अवधि के बाद किया जाता है और क्या सदस्यों को भोजन की जांच करने का अधिकार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं ? इससे हमें क्या लाभ होता है ? क्या कोई सफाई निरीक्षक किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा प्याले चाय पी सकता है ? पता नहीं ऐसे प्रश्नों और उत्तरों से हमें कोई लाभ होता भी है या नहीं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : यह बीमारी फैलाने के केन्द्र होते हैं। हमें इसकी बड़ी चिन्ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मैं मानता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या रेल गाड़ियों में रेलवे भोजन-व्यवस्था सेवा द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की जांच करने के लिये रेलों में कुछ कर्मचारी चलते हैं? इस प्रकार का निरीक्षण कितनी कितनी अवधि के बाद किया जाता है?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऐसे समर्थ रेल अफसर और निरीक्षक हैं इस प्रकार की जांच करना जिनका काम ही है।

†**श्री वें० प० नायर** : लेकिन वह भोजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। विशिष्ट अलग अलग मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये।

बिजली की रेलें

†*८५२. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर मनमाड से भुसावल वाले मार्ग पर बिजली से रेलें चलाने का कार्य कब आरम्भ होने वाला है ; और

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये किन स्रोतों से बिजली का उपयोग किया जायेगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सर्वेक्षण और सिविल इंजीनियरिंग का कार्य १९५८–५९ में शुरू किया जायेगा।

(ख) इस सैक्शन के लिये विद्युत शक्ति कल्याण के रेलवे के बिजली घर से और भुसावल में बनने वाले बम्बई राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली घर से मिलेगी।

†**श्री जाधव** : इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर हुई है?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस राशि को ठीक-ठीक बताने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बजट में तो होगी ही।

†**श्री शाहनवाज खां** : वह उसे देख सकते हैं।

†**श्री कमलनयन बजाज** : जो कार्य हाथ में लिया गया है उसे पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे और चलती गाड़ी के लिये प्रत्येक मील पर कितनी बचत होगी और इससे कितना वक्त बचने की संभावना है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बहुत सारे प्रश्न हो गये। माननीय सदस्य कृपया एक ही प्रश्न पूछें।

†**श्री कमलनयन बजाज** : इसके पूरे होने में कितने वर्ष लगने की संभावना है?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसमें कम से कम तीन-चार वर्ष लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ान प्रशिक्षक (फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स)

†*८५३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली में उड़ान प्रशिक्षकों (फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स) की कमी के कारण चालकों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) तथा (ख). असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, में उड़ान प्रशिक्षकों (फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स) की अस्थायी रूप से कुछ कमी हो गई, है, लेकिन इससे चालकों के उचित प्रशिक्षण में कोई बाधा नहीं आयी है कनिष्ट उड़ान प्रशिक्षकों के पद को भरने के लिये हाल ही में आवश्यक कार्यवाही की गयी है । इसके अतिरिक्त असैनिक विमान चालकों की प्रशिक्षण सुविधाओं का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति की इस सिफारिश पर भी सरकार विचार कर रही है कि उड़ान प्रशिक्षकों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाये ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितने प्रशिक्षक और रखे जायेंगे ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जैसा कि मैंने कहा है, इस विषय पर विचार किया जा रहा है, परन्तु समिति ने एक और उड़ान प्रशिक्षक रखे जाने की सिफारिश की है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के जनरल मैनेजर के पद पर एक बहुत योग्य आई० ए० एस० पदाधिकारी की नियुक्ति की है । क्या यह पदाधिकारी, असैनिक उड्डयन के निदेशक के साथ विचार-विमर्श करके, चालकों और उड़ान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में कोई योजना बना रहा है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : कुछ दिन पहले ही मैंने उस समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा था जिसने असैनिक विमान चालकों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर विचार किया है ।

†**श्री बीरेन राय** : क्या यह सच है कि आज हमारे पास समूचे भारत में केवल तीस अनुज्ञापित चालक प्रशिक्षक हैं और फ्लाइंग क्लबों से भी "बी" लाइसेंस प्राप्त विद्यार्थियों को असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में चालक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण के लिये भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में तीन प्रकार के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है : आरम्भ से शुरू करने वाले व्यक्ति , सौ घंटे उड़ान कर चुकने वाले व्यक्ति और वे जिनके पास "बी" लाइसेंस है। इस तीसरे वर्ग को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि "बी" लाइसेंस वाले बहुत से व्यक्तियों को डकोटा के लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। हम ने हाल ही में इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि क्या कुछ और प्रशिक्षकों को यदि आवश्यक हो तो विदेशों में प्रशिक्षित किया जाये ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या असैनिक उड्डयन के निदेशक ग्लाइडिंग क्लबों से बनने वाले योग्य चालकों के लिये ग्लाइडिंग क्लबों पर तीक्ष्ण दृष्टि रख रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबीर** : ग्लाइडिंग क्लबों को हर सम्भव प्रोत्साहन देने पर हम विचार कर रहे हैं परन्तु यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री बीरेन राय** : जैसा उन्होंने स्वीकार किया है, यदि अब कोई कमी है,—मैं नहीं समझता, उन्होंने यह नहीं बतलाया कि आज भारत में अनुज्ञापित चालक प्रशिक्षकों की संख्या ३० है—क्या आप फ्लाइंग क्लबों में प्रशिक्षत "बी" चालकों को असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में लेंगे जिससे उनको क्लबों में सहायक चालक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सके ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं माननोय सदस्य का ध्यान समिति की नयी सिफारिशों की ओर दिलाता हूं जिन को अभी सभा के पुस्तकालय में रखा गया है । उसमें उन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीका सुझाया है । मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि इस समय असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में केवल एक कनिष्ट उड़ान अनुदेशक की कमी है और २० फरवरी को हमने एक नये व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति दे दी है । व्यक्ति चुन लिया गया है और यदि कोई कमी हुई तो वह अप्रैल के अन्त तक उत्पन्न होगी और उस समय तक हमें नये व्यक्ति के आ जाने की आशा है ।

†**श्री बीरेन राय** : जैसा मैं बतला चुका हूं, प्रतिवेदन में सुझाये गये तरीके मास्टर समिति द्वारा सिफारिश किये गये सुझावों से बिल्कुल भिन्न थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं और बहस कर रहे हैं ?

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या नियुक्त किये गये सब चालकों को, चाहे उनको रात की उड़ान का अनुभव हो या न हो, रात की उड़ान के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण देने का विचार है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान लाइसेंस की शर्तों की ओर आकृष्ट करता हूं । एक विशेष संख्या तक कम से कम रात की उड़ान का अनुभव होना आवश्यक है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये सब उड़ान प्रशिक्षक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि ये प्रशिक्षक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं हैं ।

दिल्ली में फसल का नुकसान

*८५५. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आसपास फैली "चेपा" नामक पौधों की बीमारी के कारण कितनी फसल का नुकसान हुआ;

(ख) कितने गांवों पर इस बीमारी का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ा है; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) लगभग ५ से १० प्रतिशत ।

(ख) २० (कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग १०८० एकड़ था) ।

---

†मूल अंग्रजी म

(ग) दिल्ली प्रशासन की प्लान्ट प्रोटेक्शन सर्विस[1] ने उन किसानों की, जो कीट नाशी औषधियों की कीमत का ५० प्रतिशत देने को तैयार थे, प्रभावित फसलों के १३५ एकड़ भूमि में अभी तक छिड़काव किया है। आवश्यक छिड़काव की मशीनें और टेक्निकल सहायता बिना कीमत के दी गईं। कन्ट्रोल आपरेशनस[2] अभी चल रहे हैं। उन किसानों को जिनकी फसलों में बीमारी है, छिड़काव कराने के लिए राज़ी किया जा रहा है।

श्री सरजू पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश के और भागों से भी इस बीमारी की सूचना मिली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमारे पास केवल यही जानकारी है।

काश्मीर मेल

*८५७. **श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर मेल में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सोने की व्यवस्था की जाने वाली है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) तीसरे दर्जे में सोने का इन्तज़ाम सिर्फ कुछ चुनी हुई गाड़ियों में आज़माइश के तौर पर किया गया है। दो किस्म के डिब्बों की आज़माइश की जा रही है। नीचे-ऊपर तीन शायिकाओं[3] का एक नया खाका भी तैयार किया गया है। इस बात का अन्दाज़ लगाया जा रहा है कि किस किस्म के शयन-यान[4] में ज्यादा सहूलियत होगी। इसके बाद तीसरे दर्जे के ऐसे डिब्बे बनाये जायेंगे जिनमें सोने और बैठने के लिए जगह होगी और सोने की सुविधा कुछ दूसरी गाड़ियों में भी दी जायेगी।

श्रीमती कृष्णा मेहता : दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली मद्रास, दिल्ली बम्बई, दिल्ली लखनऊ और अलग आठ जगहों पर आपने गाड़ियों में सोने का प्रबन्ध किया है, थर्ड क्लास में। लेकिन उत्तरी रेलवे में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। क्या मैं पूछ सकती हूं कि यह कब तक होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं ने कहा यह तजुर्बे के तौर किया गया था। इस पर विचार किया जायेगा और जब फैसला हो जायेगा तो उत्तरी रेलवे पर भी इसको रायज किया जायेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस तजुर्बे को दिल्ली के उत्तर में भी क्यों न प्रयोग किया जाये ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम हर जगह तजुर्बा नहीं कर सकते।

सुश्री मणिबेन पटेल : क्या कभी इन तीन बर्थ वाले डिब्बों में सोकर भी देखा है कि कैसा लगता है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, मैं ने सोकर भी देखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plant Protection Service.

[2]Control Operations.

[3]Three-tier Sleeping Berths.

[4]Sleeper Coach.

त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजना

†*८५९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा में छोटी सिंचाई के लिये एक योजना प्रस्तुत की है और जिसके संचालन के लिये प्रशासन ने पांच लाख रुपये मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना को तत्काल स्वीकार करने और मांगी गयी धनराशि की स्वीकृति देने में भारत सरकार की ओर से देरी होने के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा प्रशासन आने वाले गर्मी के महीनों में आवश्यक सर्वेक्षण और जांच के बाद विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है; और यदि हां, तो क्या निर्माण-कार्य वर्षा ऋतु आने से पहले समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रस्ताव आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये था। पांच लाख रुपये का अनुमोदन कर दिया गया है और निर्माण-कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा जब हम उनको स्वीकृति के बारे में बतला देंगे परन्तु इस वर्ष पहले ही छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण हो रहा है।

रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियां

†*८६१. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति, जोनल और डिवीजनल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का गठन पूरा हो गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : नई राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् और जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति का गठन पूरा नहीं हुआ है।

दक्षिण, मध्य, पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे से सम्बन्धित नयी डिवीजनल/रीजनल रेलवे योक्ता सलाहकार समितियों का गठन पूरा हो गया है। दूसरी रेलवे पर, यह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

†**श्री आसर** : इन समितियों के सदस्यों को किस कसौटी के आधार पर चुना जाता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं प्रश्न सुन नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिये क्या आवश्यक अर्हतायें हैं, उनको चुनने का क्या तरीका है और इससे सम्बन्धित और बातें क्या हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने रीजनल, जोनल और राष्ट्रीय सलाहकार समितियों के लिये चुनाव करने के लिये तरीके निर्धारित किये हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं उनको पढ़ दूंगा कि चुनाव किस प्रकार होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण कितना लम्बा है ?

---

†मूल अंगेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं संक्षेप में स्थिति बतलाता हूं। हमारे पास विभिन्न समितियों के गठन के लिये नियम हैं। समितियों का विभिन्न हितों जैसे चैम्बर आफ कामर्स, राज्य सरकार, स्थानीय विधान-मंडल, और यात्री संस्थायों का प्रतिनिधित्व करने के लिये गठन किया जाता है। ये निकाय विभिन्न समितियों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। रीजनल समितियों के सम्बन्ध में जनरल मैनेजरों को किसी विशेष हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो, कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है। केन्द्र में अप्रतिनिधित्व हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिये हम मनोनीत करते हैं। स्थूल रूप से इस प्रकार इन समितियों का गठन होता है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्**: क्या यह सच है कि डिवीजनल समितियों द्वारा निर्वाचन-परिणाम स्वरूप जोनल समितियों का गठन होता है और डिवीजनल समितियों में चैम्बर ऑफ कामर्स और यात्रियों को किस अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है?

†**श्री जगजीवन राम**: मेरे विचार में कोई अनुपात नहीं है।

†**श्री शाहनवाज खां**: यदि आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्**: मैं केवल यह जानना चाहती थी कि वे निर्वाचित होते हैं या नहीं।

†**श्री शाहनवाज खां**: जोनल समितियों का गठन निम्न प्रकार होता है:

"(१) रेलवे द्वारा सेवित राज्यों की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जिसके लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की हो;

(२) राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये राज्य विधान-मंडलों का एक प्रतिनिधि;

(३) राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अभिज्ञात प्रमुख चैम्बर ऑफ कामर्स और व्यापार सन्थाओं, जो पांच साल से कम की न हों, के पांच से अनधिक प्रतिनिधि;

(४) राज्य सरकार या सरकारों द्वारा भेजे जाने वाले ऐसी कृषि संस्थाओं और अन्य निकायों के प्रतिनिधि जो उपरोक्त (३) में निर्दिष्ट चैम्बर ऑफ कामर्स इत्यादि में सम्मिलित न हों अथवा उनसे संबद्ध न हों;

(५) मध्य, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे से सम्बन्धित प्रत्येक डिवीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों से निर्वाचित एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि; पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमान्त और दक्षिण पूर्वी रेलवे से सम्बन्धित रीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों से निर्वाचित दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि;

(६) रेलवे व्यवस्था वाले बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखापटनम और कांडला के पत्तन प्रशासनों का एक प्रतिनिधि, उक्त पत्तनों से सम्बन्धित रेलवे की दशा में ;

(७) तीन संसद् सदस्य; और

(८) ऐसे अन्य सदस्य जिनको वह हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त करे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*८६२. **श्री लच्छीराम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक घरों और रेलवे डाक सेवा की श्रेणी में निरीक्षकों के चुनाव में अनुसूचित जातियों के सुरक्षित अभ्यंश को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसका क्या कारण है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाकघरों तथा रेल डाक व्यवस्था के निरीक्षकों के संवर्गों[1] में उम्मीदवारों का चुनाव उनकी योग्यता-क्रम के अनुसार किया जाता है, परन्तु अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधा मुकाबला नहीं करना पड़ता । उनके मामलों पर गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाता है । आरक्षित रिक्त-स्थानों की न भरी गयी संख्या को आगामी दो परीक्षाओं में मिला लिया जाता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

[इसके पश्चात्, उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या मैं जान सकता हूं कि गह मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से सामान्य आदेश दिये जाते हैं ।

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, एक संयत[2] स्तर की आवश्यकता होती है । जैसा मैंने अभी कहा, जो सुरक्षित पद खाली रह जाते हैं, उनको आगामी दो परीक्षाओं में मिला लिया जाता है ।

श्री लच्छीराम : तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ दिनांक २२ अगस्त, १९५७ के उत्तर में यह बतलाया गया था कि डाक-तार निरीक्षकों में हरिजन उम्मीदवारों में से पांच प्रार्थी लिए गए थे, परन्तु जब उनकी लिस्ट निकली थी, तो उस में तीन ही नाम दिए गए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि वे दो नाम क्यों रोक दिए गए ?

श्री राज बहादुर : मैं ज्यादा फैक्ट्स दे सकता हूं, लेकिन दो नाम रोके गए या नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे डाक सेवा कोटि में 'इंस्पैक्टरों' पद किस प्रकार भरे ग ` हैं, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या केवल पदोन्नति द्वारा ?

†**श्री राज बहादुर :** यह प्रतियोगी परीक्षा द्वारा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार का कोई निश्चित कार्यक्रम है कि कब तक वह योग्य स्नातकों में से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को 'इंन्सपैक्टर्स' और 'सुपरिन्टेन्डेन्ट' के पद पर और 'पोस्टमास्टर जनरल' के कार्यालय में कुछ पदों पर रख सकेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानों को सुरक्षित रखा है और उनको प्रतियोगिता द्वारा भरा जाता है । प्रतियोगिता दूसरी जाति के उम्मीदवारों में नहीं बल्कि उनमें ही होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cadres.

[2]Moderate.

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि पदों के लिये आर्हता प्राप्त किये ऐसे उम्मीदवारों को 'इंटरव्यू' के लिये बुलाया जाता है और इस सबके बावजूद उनको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पदों पर नहीं चुना जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जिसमें किसी उम्मीदवार ने योग्यता प्राप्त की हो अर्थात् प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुआ हो और उसको नियुक्त न किया गया हो। मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं है और यदि माननीय सदस्य मुझे बतलायें तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या डाक तथा तार विभाग में पदोन्नति के विषय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा मैंने कहा उनके लिये पदोन्नति वाले पदों में रिक्त स्थान सुरक्षित हैं और जो कुछ मैं कह चुका हूं मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण को विमानों द्वारा जाने वाला माल

†*८६३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५७ से अब तक गैर–अनुसूचित विमान संचालकों द्वारा उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण को कुल कितना सामान ले जाया गया; और

(ख) 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' द्वारा कुल कितना सामान ले जाया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) १ दिसम्बर, १९५७ से १५ फरवरी, १९५८ तक की कालावधि में उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में गैर–अनुसूचित विमान संचालकों द्वारा लगभग १६६५ टन माल ढोया गया।

(ख) 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' ने उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण में केवल १ फरवरी, १९५८ से विमान संचालन शुरू किया और १ फरवरी से २६ फरवरी, १९५८ की कालावधि में निगम ने लगभग ४६८ टन माल ढोया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि गैर–अनुसूचित संचालकों ने १ फरवरी से १५ फरवरी के बीच कितना माल ढोया ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मेरे पास दिसम्बर से १५ फरवरी तक के आंकड़े हैं परन्तु मेरे पास अलग–अलग आंकड़े नहीं है कि उस कालवाधि में वास्तव में कितना माल उठाया गया। परन्तु मैं माननीय सदस्य को 'आवंटित' आंकड़े बता सकता हूँ। फरवरी के महीने में 'इन्डेमर्स'[७] को एक हजार टन का आवंट किया गया परन्तु वे चार सौ से पाच सौ टन तक से अधिक उठाने में समर्थ नहीं हुए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में 'इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' की अनुसूचित उडान शुरू हो गई हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि गैर–अनुसूचित संचालकों को लगभग उतना ही माल क्यों ले जाने दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[७]Indamers.

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह कब तक था जब तक कि 'इन्डियर एयरलाइन्स कारपोरेशन' ने संचालन शुरू नहीं किया था। उन्होंने १ फरवरी से विमान संचालन शुरू किया है और उनका मूल अनुमान यह था कि पहले तीन या चार महीनों में वे पांच सौ टन प्रति मास से अधिक माल न उठा सकेंगे परन्तु उन्होंने अब अपना लक्ष्य बदल दिया है और १ अप्रैल से यह आशा की जाती है कि 'इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' लगभग एक हजार टन माल प्रतिमास उठायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि गैर–अनुसूचित संचालकों, जिनको उसी क्षेत्र में विमान संचालन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, के चालक हमारे अपने लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक वेतन पा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे अपने अनुसूचित संचालकों को दबाव सहना पड़ता है और वे कुशलता से कार्य नहीं करते ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं इस सुझाव को नहीं मानता कि हमारे चालक कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं। वे बहुत कुशलता से कार्य कर रहे हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह एक अलग प्रश्न है जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को बतलाऊं कि हम पहले ही इस प्रश्न को ले चुके हैं और गैर–सरकारी संचालकों की सेवा की शर्तों का विनियमन विचाराधीन है।

†**श्री बीरेन राय** : क्या 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में और पूर्वी प्रदेश में भी सारा बोझ लाने ले जाने के लिये पर्याप्त विमान हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : कुछ पुनर्संगठन के बाद और विशेषतः इस वर्ष जून के बाद जब माल ढोने की क्षमता में कुछ नई वृद्धि की जायेगी तो मैं समझता हूं कि 'इंडियन एयरलाइन्स' कारपोरेशन' इस मांग को पूरी करने में समर्थ हो सकेगी।

†**श्री त्यागी** : उनको अब 'कैबिनेट' चले जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कुछ गैर–अनुसूचित संचालक वास्तव में हमारे विमान लेते हैं और माल व यात्रियों को लाने ले जाने के लिये इस क्षेत्र में उड़ान करते हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के विमान लेते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वे उनको किराये पर लेते हैं ।

†**श्री हुमायूं कबीर** : 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ' के विमानों का उनके द्वारा उपयोग करने का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु कोई भी व्यक्ति या समवाय इंडियन एयर–लाइन्स कारपोरेशन से एक विशेष उड़ान के लिये विमान भाढ़े पर ले सकता है और सारे संसार में साधारणतः यही प्रथा है।

चीनी का निर्यात

†*८६४. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के निर्यात के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसके लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) किस रूप में गैर–सरकारी हित इससे सम्बद्ध हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). विषय अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री हेडा** : यह बात दखत हुए कि फालतू चीनी, चाहे किसी भी मात्रा में हो, हमारे देश में उपलब्ध होगी और इस फालतू चीनी के सम्बन्ध में संसार के नीचे बाजार भाव और किसी समय संकट के उत्पन्न होने की सम्भावना देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार विषय पर विचार कब समाप्त करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह पहले भी कहा जा चुका है कि समुचित व्यवस्था की जायेगी। और यह किस प्रकार की जायेगी, इस पर सरकार विचार कर रही है। शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : विदेशी बाजार में चीनी का क्या भाव है और यहां भारत में चीनी का कितना लागत मूल्य है ?

†**श्री अ० म० थामस** : साफ की हुई ब्रिटिश चीनी का अन्तिम नौ–पार्श्व पर्यन्त नि:शुल्क[८] मूल्य–कथन ३७ पौंड ४ औंस है जब कि भारतीय चीनी का नौतल पर्यन्त नि:शुल्क[९] मूल्य ५३ पौंड प्रति टन आता है।

†**श्री त्यागी** : यह बात देखते हुए कि यहां भारत में लागत मूल्य ५३ पौंड प्रति टन है और बाहर यह ३७ पौंड है, सरकार भारत से चीनी निर्यात की कैसे आशा करती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बहुत से देशों में यह प्रथा है कि उद्योग आन्तरिक मूल्य से नीचे मूल्य पर चीनी का निर्यात करते हैं और हम उस ही सूत्र की प्रकल्पना करने की सोच रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : सरकार चीनी कारखानों को कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : चीनी कारखानों को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं जान सकता हूं कि भूत–काल में जब मूल्य अधिक था और चीनी कारखाने चीनी भारत से बाहर निर्यात करना चाहते थे सरकार ने उनको फालतू चीनी बाहर निर्यात करने की खुली अनुज्ञा नहीं दी और अब मूल्य नीचे गिर गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह सही नहीं है कि सरकार ने कारखानों को चीनी निर्यात करने में सहायता नहीं दी। 'इंडियन शूगर मिल्स एसोसियेशन' ने १ लाख ७४ हजार टन चीनी निर्यात करने का ठेका स्वीकार किया। वास्तव में उन्होंने १ लाख ५४ हजार टन चीनी का निर्यात किया। बीस हजार टन चीनी का ठेका विभिन्न कठिनाइयों के कारण समाप्त हो गया। हमने उन्हें प्रत्येक सुविधा दी और हम चाहते हैं कि चीनी के निर्यात के लिये चीनी मिलों को सहायता दी जानी चाहिये।

---

†मूल प्रश्न अंग्रेजी में

[८]F.A.S.

[९]F.O.B.

†श्री हेडा : प्रस्तावित व्यवस्था पर विचार समाप्त होने तक क्या सरकार गैर-सरकारी व्यापारियों को उपकर से छूट या अन्य कुछ रियायतों के बारे में वहीं सुविधायें देगी जो कि वह दे रही थी या अन्य कुछ सुविधायें देगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी कारखाने के लिये चीनी का निर्यात करना असम्भव है। जब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती और आन्तरिक बिक्री में से निर्यात पर धन नहीं लगाया जाता है तब तक कुछ भी चीनी निर्यात करना सम्भव नहीं है ।

†श्री शिवनंजप्पा : हमारे पास निर्यात करने के लिये कितनी फालतू चीनी है और क्या सरकार एक केन्द्रीय चीनी 'पूल' बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

†श्री अ० प्र० जैन : वास्तव में यह कहना कठिन है कि हमारे पास निर्यात करने के लिये कितनी फालतू चीनी है; परन्तु मोटे तौर पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह दो लाख टन के आदेश तक हो सकता है।

†श्री दामानी : ऊंची उत्पादन लागत का क्या कारण है ? यह गन्ने के ऊंचे मूल्य के कारण है या किसी और कारण से ?

†श्री अ० प्र० जैन : मेरे विचार में चीनी के ऊंचे उत्पादन मूल्य के मुख्य कारणों में से एक गन्ने का प्रत्याभूत मूल्य है ।

†श्री जाधव : भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत कितनी होती है ?

†श्री अ० प्र० जैन : चीनी के निर्यात से यह प्रश्न कैसे उठता है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह नहीं चाहते कि कोई निर्यात हो। यदि निर्यात हुआ तो यहां मूल्य बढ़ जायेगा। यह उचित प्रश्न है। माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है। उनका कहना है कि देश में मूल्य नहीं बढ़ना चाहिये। यदि मंत्री महोदय इच्छुक हैं तो वे उत्तर दे सकते हैं।

†श्री अ० प्र० जैन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री त्यागी : मंत्रालय ने ५३ पौंड प्रति टन का लागत मूल्य उद्धरित किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्य की प्रशुल्क आयोग ने जांच की है या चीनी उत्पादकों की संस्था ने यह लागत मूल्य बतलाया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : चीनी का लागत मूल्य बहुत सावधानी से गन्ने के मूल्य, उत्पादन की लागत और अन्य खर्चों के आधार पर निकाला जाता है।

†श्री त्यागी : क्या प्रशुल्क आयोग से राय ली गयी थी ?

†श्री अ० प्र० जैन : प्रशुल्क आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थीं। १९५१ में कुछ समितियां--श्री वास्तव समिति और नेगी समिति थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोजिकोडे में हवाई अड्डा

+

†*८६५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :
श्री कुन्हन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ क उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोजिकोडे स्थान पर एक असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह अब किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) तथा (ख). निधि की कमी के कारण कोजिकोडे में एक हवाई अड्डा स्थापित करने की ओर कोई प्रगति नहीं हुयी है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इसका सर्वेक्षण किया जायेगा या इसको 'दूसरी पंचवर्षीय योजना' से निकाल देने का प्रस्ताव है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** मुझे अधिक आशा नहीं है परन्तु इसको मैं इस प्रक्रम पर छोड़ना भी नहीं चाहूंगा ।

रेलवे क माल डिब्बों का सम्भरण

†*८६६. **श्री नलदुर्गकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस की व्यापारी संस्था[10] ने हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कमी वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न भेजने के लिये रेलवे बोर्ड को ५० माल-डिब्बे प्रतिदिन देने के लिये अभ्यावेदन दिया ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ;

(ग) खाद्यान्न से लदे कितने माल-डिब्बे प्रतिदिन बनारस और वाराणसी स्टेशनों से उपरोक्त कमी वाले क्षेत्रों को जाते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि बनारस और वाराणसी स्टेशनों पर माल-डिब्बों की कमी के कारण कमी वाले क्षेत्रों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं भेजा जा सकता ;

(ङ) उपरोक्त क्षेत्रों के लिये बुक हुए खाद्यान्न के शीघ्र ले जाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं; और

(च) क्या स्थिति पर काबू पाने के लिये स्पेशल माल गाड़ी चलाने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Merchant's Association

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं, सीधे नहीं। परन्तु संलग्न उद्धरण हाल ही में १७ फरवरी, १९५८ के 'स्टेट्समैन' में देखा गया है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२८]**

(ख) स्थिति का परीक्षण कर लिया गया है ।

(ग) जनवरी और फरवरी, १९५८ (२१–२–१९५८ तक) में औसतन प्रतिदिन तीन माल डिब्बों से कुछ अधिक ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार आयातित खाद्यान्न बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों को जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे पर सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तौर पर खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये हर सम्भव सहायता दी जा रही है ।

(च) भाग (ङ) के उत्तर के देखते हुए यह आवश्यक नहीं है ।

†**श्री नलदुर्गकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि वाराणसी और बनारस स्टेशनों से बिहार के कमी वाले क्षेत्रों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न बुक किया गया ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं कमी वाले क्षेत्रों के लिये सारे भारत में बुक हुए माल की ठीक मात्रा नहीं दे सकूंगा। लेकिन यदि वह बनारस छावनी और वाराणसी से बुक हुयी मात्रा जानना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में और २१ फरवरी तक १६७ माल डिब्बे बुक हुए ।

रेलवे के माल डिब्बों की कमी

+

†*८६७. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री संगण्णा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा सामाचार-पत्रों से पता चला है बनारस जिले के बिलथरा रोड और किडिहडापुर रेलवे स्टेशनों के यार्डों में ८० हजार मन गन्ना रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण शीघ्रता से सूख रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन स्टेशनों पर वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं। २४ फरवरी, १९५८ को बिलथरा रोड स्टेशन पर कोई गन्ना नहीं पड़ा था और किडिहडापुर स्टेशन पर २२ माल-डिब्बों के भार का गन्ना पड़ा था।

(ख) १२ फरवरी, १९५८ से २४ फरवरी, १९५८ तक की कालावधि में बिलथरा रोड स्टेशन पर ९९ माल डिब्बे और किडिहडापुर स्टेशन पर ७६ माल-डिब्बे गन्ने से लादे गये। २५ फरवरी, १९५८ से ३ मार्च, १९५८ तक इन दो स्टेशनों पर क्रमशः ६६ और १०५ माल डिब्बे लादे गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण :** उन स्थानों पर माल-डिब्बों की संख्या को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** माल-डिब्बों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं. यदि कोई आवश्यकता हुई, तो गन्नों को जल्दी से पहुंचा दिया जायेगा। कुछ गन्ना जमा हो जाने का कारण यह था कि ड्राइवर कुछ दिन अपने वक्त पर न आ सका था। परन्तु अब वह काफी कमी दूर कर दी गयी है और गन्ना नियमित रूप से मिलों में पहुंचाया जा रहा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** पेरने के मौसम में गन्ने के परिवहन के लिये माल-डिब्बों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकारी चीनी मिलों के मालिकों के सहयोग से और अधिक माल-डिब्बे तैयार करने की प्रस्तापना पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं इस अनुमान से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम इन दोनों स्टेशनों पर प्रतिदिन उतने माल-डिब्बे भेज रहे हैं जितनी की वहां पर आवश्यकता होती है। वह तो केवल चार दिन तक ही माल की अधिक भीड़ भाड़ होने के कारण माल-डिब्बे सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। परन्तु उस से अगले दिन ही बहुत अधिक संख्या में डिब्बे भेज दिये गये थे। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आयी है कि वहां पर डिब्बों की कमी थी ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** मैं केवल उसी स्टेशन के बारे में नहीं पूछना चाहता, अपितु उन सभी स्टेशनों के बारे में पूछना चाहता हूं जहां से गन्ना संगठित किया जाता है ।

†**श्री जगजीवन राम :** हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि गन्ने के परिवहन के लिये कोई रेल-व्यवस्था नहीं थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय वाणिज्य पोत वर्ग[11]

†***८३९. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारतीय वाणिज्य पोत वर्ग में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२९]**

व्यापार पोत

†***८४०. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आस्थगित भुगतान पर व्यापार पोतों के संभरण के सम्बन्ध में किसी विदेश से कोई दीर्घकालीन करार हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Indian Merchant Marine

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस प्रकार की व्यवस्था केवल जापान से ही की गयी है। येन ऋण का डाक भाग, जिसे देना जापान ने हाल ही में स्वीकार किया था, हमें आस्थगित आधार पर जहाज को खरीदने के लिये उपलब्ध होगा।

चावल का आसंचयन[12]

†८४३. **श्री वोडयार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने और किन किन राज्यों ने चावल के आसंचयन की रोक थाम के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) किन किन देशों में चावल की कीमत निर्धारित कर दी गयी है और चावल विक्रेताओं को लाइसेन्स प्रदान किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) चावल के आसंचयन की रोक थाम के लिये ११ राज्यों और एक संघ राज्य ने कार्यवाहियां की हैं। उन राज्यों के नाम ये हैं—आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) आसाम, आन्ध्र, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में अधिकतम नियंत्रण मूल्य निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार १० मन से अधिक चावल और धान बेजे जा सकते हैं। विक्रेताओं को लाइसेन्स देने के लिये आसाम, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों द्वारा आर्डर दे दिये गये हैं।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी योजनायें

†*८४६. **श्री साधन गुप्त** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दार्जिलिंग ज़िले के पन्नीघाट बाज़ार के रलशाई में जलपाइगुड़ी ज़िले के हालापरकरी में, और मालदा ज़िले के शाहपुर में बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी योजनायें प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस के लिये ऋण या किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितना ऋण या अन्य सहायता मंजूर की गयी है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]Hoarding.

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

८४७. **श्री राजेश्वर व्यास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में कृषि की स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था तथा देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अमरीका के राकफेलर फाउन्डेशन से जो समझौता हुआ था उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३१]**

फल-उत्पादन

†*८४९. **श्री बाली रे ी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा फलों और फलोत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३२]**

त्रिपुरा के देहातों में डाक सम्बन्धी सुविधायें

†*८५४. **श्री दशरथ देब :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के गांवों म डाक केवल मंडे के दिन अर्थात सप्ताह में एक ही बार बांटी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के गांवों में प्रतिदिन डाक बांटने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं। त्रिपुरा के कुल १२७५ गांवों में से इस समय ४१३ गांवों में प्रतिदिन डाक बांटी जाती है, ६५० गांवों म सप्ताह में तीन बार, १० गांवों में सप्ताह में दो बार और २०२ गांवों में सप्ताह में एक बार ही डाक बांटी जाती है।

(ख) उन गांवों म जहां इस समय लगभग प्रतिदिन डाक नहीं बांटी जाती, इस काम को प्रगति देने के लिये यह प्रस्तावना है कि आगामी ३ महीनों में ४२ डाक घर खोले जायें और ४२ अतिरिक्त विभागीय डिलिवरी एजेन्ट नियुक्त किये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकिंघम नहर

†*८५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकिंघम नहर के सविस्तर यातायात सर्वेक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है ; और

(ख) उस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार द्वारा कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) बकिंघम नहर के सर्वेक्षण का काम दक्षिण रेलवे के एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी, श्री टी० के० सुन्दर राजन को सौंपा गया है ।

(ख) आशा है कि प्रतिवेदन जुलाई तक प्राप्त हो जायेगा ।

कृषकों द्वारा पर्यटन

† ८५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी योजना बना ली है जिससे किसानों और कृषकों को देश के विभिन्न भागों में पर्यटन करने का अवसर मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या रूप है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). बचत उपायों को ध्यान में रखते हुये और उस योजना की कार्यान्विति में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही नहीं की गई ?

आंध्र में चावल का उत्पादन

†*८६०. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये उस राज्य को कोई अतिरिक्त अनुदान तथा प्रविधिक सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार के हजारीबाग जिले में भूख से मौतें

†*८६८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि २३ फरवरी, १९५८ के समाचार-पत्रों में समाचार आया था, बिहार के हजारी बाग जिले के छपरा सब-डिवीजन में तीन व्यक्ति भूख से मर गये ; और

(ख) यदि हां, तो सूखे के क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फोर्ड निष्ठान

†*८६९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की फोर्ड प्रतिष्ठान ने समाज शिक्षा आयोजकों के प्रशिक्षण तथा विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना के लिये १९५७ में कितनी राशि प्रदान की थी और भावी कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि देने का वायदा किया है ; और

(ख) उसमें से कितनी राशि का अभी तक उपयोग किया जा चुका है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा १९५७ में समाज शिक्षा आयोजकों के प्रशिक्षण केन्द्रों और विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये क्रमश: ७,१०,००० रुपये और १,०८,५६६ रुपये प्रदान किये गये थे । समाज शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये ३,७७,५०० रुपयों का वचन दिया गया है। विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये कोई भी वचन नहीं दिया गया है ।

(ख) १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष के खाते के बन्द होने के बाद ही यह पता लग सकेगा कि निर्धारित राशि में से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ।

रांची में मेडिकल कालेज

†*८७१. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में मेडिकल कॉलिज कब तक स्थापित हो जायेगा ; और

(ख) उसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आशा है कि फर्स्ट इयर (प्रथम वर्ष) की क्लास प्रारम्भ करने के लिये रांची मेडिकल कॉलिज की कुछ एक इमारतें जुलाई, १९५९ तक पूरी हो जायेंगी । इस कॉलिज के लिये प्रविष्ट विद्यार्थी इस समय पटना मेडिकल कॉलिज और दरभंगा मेडिकल कॉलिज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ख) १९५६–५७ में १५ लाख रुपये ।

नागार्जुन सागर बांध

†*८७२. **श्री बाली रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २२ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नागार्जुन सागर बांध के रूपांकन (डिज़ाइन) और निर्माण के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञ श्री स्लोकम द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्री स्लोकम द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) निर्माण संयंत्र (कंस्ट्रक्शन प्लांट) का अभिन्यास (ले-आउट) इस आधार पर बनाया गया था कि बांध मुख्य रूप से पत्थर का ही बनाया जायेगा ।

(२) अन्य परियोजनाओं से पर्याप्त उपकरण प्राप्त किया गया है । यदि भविष्य में अपेक्षित वस्तुयें अन्य परियोजनाओं में फालतू न हुईं और प्राप्त न हो सकीं तो उन्हें किसी सहायता कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा ।

(३) श्री स्लोकम द्वारा की गई इस सिफारिश की परीक्षा करने के लिये, कि बांध कंक्रीट का बनाया जाये, अनुभवी इंजीनियरों की एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति ने यह सिफारिश की है कि बांध पत्थर का बनाया जाये, सिवाय उन भागों के कि जो गहरे 'सैक्शन' में हैं, जहां २० टन प्रति फुट से अधिक गहराई है । इन भागों में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाये ।

राज्यों में सिंचित क्षे

† ८७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६–५७ और १९५७–५८ में बहु-प्रयोजनीय बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन विभिन्न राज्यों में सींचे जाने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक कमी कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये जा र हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९५६–५७ में केरल राज्य और उत्तर प्रदेश में सींचे जाने वाले क्षेत्रों में कमी हुई है तथा १९५७–५८ में उत्तर प्रदेश में कमी हुई थी । जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) (१) **केरल** : भूमि को अर्जित करने में देर लगने के कारण इस राज्य में नहरों की शाखायें और जल-वितरण व्यवस्था पूरी न की जा सकी ।

(२) **उत्तर प्रदेश** : अत्यधिक वर्षा के कारण सिंचाई की अत्यधिक मांग नहीं की गई थी और फिर बहुत सी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही पूरी हो गई थीं ।

(ग) **केरल**—सरकार द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(क) काश्तकारों को भूमि से धान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में सहायता दी जा रही है तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहरों में से नालियां बनाई जा रही हैं ताकि धान के खेतों में समय पर पानी पहुंचाया जा सके ।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

†*८७४. **श्री व० स० मूर्त्ति :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और लोहे के सम्भरण की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश की बहुत सी बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का काम रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लोहे और इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी, हां ।

(ख) उस सम्बन्ध में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से बातचीत की जा रही है । वहां पर कुल २३९० टन इस्पात तथा लोहे की आवश्यकता है, उसमें से हाल ही में १,३०२ टन आयात इस्पात प्राप्त हुआ है ।

त्रिपुरा में कपास का उत्पादन

†*८७५. **श्री दशरथ देब :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में कपास उत्पादन के विकास के लिए कोई विशेष योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का रूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कपास उत्पादन के विकास की सम्भावनाओं को खोजने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के परामर्श पर त्रिपुरा राज्य की सरकार ने 'कोमिला' के पास के विकास के लिये एक योजना बनाई और उस पर समिति विचार कर रही है ।

दिल्ली में बिजली की दर

†*८७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नागरिकों को बिजली किस दर से दी जाती है ;

(ख) क्या यह दर पंजाब के नगरों में दी जाने वाली बिजली की दर से अधिक है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस दर को कम करने का कोई विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के चालू दरों की अनुसूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३३**]

(ख) जी हां, केवल मध्यम तथा बड़ी मात्रा में विद्युत का प्रयोग करने वालों से। पर हां, दिल्ली में बिजली और पंखों की विद्युत की दर पंजाब की अपेक्षा कम है। जहां तक कम मात्रा में प्रयोग करने वालों का सम्बन्ध है, इन दोनों स्थानों के दरों में कोई अन्तर नहीं।

(ग) बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ के अधीन दर निर्धारित करने का काम केवल दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का उत्तरदायित्व है और उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेने की उसे आवश्यकता नहीं है।

त्रिपुरा में चावल का पकड़ा जाना

†*८७७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ फरवरी, १९५८ को जब किसान त्रिपुरा की सोनामुराह मार्केट में बेचने के लिये अपना चावल ले कर आ रहे थे, तो त्रिपुरा प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया था और उनसे सारा चावल रु० १३.१६ प्रति मन के हिसाब से खरीद लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले ऐसे कार्यों की भविष्य में रोक थाम करने के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य रेलवे में लूट की घटना

†*८७८. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० फरवरी, १९५८ को मध्य रेलवे के डिबा (बम्बई) के निकट एक पार्सल गाड़ी को लूटने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा उन लुटेरों पर गोली भी चलाई गयी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस स्टेशन पर और उसके आसपास इस प्रकार की और भी घटनायें हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन घटनाओं की रोक थाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). इसी प्रकार की दो घटनाएं पहले भी हुई थी—एक अगस्त में और दूसरी दिसम्बर, १९५७ में ।

कुरला और कल्याण के बीच पार्सल गाड़ियों और उन महत्वपूर्ण माल गाड़ियों में, जिनमें अत्याधिक बहुमूल्य सामान होता है, सरकारी रेलवे पुलिस के दो सशस्त्र सिपाही और रेलवे संरक्षण बल के दो शस्त्रहीन सैनिक तैनात कर दिये जाते हैं, और डिबा तथा डोम्बीवाली स्टेशनों पर भी सरकारी रेलवे पुलिस तैनात कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण स्थानों–डीबा और डोम्बीवाली के बीच की लाइन पर भी गश्त लगाने के लिये उनकी ड्यटी लगा दी गई है । पुलिस ने उन तीनों अवसरों पर गोली चलाई थी ।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें

*८७९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों की समस्याओं के अध्ययन के सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस जांच के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में सड़क-निर्माण कार्य को और तीव्र गति से करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जनवरी, १९५७ में केवल देहाती सड़कों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक विशेष असफर नियुक्त किया गया था । हाल ही में उसकी रिपोर्ट मिली है और उसकी जांच की जा रही है । देहाती और पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें बनाने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है । रिपोर्ट में की गई सिफारिशें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही एवं उचित व्यवस्था के लिये भेज दी जायेंगी । और इस सम्बन्ध में उनसे आवश्यक परामर्श भी किया जावेगा ।

उर्वरक

†*८८०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पटुआ की जड़ों और डंठलों का बहुत सी फसलों के लिये उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी, हां । पटुआ की जड़ों और डंठलों का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वणिक पोत नाविक स्कूल, कोचीन

†*८८१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में वणिक पोत नाविक स्कूल खोलने की योजना पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापित स्कूल में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में अस्पताल

†*८८२. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैफ्ट बैंक अस्पताल में इतनी शैयायें बढ़ा दी गयी हैं ताकि उनसे दोनों किनारों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शैयायें बढ़ायी गयी हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड के इस निर्णय पर, कि दायें किनारे पर अस्पताल बनाने की प्रस्थापना छोड़ दी जाये, लैफ्ट बैंक अस्पताल में शैयायें बढ़ा कर ४० से ५० कर दी जायेंगी और ८० अतिरिक्त शैयायें लगाने की व्यवस्था है । अतिरिक्त दस शैयाओं की लागत शीघ्र ही उपलब्ध नहीं हो सकती ।

वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन

११२७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन में इस समय कितने विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं ;

(ख) इन्हें कुल कितना वेतन तथा भत्ता दिया जाता है; और

(ग) इन स्थानों के लिये भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड में कोई भी विदेशी नियुक्त नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार घर, कोटा

†११२८. **श्री ओंकार लाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कोटा (राजस्थान) में डाक तथा तार घर में जगह की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उसके लिये कोई नयी इमारत बनाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विभागीय इमारत बनाने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में घनी खेती

११२९. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घनी खेती के लिये उत्तर प्रदेश को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धन-राशि दी गई थी ;

(ख) इसी काम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धन-राशि दी गई है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से इस कार्य के लिये और अधिक रुपये की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि की ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) २०३८.०७ लाख रुपये ।

(ख) १९३४.८८ लाख रुपये ।

(ग) जी हां ।

(घ) ४० लाख रुपये ।

हिमाचल प्रदेश को उर्वरक का संभरण

†११३०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को कुल कितना उर्वरक दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** १९५७–५८ में २८ फरवरी, १९५८ तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन को २०० टन एमोनियम सल्फेट सभंरित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे संरक्षण बल

†११३१. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० दिसम्बर, १९५७ को मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के संरक्षण बल में कितने कितने कर्मचारी थे ;

(ख) रेलवे संरक्षण बल में कितने प्रमुख सुरक्षा पदाधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, तथा अन्य कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ग) १ अप्रैल, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७ तक उक्त संरक्षण बलों के संधारण पर कुल कितना खर्च किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३४**]

रेलवे संरक्षण बल

†११३२. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० दिसम्बर, १९५७ तक मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के रेलवे संरक्षण बल ने चोरी और तस्कर व्यापार के अपराधों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये हैं ; और

(ख) दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की रेलवे पुलिस ने चोरी और तस्कर व्यापार के अपराधों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये हैं ?

†**रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेलवे संरक्षण बल अभियोग नहीं चलाता क्योंकि उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ख) मध्य रेलवे १९८५
पश्चिम रेलवे २९९

आन्ध्र में नदियों के ऊपर पुल

†११३३. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गयी है ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कौन कौन से पुल पूरे हो गये थे ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिये सहायता दी जाये;

(घ) यदि हां, तो किन किन नदियों पर पुल बनाने की प्रस्थापना है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राष्ट्रीय राज पथों के अतिरिक्त अन्य सड़कों पर पुल बनाने के लिये कुल ८.८१ लाख रुपये दिये गये थे ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कोई भी पुल पूरा नहीं हुआ ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३५]**

(ङ) संलग्न विवरण में उल्लिखित नौ योजनाओं में से तीन योजनायें (१–३) पहले ही मंजूर की जा चुकी है। शेष ६ योजनायें (४—९) अभी विचाराधीन हैं।

आन्ध्र प्रदेश के देहातों में जल संभरण योजनायें

†**११३४. श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश के देहातों में जल संभरण योजनाओं के लिये निर्धारित राशियों में अभी तक कितनी राशियां इस्तेमाल की जा चुकी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रमश: २०.६३५ लाख रुपये और १६.८८ लाख रुपये खर्च कर चुकी है जबकि उसके लिये क्रमश: १३.२५ लाख रुपये और २९.३९ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे ।

उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल

११३५. श्री सरजू पाण्डे : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों पर पुल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि दी गई ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य में कितने पुल बनाये गये ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नदियों पर पुल बनाने के लिये कुछ धन राशि मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) किन-किन नदियों पर पुल बनाये जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राष्ट्रीय राजपथों को छोड़कर सड़कों पर सोलह पुलों के निर्माण के लिये लगभग १४ लाख रुपए ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई भी पुल पूरा नहीं हुआ ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ०.५३ क रोड़ रुपए अनुदान के रूप में जो विचाराधीन हैं और ५.०० करोड़ रुपए बिना सूद ऋण के रूप में जो मंजूर नहीं हो सके हैं।

(ङ) अपेक्षित सूचना के विषय में एक विवरण साथ लगा दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३६]

वन्य पशुओं का परिरक्षण[13]

†११३६. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य पशुओं के परिरक्षण के लिये भारत में कितने राष्ट्रीय उपवन तथा मृगवन हैं ; और

(ख) राज्यवार उनके नाम क्या क्या हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ७८ से अधिक।

(ख) एक सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३७]

डाक तथा तार विभाग

†११३७. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये डाक तथा तार विभाग में कितने प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये हैं; और

(ख) क्या इन जातियों के व्यक्तियों को आजकल जितने प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं, वे निश्चित स्थानों से कम हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर, स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर केन्द्रीय सरकार के स्थानों में भरती के लिये रक्षित प्रतिशतक डाक तथा तार विभाग में भी लागू होता है। यह नियम सीधी भरती तथा विभागीय परीक्षाओं दोनों में लागू होता है। १९५६ तक की और २१ अगस्त, १९५७ तक की जानकारी ६ सितम्बर, १९५७ को अतारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर में दे दी गयी थी।

राजस्थान में टेलीफोन कनैक्शन

†११३८. श्री कर्णी सिंहजी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५७ के वर्षों में बीकानेर डिवीज़न के चुरू और गंगानगर के ज़िलों से टेलीफोन कनैक्शन के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) उक्त अवधि में कितने कनैक्शन दिये गये थे; और

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज को उसके लिये बनायी गयी नयी इमारत में कब तक ले जाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[13] Preservation of Wild Life

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) चूरू ९०, श्री गंगानगर ३४२ ।

(ख) चूरू ८५, श्रीगंगानगर १७७ ।

(ग) आशा है कि इस वर्ष के जुलाई मास में चला जायेगा ।

इरुगूर हाल्ट-स्टेशन

†११३९. **श्री नंजप्प** : क्या **रेलवे** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि रक्षित रेलवे के जलारपेट-मंगलौर सैक्शन में सुलूर तथा सिंगलल्लूर रेलवे स्टेशनों के बीच इरुगूर नामक स्थान पर ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट-स्टेशन बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : आशा है कि अक्तूबर के अन्त तक इरुगूर ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट-स्टेशन बन जायेगा और उसके बाद उसे यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के निवृत्ति-प्राप्त कर्मचारी

†११४०. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १ जनवरी, १९५८ तक परिवहन तथा संचार मंत्रालय में वित्तीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को सेवा से निवृत्ति प्रदान की गयी थी; और

(ख) उन खाली स्थानों पर कितने व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गयी थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) तृतीय श्रेणी . . १
चतुर्थ श्रेणी . . ६

(ख) तृतीय श्रेणी . १
चतुर्थ श्रेणी . . ६

बम्बई के मीनक्षेत्रों का विकास

†११४१. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये बम्बई सरकार को कोई अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, हां।

(ख) ८.९६६ लाख रुपये।

बम्बई राज्य में परिवार आयोजन केन्द्र

†११४२. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में अभी तक कितने परिवार आयोजन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: बम्बई में राज्य अभी तक २५ शहरी परिवार आयोजन केन्द्र और ४४ देहाती परिवार आयोजन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	स्थापित किये गये परिवार आयोजन केन्द्रों की संख्या	
	शहरी	देहाती
राज्य सरकार .	२	३९
स्थानीय निकाय	५	—
स्वयंसेवक संस्थाएं .	१८	५
	२५	४४

टेलीफोन निर्देशिकायें

†११४३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन निर्देशिकायें प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) इस सम्बन्ध में धीरे धीरे कार्यवाही की जा रही है और जहां भी प्रादेशिक भाषाओं में निर्देशिकाओं की आवश्यकता हुई वहां उन उन भाषाओं में प्रकाशित करवा दी जायेंगी।

(ख) अहमदाबाद की निर्देशिका गुजराती में तैयार की जा रही है। पटना और जयपुर की निर्देशिकाओं को हिन्दी में छपवाने के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं। अन्य स्थानों में प्रादेशिक भाषाओं में छपवाने की मांगों का विनिश्चय किया जा रहा है और प्रत्येक पर अलग अलग विचार किया जायेगा।

मलेरिया निरोधी योजना

†११४४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में मलेरिया निरोधी योजनाओं पर राज्यवार अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में सहकारी खेती

†**११४५. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में सहकारी खेती का कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७ में इस प्रकार के कितने खेतों में प्रयोग किया गया था ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार का विचार तो यह था कि १९५७–५८ में ७० सरकारी खेती संस्थाएं स्थापित की जायें, परन्तु उसकी प्रगति के बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है, क्योंकि अभी तक चालू वर्ष समाप्त नहीं हुआ है ।

यमुना पर रेलवे का पुल

११४६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** उपमंत्री ११ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे और शाहदरा के मध्य यमुना नदी पर रेल का एक और पुल बनाने का जो प्रस्ताव विचाराधीन था उसके सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): प्रस्तावित तुग़लकाबाद-साहिबाबाद लाइन का अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वे हो रहा है । अप्रैल, ५८ के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है । अभी केवल इसी योजना के लिए ज़मीन लेने की मंजूरी दी गयी है । जिस जगह पुल बनाया जायेगा वहां नदी-तल में बोरिंग की जा चुकी है । जगह की उपयुक्तता और पुल के जल-मार्ग के बारे में केन्द्रीय जल और शक्ति कमीशन के पूना अनुसंधान केन्द्र ने नमूने बनाकर परीक्षण किये हैं । अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है ।

बच्चों में आहारपुष्टि की कमी का सर्वेक्षण

†**११४७. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों में आहारपुष्टि की कमी के कारण उनमें संक्रामक रोगों और कीटाणुओं के आक्रमण की बढ़ती हुई आशंका के सम्बन्ध में भारत सरकार के कहने पर कोई विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या क्या पता लगा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने एक ओर आहारपुष्टि की कमी और दूसरी ओर कीटाणुओं के आक्रमणों के सम्बन्धित कारण खोजने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष अध्ययन प्रारम्भ किया है। यह कार्य परिषद् की आहारपुष्टि गवेषणा प्रयोगशाला, कुन्नूर में किया है।

(ख) यह देखा गया है कि बच्चों में आहारपुष्टि की कमी और बच्चों के रोगों में निकट का सम्बन्ध है। इस बात के कई प्रमाण हैं कि प्रोटीन सम्बन्धी आहार की कमी उन्हीं दिनों में तुलनात्मक रूप में अधिक होती है जबकि आंतड़ियों में अव्यवस्था भी अधिक होती है। यह भी बताया गया था कि बच्चों की आंतड़ियों में गोल कीटाणुओं की विद्यमानता प्रोटीनों के हज़म करने में बाधा डालती है और उससे प्रोटीन की कमी होती है।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति

†११४८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार वसूल न होने वाले ऋण को बट्टे खाते लिखने के लिये उड़ीसा में सहायता और प्रत्याभूति बाण्ड स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण ने प्रत्येक राज्य में कुल कितने ऋण को वसूल न किया जा सकने वाला समझ कर बड़े बट्टे खाते डाल दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं।

(ख) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने यह आंकड़े मालूम नहीं किये हैं।

रेलवे की आय

†११४९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५७ से १९५८ की जनवरी के अन्त तक और १९५६–५७ में इन्हीं महीनों की तुलना में रेलों को कितनी आय हुई है; और

(ख) इसमें वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :**

(क)

(लाख रुपयों में)

	१९५६–५७	१९५७–५८	परिवर्तन
अक्तूबर . . .	२७.७६	३०.८५	(+) ३.०९
नवम्बर . . .	२८.४३	३०.५४	(+) २.११
दिसम्बर . .	३०.१३	३२.०४	(+) १.९१
जनवरी . . .	२९.४९	३३.२२	(+) ३.७३
कुल . . .	११५,८१	१२६,६५	(+) १०.८४

(ख) इसमें वृद्धि का कारण आंशिक रूप से यह है कि यातायात बढ़ गया है और आंशिक कारण सामान और पार्सलों के आने जाने पर १ जुलाई, १९५७ से ६¼ प्रतिशत से १२½ प्रतिशत अनुपूरक शुल्क में वृद्धि है।

† मूल अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर में सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा

†**११५०. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में जम्मू और काश्मीर राज्य को निम्न मदों के अन्तर्गत कुल कितनी रकम दी गई है :—

(१) सामुदायिक परियोजनाएं ; और

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :**

	ऋण	अनुदान	
सामुदायिक विकास . .	२.० लाख रुपये	०.८ लाख रुपये	११-३-५८ तक
राष्ट्रीय विस्तार सेवा . .	६.५९ लाख पये	१५.५० लाख रुपये	
कुल . .	८.५९	१६.३०	

काश्मीर को केन्द्रीय सहायता

†**११५१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९५७–५८ में जम्मू और काश्मीर राज्य को निम्न मदों के अन्तर्गत दी गई सहायता की कुल रकम बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सड़क विकास;

(२) सुरंगें;

(३) पुल;

(४) मरम्मत, सड़कों में दर्रों और बर्फ की सफाई; और

(५) अधिकारियों के क्वार्टर और कुलियों की झोपड़ियां ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर).** (१) से (३) और (५) ११५ लाख रुपये। इस रकम में सुरंगों, पुलों, अधिकारियों के क्वार्टर और कुलियों की झोंपड़ियां सम्मिलित हैं तथा इन्हें पृथक् करने में अत्याधिक परिश्रम की आवश्यकता है।

(४) मरम्मत, और दर्रों से बर्फ हटाने के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य को सहायता के रूप में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

डी-लक्स रेलगाड़ियां

†**११५२. श्री वाजपेयी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में कितनी डी-लक्स रेलें आरम्भ की गई थीं ;

(ख) उन गाड़ियों में यात्रियों की कुल क्षमता कितनी है ;

† मूल अंग्रेजी में ।

(ग) इन सेवाओं में प्रतिदिन औसत खर्च कितना है ; और

(घ) इन से प्रतिदिन कितनी आय होती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ९ फरवरी, १९५७ से नई दिल्ली और मद्रास के बीच एक रेलगाड़ी सेवा ।

(ख) ९ फरवरी, १९५७ से १ फरवरी, १९५८ तक वातानुकूलित श्रेणी में २० बर्थ और तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में २४० सीटें ।

३ फरवरी १९५८ से वातानुकूलित श्रेणी में २० बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में १६० सीटें और तृतीय श्रेणी में २४० सीटें ।

(ग) प्रत्येक बारी के लिये अथवा हर रेलगाड़ी पर खर्च निर्धारित नहीं हो सकता है ।

(घ) ५२५० रुपये (लगभग) ।

नौवहन

†११५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में खाद्यान्नों के आयात और सरकारी माल ढोने के लिये भारत सरकार ने कितने भारतीय जहाज़ों को प्रयुक्त किया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विचार है कि १९५७ में ७० और १९५८ के प्रथम दो महीनों में १४ भारतीय स्वामित्व के जहाज प्रयुक्त किये गये थे इनमें से कुछ जहाज एक से अधिक बार प्रयुक्त किये गये हैं ।

रेलवे दुर्घटना

†११५४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालगाड़ी, संख्या १९१० (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) के २० माल डिब्बे १६ जनवरी, १९५८ को लुमडिंग और पाण्डू सैक्शनों के बीच लमास्कांग और लांकस स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १६ जनवरी, १९५८ को जब संख्या ९१० डाउन माल गाड़ी चल रही थी तो इंजन के पीछे ३२ से ५३ तक के २२ डिब्बे उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेल के लमास्कांग और लांकस स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गये । इसमें कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ख) इस के कारण की जांच की जा रही है ।

---

†मल अंग्रेजी में

पश्चिम रेलवे का गुड्स यार्ड

†११५५. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाक ब्रिज (बम्बई) पश्चिम रेलवे के गुड्स यार्ड के एजेंटों, मुकादमों और कुलियों ने अपनी शिकायतों और कठिनाइयों के बारे में अपने-अपने संगठनों की मार्फत रेलवे अधिकारियों को अनेक पत्र और अभ्यावेदन प्रेषित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक भी पत्र अथवा अभ्यावेदन की प्राप्ति स्वीकार अथवा उत्तर नहीं दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७ में पश्चिम रेलवे को एक और रेलवे बोर्ड को २५ नवम्बर, १९५७ और १० फरवरी १९५८ में दो—इस प्रकार तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी नहीं । १९५६ में प्राप्त अभ्यावेदन का पश्चिम रेलवे ने उत्तर दिया था। अन्य दो अभ्यावेदन पश्चिम रेलवे के पास परीक्षण एवं उत्तर के लिये भेज दिये गये हैं। अभ्यावेदनकर्ताओं को यह भी परामर्श दिया गया था कि द्वितीय अभ्यावेदन के मामले में यह किया गया है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड

†११५६. **श्री संगण्णा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड आरम्भ करने में देश के ग्रामदान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो आजकल ग्रामदान क्षेत्रों में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड विद्यमान हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: विभिन्न बातों का विचार करने के पश्चात् खंड स्थापित करने के यथार्थ स्थान राज्य सरकारें ही तय करती हैं। राज्यों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि नवीन खंड आरम्भ करते समय ग्रामदान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये ।

(ख) राज्यों से आशा की जाती है कि वे जहां तक सम्भव हो ऐसा ही करें ।

(ग) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में अधिक अन्न उपजाओ योजनायें

†११५७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिये पिछले महीने २ करोड़ ७० लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया है ;

(ख) यह ऋण किन-किन विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से अभी तक विभिन्न योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश को कम अथवा लम्बी अवधि वाले ऋण और अनुदानों के रूप में कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां। जनवरी, १९५८ में २७०.०० लाख रुपये का थोड़ी अवधि के लिये ऋण स्वीकार किया गया है।

(ख) दालों के सुधरे हुए बीज और उर्वरक के वितरण एवं खरीद के लिये यह ऋण स्वीकार किया गया है।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदानों एवं थोड़ी और लम्बी अवधि वाले ऋण के रूप में निम्नलिखित कुल केन्द्रीय सहायता दी गई है।

अनुदान	लम्बी अवधि के लिये ऋण	थोड़ी अवधि के लिये ऋण
१०९.३५ लाख रुपये	४७०.०९ लाख रुपये	५७५.९७ लाख रुपये

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

†**११५८. श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के कुल कितने दायित्व को सरकार ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) इन चीनी मिलों के संचालन और गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत नियमित रूप से अदा करने के लिये सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं ; इस कार्य के लिये प्रभारी व्यक्तियों के नाम और उनका पारिश्रमिक क्या है ;

(ग) सरकार इन मिलों द्वारा उत्पादित चीनी को लाने और ले जाने तथा उसे बेचने के बारे में अन्य चीनी मिलों की तुलना में इन मिलों को क्या-क्या सुविधाएं देती है ; और

(घ) सिसवा, खडा (नियंत्रण अधीन) और छितौनी चीनी मिलों में चीनी की कीमतों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) सरकारी नियंत्रण के अधीन उत्तर प्रदेश की तीन चीनी के कारखानों का कुल दायित्व इस प्रकार है :—

डोईवाला	कुछ नहीं ।
मुहीउद्दीनपुर	निर्धारित आयकर के लेखे में लगभग ३ लाख रुपये और अनिर्धारित आयकर के लेखे में लगभग १५ लाख पये ।
खडा	लगभग २३ लाख रुपये ।

(ख) उपरोक्त फैक्टरियां आजकल श्री के० पी० जैन, निदेशक (चीनी टेकनीकल) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन है। इस अधिकारी को मुहीउद्दीन फैक्टरी से केवल ३०० रुपये मासिक मानदेय मिलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डोईवाला और मुहीउद्दीन फैक्टरियों की बैंक-व्यवस्था है और बैंकों के पास चीनी के स्टाक के अन्तर्गत रकम निकाल कर वे गन्ने की कीमत नियमित रूप से अदा करने में समर्थ हैं। खडा फैक्टरी में अत्यधिक दायित्व के कारण बैंकिंग व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकी है। अतः यह चीनी के बिकने और उसे भेजने के बाद ही गन्ने की कीमत चुका सकती है। बकाया रकम चुकाने के लिये जनवरी और फरवरी, में एकत्रित चीनी का काफी हिस्सा बेच दिया गया है। उपरोक्त चीनी के बिकने पर बकाया रकम रोजमर्रा अदा की जा रही है। भविष्य में नियमित अदायगी सुनिश्चित करने के लिये चीनी की बिक्री जारी है।

(ग) डोईवाला और मुहीउद्दीन के मामले में एक भी नहीं। खडा फैक्टरी के बारे में उत्पादित चीनी बाजार में बिक्री के लिये हर सप्ताह भेज दी जाती है ताकि गन्ने की कीमत और मजदूरों की मजदूरी चुकाई जा सके। आवश्यकता होने पर चीनी के लाने-ले जाने में भी सहायता दी जाती है।

(घ) सिसवा, खडा और छितौनी फैक्टरियों में बिक्री की साप्ताहिक औसत कीमतें बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३८]**

"स्वस्थ हिन्द"

११५९. श्री क० भे० मालवीय : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय "स्वस्थ हिन्द" की कितनी प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं ;

(ख) कितनी प्रतियां निःशुल्क वितरित की जाती हैं ;

(ग) क्या यह पत्रिका हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). ३,००० प्रतियां।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

फ्रीज़ ड्राइंग मशीनें[14]

†**११६०. श्री पु० बि० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था, बरेली, (२) कसौली, और (३) रोगाणु (जैविक) उत्पाद केन्द्र, लखनऊ में प्रतिस्थापित फ्रीज ड्राइंग मशीन की संख्या, वर्ष और उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर पूर्णतः मशीनों के निर्वहन के लिये नियत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, सेवा दशायें, वेतन दर या पारिश्रमिक और नियुक्ति की तिथियां क्या-क्या हैं; और

(ग) सम्बन्धित मशीनों के पुर्जों और प्रत्येक स्थान पर आयात किये जाने वाले आकन्द[15] पर कितना वार्षिक खर्च किया गया है और जिन समवायों से इन्हें खरीदा गया है उनके क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Freeze Drying machines.

[15]Ampouls.

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिट ४ अनुबन्ध संख्या १३९**]

भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर, इत्यादि

†**११६१. श्री पु० बि० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर, और (२) रोगाणु उत्पाद केन्द्र, लखनऊ में विगत दो वर्षों में उत्पादित वस्तुओं की कितनी कीमत है ; और

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री पर विगत दो वर्षों में कितना खर्च किया गया है और इस अवधि में भारत तथा विदेशों में कुल कितनी कीमत की वस्तुएं बेची गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख), जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

गण्डक परियोजना

†**११६२. श्री झूलन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले उत्तर के बाद गण्डक परियोजना के सम्बन्ध में क्या और प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : गण्डक परियोजना प्रतिवेदन की परिनिरीक्षा में कुछ और समय लगेगा। योजना निष्पादित करने के सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है ।

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी

†**११६३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री उन सेवा निवृत्त रेलवे अधिकारियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें आज-कल गैर सरकारी उद्योगों में २००० रुपये मासिक से अधिक मिल रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश भारत की गैर सरकारी सार्थों से है। वर्तमान नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति वेतन योग्य रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के भीतर नियोजन की अनुमति लेना आवश्यक है। गैर सरकारी उद्योगों में नियोजन स्वीकार करने के लिये किसी भी सेवानिवृत्त पेंशनशुदा अधिकारी की ओर से पिछले दो वर्षों में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। जिन रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति वेतन नहीं मिलता है उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात् नौकरी करने के लिये अनुमति नहीं लेनी पड़ती है ।

रेलवे सम्बन्धी कागजात का गुम होना

†**११६४. श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अतिरिक्त किराया रसीदें, पार्सल के बिल, रेलवे विभाग की रेलवे रसीदें आदि अनेक महत्वपूर्ण कागजात खोने के नोटिस अखबारों में निकलते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन कागजात के खोने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिये कुछ प्रयत्न किये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

(घ) इन रेलवे कागजात की सुरक्षा के लिये स्थायी अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । कालावधिक निरीक्षणों द्वारा भी इन्हें क्रियान्वित किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर

११६५. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९५७–५८ में पंचायतों द्वारा कितने पंचायत घर बनाये गये; और

(ख) उनके निर्माण के लिये सरकार ने कितना धन दिया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) . सरकार द्वारा ५० प्रतिशत अनुदान एवं पंचायतों द्वारा रुपये पैसे, सामान तथा श्रम के रूप में ५० प्रतिशत अंशदान के आधार पर २० पंचायत घरों के निर्माण के लिये १९५७–५८ में १,००,००० पये रखे गये थे । लेकिन योजना की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण, चालू वित्तीय वर्ष में कोई निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका । १९५८–५९ में इन पंचायत घरों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाने का विचार है ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

११६६. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ में सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को कितनी धन-राशि दी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : सूचना एकत्र की जा रही है जो मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में सहकारिता अन्दोलन

†**११६७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: "सहकारिता" राज्य विषय है अतः पंजाब सरकार समेत किसी भी राज्य को सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के बारे में केन्द्रीय सरकार का

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ३० जून को समाप्त होने वाले 'सहकारिता वर्ष' के लिये सहकारी समितियों और विभागों के कार्य संचालन के बारे में राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की एक प्रति पंजाब सरकार से प्राप्त हो गई है।

देवरिया और गोरखपुर में चीनी मिलें

†११६८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवरिया और गोरखपुर की चीनी मिलों को गन्ने की कितनी कीमत चुकाना बाकी है ; और

(ख) सरकार ने उसके लिये क्या प्रयत्न किये हैं अथवा करने का विचार है कि उपरोक्त बकाया राशि वसल हो कर भविष्य में नियमित अदायगी हो ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) पिछले वर्षों के सम्बन्ध में कोई बकाया राशि नहीं है। चालू सत्र के सम्बन्ध में, १५ फरवरी, १९५८ को स्थिति इस प्रकार थी :—

फैक्टरी का नाम	१५-२-५८ तक खरीदे गये गन्ने की कुल कीमत	१५-२-५८ तक दी गई रकम	बकाया राशि
	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
पिपराइच .	२२.९१	१८.४९	४.४२
घुघली . .	२३.८३	१६.९९	६.८४
सिसवा बाजार .	१८.९७	१४.७४	४.२३
फरेन्दा	२६.२८	२२.९२	३.४६
परताबपुर.	२१.९९	१५.३९	६.६०
बैतालपुर	१३.९९	१६.३०	७.६९
गौरी बाजार	२२.४०	१९.१३	३.२७
देवरिया .	२३.६३	१७.९४	५.६९
कैप्टेनगंज	२९.२३	२३.५९	५.६४
खड्डा .	१६.५६	८.५०	८.०६
चित्तौनी .	२२.५१	१६.६०	५.९१
लक्ष्मीगंज . .	२०.०७	१४.३०	५.७७
रामकोला (एम०के०)	२२.९०	१९.३१	३.५९
रामकोला (पी) .	३६.२७	२५.४०	१०.८७
पट्रौना.	२६.५७	२१.२७	५.३०
कथ कुइयान	१८.०६	१३.५२	४.५४
सेवराही	२८.१४	२६.१८	१.९६
भतनी .	११.५९	८.४५	३.१४
सरदारनगर	५७.३७	४१.०२	१६.३५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ के अन्तर्गत चीनी मिलों को गन्ना मिलने के चौदह दिन के भीतर अदायगी करना पड़ता है। अदायगी में अनुचित विलम्ब होने पर बकाया राशि दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है।

आन्ध्र में भूमि संरक्षण

†११६९. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भूमि संरक्षण के लिये चालू वर्ष कितनी रकम आवंटित की गई है;

(ख) स्वीकृत योजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९.८१ लाख रुपये।

(ख) १. भूमि संरक्षण गवेषणा केन्द्र के लिये योजना साहिबनगर आंध्र प्रदेश सरकार।

२. केसूटिना की पैदायश बढ़ाने के लिये योजना।

३. मचकुण्ड बेसीन के लिये भूमि संरक्षण योजना

४. विशाखपत्तनम के रायछोटी पेडुर्थी में भूमि संरक्षण।

५. तेलंगाना क्षेत्र में सिरे पर बांध बनाया जा रहा है।

६. अराकु घाटी के लिये अग्रिम प्रदर्शन योजना।

७. अनन्तपुर जिले में कुरनूल में लाल मिट्टी के बारे में योजना।

८. तैलंगाना प्रदेश में सूखी और विनाष्टिग्रस्त भूमि में वनीकरण तथा कटाव-विरोधी योजना।

९. कुरनूल और अनन्तपुर जिले में काली मिट्टी प्रकरण योजना

(ग) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ३.१२ लाख रुपये।

आन्ध्र में भाण्डा और गार

†११७०. **श्री मं० वें० कृष्णराव**। क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भाण्डागार निर्माण के लिये किन-किन स्थानों का चुनाव किया गया है; और

(ख) प्रत्येक की अनुमानित लागत क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९५८-५९ में आंध्र प्रदेश में भाण्डागार प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने अस्थायी रूप से निम्न स्थानों का चुनाव किया है :—

१. वारंगल
२. गुन्टूर
३. राजमुन्दरी या ताडेपल्लीगुडेम

मूल अंग्रेजी में

(ख) ५००० टन की भाण्डार क्षमता वाले भाण्डागार के लिये स्थान और सम्बद्ध इमारत का खर्च मिला कर अनुमानित लागत लगभग ५ लाख रुपये है।

आयात किया गया खाद्यान्न

†११७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९५८ के पश्चात् भारत में विदेशों से मंगाये खाद्यान्न की कीमत कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : ३१ जनवरी से फरवरी, १९५८ के अंत तक सरकारी खाते में विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्न की कीमत, जिसमें भाड़ा सम्मिलित है, लगभग ७४१ लाख रुपये है ।

दरवली रेलवे स्टेशन

११७२. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के दिलदार नगर और जमानिया रेलवे स्टेशनों के बीच दरवली गांव में एक स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में जिला गाजीपुर के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिये इस जगह हाल्ट स्टेशन खोलने का फैसला किया गया है जिसका संचालन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । इस फैसले को अमल में लाने के लिये पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं ।

मृगवन

†११७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किन-किन स्थानों में मृगवन स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) क्या इस खर्च में भारत सरकार कुछ हिस्सा बटायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अनुमानित खर्च कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य निम्नलिखित नवीन आखेट वन अथवा मृगवन[1] स्थापित करने का विचार रखते हैं :—

राज्य	मृगवन
१. मध्य प्रदेश . . .	(१) शिवपुरी नेशनल पार्क
	(२) अयरकटंक आखेट वन
२. बम्बई . . .	(१) राधानगरी आखेट वन
	(२) डंडेली आखेट वन
	(३) तरोबा नेशनल पार्क

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sanctuaries

	राज्य	मृगवन
३.	केरल . . .	(१) पीची आखेट वन
४.	आंध्र प्रदेश . . .	(१) श्री वेंकटेश्वर आखेट वन
५.	राजस्थान. . .	(१) सवाई माधोपुर आखेट वन (२) राम सागर (धोलपुर) आखेट वन (३) बान विहार आखेट वन
६.	उड़ीसा . . .	(१) सिमलीपाल नेशनल पार्क
७.	उत्तर प्रदेश . .	(१) मालन आखेट वन (२) चन्द्रप्रभा आखेट वन
८.	पंजाब . . .	उपयुक्त स्थानों में ३ या अधिक आखेट वन स्थापित करने का विचार है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत वन्य जीवन संरक्षण, जिसमें नेशनल पार्कों का विकास भी सम्मिलित है, आखेट वन और चिड़िया घरों से सम्बन्धित योजनाओं पर १३५ लाख रुपये का उपबन्ध है। वित्तीय सहायता के प्रारूप के अनुसार भारत सरकार केवल अनावर्ती खर्च का पचास प्रतिशत भाग वहन करती है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या १० पर पुल

†११७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-फाजिल्का राष्ट्रीय राजपथ संख्या १० पर कितने बड़े पुलों की मरम्मत हो रही अथवा अभी उन्हें बनाया जा रहा है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस पर कितने खर्च का अनुमान है; और

(ग) मरम्मत सम्बन्धी कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) दिल्ली-फाजिल्का राष्ट्रीय राजपथ संख्या १० पर अभी किसी बड़े पुल की मरम्मत अथवा निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दण्डकारण्य को रेलवे लाइन

†११७५. **श्री प्र० के० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में नवीन रेल मार्ग निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में मछलियों का संभरण

†११७६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के लोगों की मछलियों की दैनिक औसत आवश्यकता कितनी है और त्रिपुरा में अन्दर तथा बाहर से प्राप्त होने पर मछलियों का औसतन दैनिक सम्भरण कितना है ।

(ख) क्या सोनपुरा डिवीजन में रुद्र सागर में मछलियां पकड़ना और उस सागर से अगरतला सहित त्रिपुरा के अन्य भागों में मछलियों का सम्भरण जारी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा दैनिक उपलब्ध होती है और अगरतला टाऊन के निवासियों के लिये प्रतिदिन कितनी मात्रा उपलब्ध होती है; और

(घ) त्रिपुरा के किन किन भागों में और कितनी-कितनी मात्रा में प्रतिदिन मछलियां उपलब्ध होती हैं और त्रिपुरा के किन-किन भागों में मछलियां सम्भारित की जाती हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) दैनिक औसत आवश्यकता २५० मन है इसमें से ६० मन का संभरण बाहर से किया जाता है। भीतरी साधनों से संभरित होने वाली मछलियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रतिदिन औसत रूप से उपलब्ध होने वाली मछलियों की मात्रा ६ मन है । इनमें से डेढ़ मन अगरतल्ला में संभरित की जाती है ।

(घ) मछली त्रिपुरा के अधिकांश भागों में उपलब्ध है परन्तु विभिन्न भागों में दैनिक सम्भरण के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

रेलवे वायरलेस आपरेटर

११७७. **श्री रामजी वर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक जोन में १ जनवरी, १९५८ को कुल कितने वायरलेस आपरेटर काम कर रहे थे ; और

(ख) वायरलेस आपरेटरों का वर्तमान वेतन-क्रम और उनकी वेतन वृद्धि का क्रम क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

रेलवे	तादाद
मध्य . . .	७६
पूर्व . . .	९४
पूर्वोत्तर . . .	६९
पूर्वोत्तर सीमा . .	३०
उत्तर . . .	९६
दक्षिण . . .	१०६
दक्षिण-पूर्व . . .	९८
पश्चिम . . .	८०

(ख) ८०–५–१२० कु० रो० ८–२००–१०/२–२२० रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

*कु० रो०—कुशलता रोध

हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट पालन केन्द्र

११७८. श्री पद्म देव: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने कुक्कुट पालन केन्द्र कहां-कहां पर हैं ;

(ख) इन पर अब तक कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) ग्रामों में कितने मुर्गे और मुर्गियों को इनकी नस्ल सुधारने के लिये बांटा गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थासम) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी मांगी हुई है और मिलते ही इसको सभा की टेबल पर रख दिया जायेगा ।

वातानुकूलित रेल गाड़ियां

†**११७९. श्री दामानी :** क्या रेलवे मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि १९५६–५७ में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक वातानुकूलित, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में क्रमश: यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जोन के अनुसार संख्या दी गई हो ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५६–५७ में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक वातानूकूलित, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जोन के अनुसार संख्या बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४०]**

सामलकोट रेलवे स्टेशन

†**११८०. श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामलकोट स्टेशन का निर्माण और यार्ड का नवीकरण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना काम हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) सामलकोट स्टेशन की वर्तमान यातायात सुविधायें सर्वथा पर्याप्त हैं और सामलकोट स्टेशन तथा यार्ड के नवीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चाम राजनगर–सत्यमंगलम् रेलमार्ग

†**११८१. श्री सिदय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर-सत्यमंगलम् रेलमार्ग के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और(ख). इस मार्ग का पृथक परियोजना के रूप में अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु चामराजनगर-सत्यमंगलम्-मेतु पल्लयम्/कोयम्बटूर

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना के अंगरूप में १९४८-४९ में साढ़े चार लाख रुपये के अनुमानित लागत से इसका सर्वेक्षण गया था ।

डाकखानों में गबन

†११८२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५५ और १९५६ की तुलना में १९५७ के दौरान डाकखानों में गबन के कितने मामलों का पता लगा है ;

(ख) इन गबन के मामलों में कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ग) गबन की गई रकम में से कितनी रकम वसूल हुई ;

(घ) इन गबन के मामलों में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ङ) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ;

(च) कितने व्यक्तियों को सजायें दी गईं ; और

(छ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (छ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस

११८३. श्री मानकभाई अग्रवाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ता के मुकाबले में दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस की बसों के किरायों में प्रथम दस मील पर मीलवार कितना अन्तर है ;

(ख) क्या सरकार का इरादा है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस की बसों के किराये बम्बई और कलकत्ते के समान किये जायें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलकत्ता और बम्बई के मौजूदा बसों के किराये के मुकाबले दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस के बसों के किराये के विषय में एक तुलनात्मक विवरण साथ लगा दिया गया है ।

(ख) और (ग). डी० टी० एस० बसों का न्यूनतम किराया बम्बई और कलकत्ता की अपेक्षा कम है । अन्यथा दिल्ली में पहले १० मीलों का बस-किराया इन दो शहरों से थोड़ा ही ज्यादा है । लम्बे फासलों के लिये डी० टी० एस० बसों का किराया आम तौर पर एकसा है और कहीं कहीं पर इन बन्दरगाह स्थित दोनों शहरों से भी कम है । इसके अलावा देहली-रोड ट्रांसपोर्ट ने बस-यात्रियों

†मूल अंग्रेजी में

को कुछ खास रियायतें दी हुई हैं जो बम्बई और कलकत्ता में उपलब्ध नहीं हैं। देहली के बस-किरायों को उक्त दोनों बन्दरगाह स्थित नगरो में प्रचलित बस-किरायों के स्तर तक लाना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीनों नगरों की बस-परिचालन व्यवस्था एक सी नहीं है।

पंजाब में वन विकास

†११८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंजाब राज्य ने वन विकास के लिये १९५८–५९ में कितनी रकम मांगी है ;

(ख) अनुदान स्वरूप कितनी रकम दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) २७,१८,००० रुपये।

(ख) स्वीकृत रकम का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

केन्द्रीय सहायता		राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम	
ऋण	राज सहायता	कुल	राज्य सरकार
रु०	रु०	रु०	रु०
२,००,०००	१४,०००	२,१४,०००,	१९,१८,०००

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली, दिल्ली गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ १२ (१५४)/५६—एम टी एन्ड सी ई/होम, दिनांक २८ नवम्बर, १९५७।

(२) मोटर गाड़ी नियम १९४० में कुछ संशोधन करने वाली, दिल्ली गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ १२/३८/५७/एम एन्ड पी जी/होम, दिनांक २८ नवम्बर, १९५७।

(३) त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली त्रिपुरा गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ ४ (६४)—एम वी०/५७ दिनांक २० सितम्बर, १९५७। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ५८१/५८]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) पश्चिमी बंगाल चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला एस० आर० ओ० संख्या ४७०, दिनांक ८ फरवरी, १९५८।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

(२) एस० आर० ओ० संख्या ५००, दिनांक ६ फरवरी, १९५८ जिसमें चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(३) चावल (रेल द्वारा भेजने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या १, दिनांक १० फरवरी, १९५८ ।

(४) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या १८, दिनांक १३ फरवरी, १९५८ ।

(५) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७६, दिनांक २६ फरवरी, १९५८ । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—५८२-५८]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या* २ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोजन प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोजन प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १० मार्च, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २ अनुभाग २, दिनांक ११–३–५८ में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १० मार्च, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक में ७१५,५२,८१,००० रु० की मांग की गई है जब कि सारे वर्ष का कुल अनुमानित व्यय केवल ८१२ करोड़ है । अतः विनियोग विधेयक की राशि सारे वर्ष के व्यय का लगभग ९० प्रतिशत हुई । संविधान के अनुच्छेद ११६ में कहा गया है कि वर्ष के एक भाग के लिये ही विनियोग की मांग की जायगी । यह एक भाग १५ दिन, १ महीना या ११ महीने भी हो सकता है । अतः इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये । अन्यथा वर्ष का सारा व्यय विनियोग द्वारा मांगा जायगा और हमें उस पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह साधारण विनियोग विधेयक नहीं है बल्कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक है । इस विधेयक पर परम्परा के अनुसार चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती । जब लेखानुदान स्वीकृत किये जा रहे थे उस समय इस बात पर चर्चा उठाई जा सकती थी कि विनियोग की राशि बहुत अधिक है । आरम्भ से ही यही परम्परा रही है कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती । ५ मार्च, १९५२ को श्री पं० शा० देशमुख को, जो उस समय सदस्य थे और आज मंत्री हैं, श्री मावलंकर ने भी यही उत्तर दिया था कि इस अवस्था में चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : इसकी सीमा होनी चाहिये कि कितने अनुपात से विनियोग की अनुमति दी जाये । अन्यथा ये सब बेकार हो जाता है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक मैं समझता हूं सारी बात यह है कि विनियोग १ महीने के व्यय का दिया जाता है ताकि मांगों पर एक समय अधिक तरक और चर्चा की जा सके। यह व्यय एक ही महीने का है । आंकड़े बड़े जरूर दिखाई देते हैं । इसका कारण यह है कि ७१५ करोड़ में ५२२ करोड़ की राशि ऋण के भुगतान के लिये है । अतः वास्तविक आंकड़े एक ही महीने के व्यय के हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेखानुदान की मांगों की पुस्तिका में यह सब दिया हुआ है कि लेखानुदान कितना और कितने समय के लिये मांगा जा रहा है । यदि माननीय सदस्य को कुछ पूछना था तो

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

[अध्यक्ष महोदय]

वे मांगों को स्वीकृत करते समय पूछ सकते थे। दूसरी बात ऋणों के भुगतान के बारे में है जिससे राशि इतनी बढ़ गई है। राज्यों को अनुदान, देशी राजाओं को थैलियां, अनाज की खरीद के लिये रुपये आदि भुगतान तो करने ही हैं। खैर मैं अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

जो माननीय सदस्य पक्ष में हों, वे 'हां' कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'हां'।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो माननीय सदस्य विपक्ष में हों, वे 'नहीं' कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'नहीं'।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में रहा।

†**कुछ माननीय सदस्य** 'नहीं' वालों के पक्ष में रहा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं घण्टी बजवा रहा हूं।

इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करें। इस सम्बन्ध में पुरानी तथा सुस्थापित परम्परा है और उसे तोड़ना ठीक नहीं होगा। विनियोग विधेयक अनुदानों को मूल मांगों तथा अनुपूरक मांगों के बाद रखा जाता है। इन मांगों के समय चर्चा के लिये काफी समय मिलता है। विनियोग विधेयक उन्हीं मांगों के सम्बन्ध में होता है जिन पर चर्चा हो चुकी है अतः दोबारा उन पर चर्चा का अवसर नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लेखानुदान की मांगों के सम्बन्ध में यदि किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी हो तो उसके सम्बन्ध में सदस्य अध्यक्ष को सूचना दे सकते हैं कि किन विशेष बातों पर वे चर्चा करना चाहते हैं ।

लेखानुदानों के पारित होने के बाद विनियोग विधेयक पर चर्चा नहीं की जाती, ऐसी परम्परा है। इस सम्बन्ध में मैं इतनी रियायत दे सकता हूं कि लेखानुदान की मांगों के समय चर्चा की अनुमति दी जाया करे पर विनियोग विधेयक के समय नहीं ।

एक बात मैं और चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ जो टिप्पण है उसमें कुछ अधिक व्याख्या दी गई होती तो ज्यादा अच्छा होता ताकि लेखानुदानों के समय माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से समझ पायें कि वे किस व्यय की स्वीकृति दे रहे हैं। अतः परम्परा को ध्यान में रखते हुये राशियों की कुछ अधिक ब्यौरेवार व्याख्या होनी चाहिये ।

अतः मैं परम्परा में इतना रूपभेद कर रहा हूं कि लेखानुदान की मांगों के समय प्रश्न पूछे जा सकते हैं और व्याख्या मांगी जा सकती है और उनका उत्तर दिया जा सकता है ताकि माननीय सदस्य भली प्रकार समझ लें कि किन किन मदों में व्यय की मांग की जा रही है । अब मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, आपने जो कहा है वही जहां तक मुझे पता है, अब तक प्रथा रही है । मैं नहीं जानता कि रूपभेद की क्या आवश्यकता आ गई । इसका उद्देश्य यह है कि सभा को चर्चा करने का पूरा अवसर दिया जाये । परन्तु यहां तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्रतिबन्ध लगाया जा रहा हो । वास्तव में इसका उद्देश्य सभा को चर्चा के लिये अधिक अवसर प्रदान करना है । यह तभी हो सकता है जब ३१ मार्च को समापन प्रस्ताव जैसी कोई चीज़ सामने न आये। चर्चा के लिये पूरा एक मास मिले, इसलिये एक मास के लिये तदर्थ लेखानुदान पारित करने की प्रक्रिया निकाली गई है । इसके पश्चात् समस्त प्रश्न पर पूर्णतः चर्चा होगी । इसके सम्बन्ध में आपने कहा है कि अधिक ब्यौरा दिया जाये । मैं इससे सहमत हूं । वास्तव में जानकारी तो दी ही गई है। किन्तु मुख्य बात तो लेखानुदान की है । शेष कुछ ऐसे मद हैं जिन पर सामान्यतया मतदान नहीं होता । मेरे पास पूरा पूरा ब्यौरा है और मैं समझता हूं कि इसे सदस्यों को दिया जा चुका है ।

†**श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश)** : हमें एक मास में ५२२ करोड़ रुपये तो नहीं देने हैं । यह राशि यहां क्यों रखी गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस समय इस सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं करना चाहता । मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिस प्रथा को हम हर साल अपनाते चले आये हैं उसे चुनौती देना बड़ा ही गम्भीर विषय है । ऐसे तो कोई भी प्रथा नहीं चल सकती । जब भी चुनौती दी जाती है तभी काम करना कठिन हो जाता है । आपका यह कहना दूसरी बात है कि इस विषय में और अधिक ब्यौरे दिये जाने चाहियें । मैं आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत हूं । समस्त मामले पर बाद में पूर्ण रूप से चर्चा होगी ही । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य आयव्ययक---सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम २०७ (१) की ओर दिलाता हूं। इस समय सामान्य बातों पर ही चर्चा होगी। सदस्य बजट के ढांचे पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जहां तक सामान्यों शिकायतों का सम्बन्ध है उन्हें वित्त विधेयक के समय ही प्रस्तुत किया जाये और व्यय आदि के ब्यौरे की चर्चा मांगों के समय की जाये। प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट का समय होगा और वित्त मंत्री को एक घण्टे का समय दिया जायगा। विभिन्न दलों के नेताओं को ३० मिनट दिये जायेंगे।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर–मध्य) : श्रीमान हम तो समझते थे कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वित्त विभाग का प्रभार संभालना उचित है किन्तु वह कहते हैं कि उन्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई तथा वह इस कार्य के योग्य नहीं हैं। अब नया परिवर्तन होगा किन्तु हमारी प्रार्थना है कि परिवर्तन अच्छा होना चाहिये।

इस आयव्ययक में कोई नया रोमांचकारी कराधान प्रस्ताव नहीं---कोई नवीन बात नहीं। शायद इसका अधिक प्रभाव जनसाधारण पर ही पड़ता है। हमें आशा थी कि अब लोगों को आराम मिलेगा किन्तु नहीं।

अब की बार व्यय में वृद्धि हुई है---हम यह नहीं कह सकते कि यह वृद्धि कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने के कारण हुई है।

मूल्यों में गत वर्ष की अपेक्षा ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का अभाव है। मध्यम वर्ग के लोगों तथा मजूरों की हालत खराब से खराबतर हो गई है।

यह आयव्ययक लोगों पर बड़ा भारी भार है। किन्तु देश में अब यह भावना पैदा कर दी गई है कि जो कुछ हुआ वह पिछले वर्ष हुआ अब की स्थिति ठीक ही रखी गयी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि नयी परिस्थितियां भी पैदा हो गई हैं।

नयी परिस्थितियां यह हैं कि डालर सहायता की आशा हो गई है---इस से अखबारों वाले तथा कांग्रेस वाले तो अतिशय प्रसन्न हैं।

चलो---हमें यह सहायता ले लेनी चाहिये। यदि उनकी चीजें वास्तव में अच्छी हों तो लेना ठीक है। उन्हें २½ प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लेना चाहिये।

इसके साथ फ्रांस, जापान तथा रूस की सहायता है। रूस की सहायता में तो नवीनता है। किन्तु अमरीकी सहायता के बारे में तो यह प्रचार किया जा रहा है कि अमरीका वाले सहानुभूति से हमारी सहायता कर रहे हैं उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है।

किन्तु मैं यह नहीं समझता कि हम अमरीकी पूंजीपतियों के हाथों खेलें। वास्तव में इस समय अमरीका में मन्दे की स्थिति पैदा हो रही है। वहां माल इकट्ठा होता जा

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है । उन्हें उसको खपाना है । वही वह भारत को भेज रहे हैं । डालर सहायता इसी कारण से मिल रही है ।

जहां तक अमरीकी सहायता की निस्वार्थता का प्रश्न है यह बात आप पत्रिका को पढ़ कर जान सकते हैं जिसका नाम "वर्ल्ड इकानोमिक सर्वे" है । उस में लिखा है कि हाल ही के वर्षों में अमेरिका को भूतपूर्व विनियोजनों से ही बहुत प्राप्ति होती रही है ।

लोगों का यह विचार गलत है कि अमरीका वालों को ऋणों से कुछ नहीं मिलता । वास्तव में उस से तो उन्हें बड़ा लाभ मिलता है । वे लोग पक्के लाभ कमाने वाले व्यापारियों की भांति हैं ।

इसलिये हमें इस दशा में सतर्क रहने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है । वास्तव में इस सहायता में कोई न कोई नयी बात है ।

चलो हम भी तो एक तरह से अमरीका वालों की सहायता कर रहे हैं क्योंकि इस समय वहां मंदा है और वे भी संकट में हैं ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि तेजी का काल जो १९५३ से आरम्भ हुआ १९५६ में समाप्त हुआ । उत्पादन की गति धीमी हो गई है । अब तेजी की समाप्ति के प्रभावों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कपड़े के कारखाने बंद होते दिखाई दे रहे हैं । उत्पादन शुल्क असहाय हो रहा है । अम्बर चर्खा को सहायता देने से क्या होगा ? हम क्यों रुपया बर्बाद कर रहे हैं ? अम्बर चर्खे की योजना से बेकारी दूर नहीं हो सकती । गांवों में दस्तकारियां होनी चाहियें । कारखाने बंद होने से बेकारी और भी बढ़ेगी ।

यह हमें कुछ भी पता नहीं कि स्थिति पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी । मुद्रास्फीति का प्रभाव लोगों को दबा रहा है । इस मंदी का श्रमिकों तथा मजदूरों तथा बीच के लोगों पर प्रभाव दिखाई देने लग गया है । कपड़े के कारखानों की बन्दी स्पष्ट दिखाई दे रही है । वह कराधान भार से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं । इसीलिये स्थिति में नवीनता है ।

अभी हाल ही में भारतीय वाणिज्य मंडल की बैठक में प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया गया था । वास्तव में इन वाणिज्यकों को सरकार को सुझाव देने चाहियें जिन से सरकार तथा देश का कल्याण हो किन्तु उनकी पहली मांग यही होती है कि राष्ट्रीयकरण समाप्त कर दो । पूंजीपतियों का पहला नारा यही है । किसी दिन यह लोग यह भी कह सकते हैं कि लोहे के कारखाने भी इन्हें ही दे दिये जायें । वह लोग लाभकर तथा आयकर को बुरा मानते हैं । उनकी इच्छा है कि सभी कर हटा लिये जाने चाहियें । इन्हीं की प्रशंसा की जा रही है । यदि यह लोग यह बातें करते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि सभी बैंकों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये । ये लोग सदाचारी बन जाते हैं और निर्धन श्रमिक कदाचारी ।

आप तनिक इन धनियों की नैतिकता तो देखिये । यह लोग लाभ कमाते हैं और करों का अपबंधन करते हैं । क्या इनका नैतिक कर्तव्य यही है ? गत तीन

[श्री अ० डांगे]

वर्षों का इतिहास क्या है ? यह लोग अक्सर उपहार दे देकर सम्पदा शुल्क से भी बच जाते हैं । इसी कर का नहीं बल्कि समस्त करों का अपवंचन किया जाता है । शायद वे दान कर से भी बच जायें क्योंकि वे तो बड़े बड़े वकीलों से सहाहता प्राप्त कर लेते हैं । इन लोगों को सहायता इसा लिये दी जाता है कि वे करों का अपवंचन करें । इन्हीं लोगों की चालाकियों के कारण वित्त मंत्री को विवश होकर दान कर लगाना पड़ा है । इस से इनको आशा है कि सम्पदा शुल्क की भी कमी को पूर्ति हो जायेगी । आप चाहे कुछ भी कर लें किन्तु कठिनाइयां बढ़ती ही जायेंगी क्योंकि पूंजी के स्रोत पर इन्हीं अनैतिक लोगों का कब्जा है । इनका इलाज गांधीवादी तरीके पर नहीं हो सकता । अतः इस प्रकार का अपवंचन रोकने के लिये प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी चाहिये ।

अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधान मंत्री जमशेदपुर के ५०वें जुबली समारोह में सम्मिलित हुए थे । उस कारखाने का उपक्रम कितना महान व्यक्ति था जिसने किसी की सहायता के बिना ही जंगलों में जाकर काम चालू किया । किन्तु उसके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं ? वे अमरीका से ऋण मांगते हैं—कर देना नहीं चाहते । आज के उद्योग-पतियों का पतन हो चुका है । इन लोगों को केवल लाभ से ही मतलब है ।

आज जमशेदपुर आदि में क्या हो रहा है । श्रमिकों की छोटी-छोटी मांगों को रद्द कर दिया जाता है । ये लोग गिर गये हैं । यह प्राकृतिक बात है ।

अब यह प्रश्न उठता है कि हम पूंजी के आक्रमण का सामना कैसे करें ? पूंजीपति सरकारी क्षेत्र का विकास नहीं चाहते । वास्तव में हमें योजना के सारवान भाग को क्रियान्वित करना ही चाहिये । बड़ी ढलाई को कुल बताया ही नहीं गया । यदि वहां पर काम न हुआ तो हम अपने यार्डों में बड़े जहाजों का निर्माण नहीं कर सकेंगे । अतः योजना के सारवान भाग का क्रियान्वित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । जहां तक भारी उद्योगों की क्रियान्विति का सम्बन्ध है हम योजना का पूर्णतम पक्ष करते हैं । हम आशा करते हैं कि सरकार सारवान भाग को क्रियान्वित करने पर जमी रहेगी ।

जहां तक योजना के लिये धन की आवश्यकता का सम्बन्ध है हमें चाहिये कि हम धन ढूंढें । हम २०० करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था के पक्ष में भी हैं किन्तु हमें मूल्यों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये । वैसे घाटे में चलना तो अनिवार्य है ।

लोगों को बचत के लिये कहा जाता है । बचत से धन अवश्य मिल सकता है किन्तु अभी बचतों की क्या दशा हुई । जीवन बीमा निगम की स्थिति क्या रही है ?

मैं यह सुझाव देता हूं कि इस निगम का सारा धन सरकारी विनियोजन में लगाया जाये । सरकार ने उद्योगपतियों से अवक्षयण की पूंजी जमा करना आरंभ की थी किन्तु इसी पर उद्योगपति बिगड़ बैठे थे ।

इसके अतिरिक्त मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम ब्रिटिश तथा अमरीकी तरीकों को क्यों अपनाते हैं ? देखिये दिल्ली क्लाथ मिल पहले कपड़ा बनाता था अब पता नहीं क्या करने लगा है ? इस तरह का केन्द्रीयकरण सा क्यों हो ।

इसी प्रकार टाटा का व्यापारिक समुदाय है । यह सब जानते हैं कि एक समुदाय धन को विभिन्न दिशाओं में लगाक कैसे कर अपवंचन करते हैं । बिड़ला इत्यादि सभी इसी प्रकार-से करते हैं ।

मैं तो यह कहूंगा कि हमारी अर्थ व्यवस्था सामूहिक रूप से ही खराब है। कुछ थोड़े से लोगों ने ही समस्त पूंजी तथा उत्पादन साधनों पर कब्जा कर रखा है। सरकार का संरक्षण रखने का विचार ठीक था किन्तु यह छोड़ दिया गया है।

इसलिये हमें पूंजी तो प्राप्त हो सकती है। किन्तु सरकार को ठीक तरीके के उपाय करने चाहिय। छोटे-छोटे लोगों को तंग करने से क्या लाभ है। अन्य स्रोत हैं जिनसे रुपया इकट्ठा किया जा सकता है।

अब यह बर्मा शैल वाले हैं। ये बड़ी सस्ते दरों पर ईरान तथा अरब वालों से तेल खरीदते हैं और इस देश में शोधन करते हैं। यह एक टन तेल पर ५०० प्रति शत लाभ कमाते हैं। किन्तु यदि आप इन्हें कीमतें कम करने को कहें तो ये गुर्राने लगते हैं। स्वतः प्रधान मंत्री को भी इस संबध में विस्मय हुआ था। अतः इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

ये बड़े लोग धमकियां दे सकते हैं। किन्तु हमें डरा नहीं सकते।

यदि तेल की कीमतें २५ प्रतिशत भी गिर जायें तो भी लोगों के खर्च में पर्याप्त कमी हो सकती है। हम इस तरह से पर्याप्त रुपया बचा सकते हैं। क्या इन ठेकेदारों का सामना करने को हम तैयार हैं?

बताया गया है कि सम्बन्धी व्यवस्था इस तेल के प्रश्न पर विचार कर रही है। हमें डीजल तेल की कीमतें भी कम करनी चाहियें ताकि किसान लोग इन सब से लाभ उठायें।

इसके पश्चात् जब तक प्रशासन की स्थिति ठीक न होगी तब तक कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। हमें प्रतिरक्षा विभाग के संस्थापनों के व्ययों पर पूरा-पूरा निरीक्षण रखना चाहिये। कहीं पर एक पैसा भी जाया नहीं करना चाहिये। भ्रष्टाचार की ओर भी प्रतिरक्षा मंत्रालय को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये।

१९५५–५६ में लोक-लेखा समिति ने बताया था कि हमें ६ करोड़ ८० लाख का घाटा है बिना किसी कारण के हो रहा। यह कितने दुःख की बात है कि इस प्रकार देश की हानि हो। हमें प्रतिरक्षा पर देश भक्तों की भांति व्यय करना चाहिये।

लोगों का सहयोग भी केवल सहयोग समितियां बनाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक हम मजदूरों से आप भाई चारे का व्यवहार नहीं करते तब तक उनके हृदय में सहानुभूति उत्पन्न कैसे होगी। किन्तु सरकार करती क्या है? अभी हाल ही में बंगलौर के कारखाने में दो व्यक्ति गोली से मार दिये। कम से कम वैध मांगें तो सरकार को पूरी करनो चाहियें। इससे देश को ही लाभ होगा।

चाय से आय गिर रही है। उस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल नहीं कराई जा रही है।

सरकार को मध्यम दर्जे के लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिये।

सरकार क्या कहती है— वह कहती है "अधिक अनाज पैदा करो", अधिक बचत करो, अधिक निर्यात करो। कौन बचत करेगा? वास्तव में हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये। वेतन भी अधिक दो, लाभ कम करो। यह ठीक रहेगा। सरकार को योजना का सारवान भाग अवश्य ही कार्यान्वित करना चाहिये तथा पूंजीपतियों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिये।

†श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौली) : आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं और जिस संकट का हमें सामना करना है, उस के लिए संगठित कार्यों, प्रयत्नों और बलिदानों की आवश्यकता है। इस विचार से मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा जो हमारे आय-व्ययक तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के काम आ सकेंगे।

गत आठ वर्षों के आय-व्ययक के सविस्तार अध्ययन के पश्चात् मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारा आय-व्ययक समुचित ढंग से तैयार नहीं किया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि हमें कई ऐसे कर लगाने पड़ते हैं जिनके बिना भी काम चलाया जा सकता। इसलिए इस मामले में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है।

विरोधी पक्ष के सभी सदस्य इसी बात पर जोर देते हैं कि गरीब जनता के लिए लाखों का खर्च किया जाये, परन्तु धन की व्यवस्था करने का किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो आलोचना आरम्भ कर देते हैं। अपने आर्थिक साधनों की व्यवस्था करने का यह ढंग ठीक नहीं कहा जा सकता है। हर हालत में कुछ आवश्यक बातों का निर्णय कर ही लेना चाहिए ताकि पंचवर्षीय योजना के कार्य को पूरी तरह कार्यान्वित किया जा सके, क्योंकि हम सभी को उस की इस समय सब से अधिक चिन्ता है। इस के लिए आवश्यक है कि सविस्तार योजना बना ली जाये।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में, एक वर्ष पहले का और आगामी डेढ़ वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाता है। प्रशासन को प्रत्येक छोटी छोटी बात का सविस्तार निर्णय करना है। कई बार निर्णय हो जाता है कि अमुक परियोजना आरम्भ होगी, परन्तु उस के विभिन्न कामों के बारे में कोई निर्णय ही नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे सीमित साधन काफी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि काम से पूर्व हर बात का पूर्व निर्णय हो जाना चाहिए और बाद में योजना के अनुसार काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

एक बड़े राष्ट्रीय उपक्रम के लिये हमने कुछ विभिन्न चीजों का व्यादेश दिया। काफी कठिनाई से उन्हें प्राप्त किया गया। काफी कठिनाइयों के पश्चात् जो मशीनें प्राप्त करली गईं, तो यह व्यवस्था न हो सकी कि इन मशीनों को रखा कहां जाय? इसी लिये तो मेरा कहना है कि यह आयोजित आय-व्ययक जो प्रत्येक वर्ष हम प्रस्तुत करते हैं इसके सम्बन्ध में यह बड़ा ही आवश्यक है कि व्यय के ब्यौरे का विस्तार से निर्णय किया जाय। सरकारी उपक्रमों का विस्तार हो रहा है, और हमारे विरोधी पक्ष के मित्र भी इसका विस्तार चाहते हैं। लगभग सभी सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी निगमों पर सभी मिला कर करोड़ों रुपया विनियोजित हुआ है। इन उपक्रमों और निगमों की संख्या लगभग २०० होगी इन सब की अच्छी प्रकार से देख भाल की जानी चाहिये। प्रत्येक के लिये निश्चित काम का समुचित निर्णय होना चाहिये। गैर-सरकारी समवायों को अग्रिम धन देने के लिये भी कुछ सिद्धान्त होना चाहिये और संसद् को इस मामले में पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये। सरकार को भी यह देखना चाहिये कि जनता का धन नष्ट न हो। हम काफी बड़ी राशियां अग्रिम दे रहे हैं हमारी जमानत पर इन्हें बाहर से भी कर्ज मिल रहा है। नियन्त्रण के मामले में हमारा कोई अधिकार नहीं है। मैं यह मांग करूंगा कि उन गैर-सरकारी उपक्रमों पर संसद् का नियन्त्रण होना चाहिये जिनको कि किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है अथवा सरकारी जमानत पर कर्जा मिलता

†मूल अंग्रेजी में

हो। हम कुछ धन का विनियोजन करते हैं। ऊपर यह विनियोजित राशियां १०,२०,५० और १०० करोड़ तक फैल जाती हैं, तो क्या यह उचित नहीं कि हम यह जान सकें कि उन्हें कहां, कैसे और क्यों खर्च किया गया।

टेल्कों को ही आप ले लीजिये, उसमें ५० प्रतिशत सरकारी सहायता दी जाती है परन्तु वह कभी भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन अथवा सन्तुलन पत्र भी नहीं भेजता कई बार बहुत ही कठिनाई से, बहुत बार लिख कर लोक लेखा समिति के लिये उसे प्राप्त किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो यह क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कर्जा देने की यह शर्त होनी चाहिये कि वह अपना सन्तुलन पत्र, हानि लाभ का विवरण, अपना विधान तथा अपना प्रशासनिक प्रतिवेदन समय-समय पर प्रस्तुत करते रहें।

† **श्री त्रि० ना० सिंह** : यह बहुत ही जरूरी बात है।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई कामों के लिए दो-दो, तीन-तीन निकाय हैं जैसे वैज्ञानिक औद्योगिक गवेषणा संस्था तथा राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम आदि। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा निगम और इसके अतिरिक्त और कई भी हैं। सबके ऊपर रक्षित बैंक सहकारी संस्थायें, और राज्य बैंक इत्यादि हैं। थोड़ा सोचा जाय तो पता चलेगा कि यह सब व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में ही चल रही है, और हमें इन सबको ठीक करना है। हालांकि उनके उस महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो कि उनके आरम्भ करते समय था।

अब मैं राजस्व आयव्ययक के कुछ अंगों की ओर आता हूं। मैं तो हमेशा प्रत्यक्ष करों का समर्थक रहा हूं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इसके परिणाम काफी अच्छे रहते हैं। गत तीन वर्षों में आय-कर राजस्व लगभग १६० से १७० करोड़ तक रहा है। सभी लोग कर अपवंचन की बात करते हैं, परन्तु हम उसे पकड़ नहीं सके। काले बाजार में जो रुपया गया था उसे भी हम प्राप्त नहीं कर सके। मेरा विचार है कि आय-कर विभाग में कुछ अच्छे कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अधिकार काफी अनुभवी लोगों को दिये जाने चाहियें ताकि कार्य ठीक ढंग से हो। अनभिज्ञ व्यक्तियों को अधिकार देने की पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए।

उत्पादन–शुल्क कुछ बड़ा है और नये उत्पादन शुल्क भी लगाये गये है। इस सम्बन्ध में, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि उत्पादन शुल्क हटाने के प्रश्न पर केवल उस समय जोर दिया जाता है जब कि उत्पादक को कठिनाई का सामना होता, परन्तु नाम उपभोक्ता का ही लिया जाता है। उपभोक्ता भी सस्ती चीजें चाहता है इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बात यह है कि उद्योगपतियों को १०, १५ और २० प्रतिशत तक का लाभ हो जाता है, इसलिए उन्हें थोड़े नफे से मजा नहीं आता। यही कारण है कि काफी स्टाक जमा होने पर भी वह मूल्य कम नहीं करते। वे जानते है कि जब सरकार हाथ डालेगी तो उत्पादन शुल्क कम हो ही जायेगा। इसलिए मेरा कहना है कि उत्पादन शुल्क को कम करने के मामले में एक दम निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

हमारे राष्ट्र को महान बनना है; योजना को सफल बनाना है; हमें बलिदान करना है और समृद्धि प्राप्त करनी है। बलिदान के मामले में हमें गैर-सरकारी क्षेत्रों को भी साथ देने के लिए कहना होगा। सभी को इस दिशा में थोड़ा बहुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

सबको थोड़ी देर के लिए अपने सुखों को कम करना होगा ताकि देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग सरल हो सके।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : प्रधान मंत्री ने इस बार आयव्ययक प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ली। उनके आयव्ययक सम्बन्धी विवरण से स्पष्ट है कि सरकार इस निश्चय पर अटल है कि समस्त उपलब्ध साधनों द्वारा योजना के कार्य को आगे बढ़ाया जाये। आयव्ययक के सिंहावलोकन में उन प्रयत्नों का चित्र भी प्रस्तुत किया गया है जो कि योजना सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करने के सम्बन्ध गतवर्ष करने पड़े। गत वर्ष हमारी

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अवस्था विशेष कर विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में बहुत अच्छी नहीं थी, परन्तु आज कुछ मित्र देशों की सहायता के कारण स्थिति काफी सुधरी हुई है। वास्तविकता यह है कि मूल रूप में जो लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये थे, उनके पूरा करने के मार्ग में तो कठिनाइयां अब भी विद्यमान है। इस अवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता याद आती है। कठिनाइयों के बावजूद वह सफल हुई और अनुमानित राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। उस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि उन मूल लक्ष्यों को कायम रखना सम्भव है यदि गैर-सरकारी साधनों से उन कमियों को पूरा कर लिया जाये तो जो कि सरकारी तौर पर सम्भव नहीं हो सकीं। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता परन्तु मुझे साम्यवादी दल के नता श्री डांगे द्वारा अमेरिका, भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ सम्मेलन तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को गालियां देना मुझे पसन्द नहीं आया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में साम्यवादी दल के सुझावों को कार्यान्वित किया जाता तो हमारी अर्थ व्यवस्था में भारी गड़बड़ी हो जाती।

श्री डांगे ने अमरीकी सहायता का मजाक उड़ाया है, जैसे कि यह कोई नयी बात है। अमेरिका आरम्भ से ही सहायता दे रहा है और इससे किसी प्रतिकूल परिणाम का शक करना अच्छा नहीं। अमेरिका और अन्य मित्र देशों से जो सहायता के वचन प्राप्त हुये हैं, और जिसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों दिशाओं से प्रयत्न किये गये हैं, उनके बारे में शक करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्री डांगे संघ, पूंजीपतियों तथा एकाधिकारियों पर खूब बरसे हैं। परन्तु शायद वह यह बात भूल गये हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था के निर्माण में व्यापारी वर्ग का काफी हाथ है। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि श्री जमशेद जी टाटा ने भारी कठिनाइयों का सामना करके देश में एक परियोजना को स्थापित किया, और देश उस पर अभिमान कर सकता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में उसका महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए किसी चीज का केवल काला पक्ष ही प्रस्तुत करते जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। देश की अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की दिशा में प्राप्त की गयी उनकी सफलताओं और बहु-मूल्य अंशदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ व्यापारी वर्ग से मिल कर श्रमिकों की मांगों को कुचल रहा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस बात को सब जानते हैं कि किस प्रकार सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के विचार से यह लोग श्रमिकों को पथ-भ्रष्ट कर के उनका शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार यह लोग उत्पादन के रास्ते में भी रुकावटें डाल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आयव्ययक प्रस्थापनाओं और कराधान नीति के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा कि वह अभी अनिवार्य है और इसी प्रकार चलेगी। साथ ही उन्होंने कल संघ सम्मेलन में भाषण देते हुये यह भी कहा था कि यदि वाणिज्य और उद्योग को हानि होती होगी तो रचनात्मक सुझावों के आने पर उनमें परिवर्तन तथा समायोजन कर लिया जायेगा। इसी भावना से मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि बिना किसी प्रकार के राजस्वों की हानि के समुचित सुधार हो सके। साम्यवादी दल के माननीय नेता ने संघ के प्रस्ताव का भी मजाक उड़ाते हुये कहा कि संघ तो देश भर में कराधान को ही समाप्त करने को कह रहा है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे देश में प्रत्यक्ष करों की संख्या बहुत ही अधिक है। दूसरे देशों में भी यह है परन्तु वहां कुछ रियायतें भी दी जाती हैं और राजस्व की हानि नहीं होती। इसी दृष्टिकोण से कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं, आशा है वित्त मंत्रालय उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगा।

अनिवार्य निक्षेपों की ही बात ले लीजिए। इससे सरकार को ३ करोड़ और कुछ लाख का लाभ होता है। इस आय को, अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों से भी, सरकार हासिल कर सकती है। यह निक्षेप किसी न किसी प्रकार काम आते ही रहते हैं और इसे वापिस लिया जा सकता है, इससे सरकारी आय को बिलकुल कोई हानि नहीं पहुंचेगी। न ही योजना सम्बन्धी साधनों पर ही किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा।

लाभांश पर भारी कर को ही लीजिए। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि अनिवार्य निक्षेपों और लाभांशों पर कर अस्थायी हैं, समयानुसार इसमें परिवर्तन करना चाहिए। यह परिवर्तन अब हो जाना चाहिए। लाभ वाले अंशों के मामले में भी बिना किसी प्रकार की हानि के परिवर्तन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में डा० रामास्वामी मुदालियर द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

साधनों का जहां तक सम्बन्ध है यह स्पष्ट ही है कि कराधान की सीमा के मामले में सरकार की गति धीमी नहीं है। मूल रूप में योजना आयोग का लक्ष्य ४५० करोड़ का था, परन्तु सरकार इससे कहीं अधिक कर लगा चुकी है। गत आयव्ययक में भी १३० करोड़ के अतिरिक्त कर लगाये गये थे, हालांकि योजना आयोग ने प्रतिवर्ष ४५ करोड़ के कर लगाने की ही सिफारिश की थी। परन्तु फिर भी घाटे को पूरा करने के लिए समुचित ढंग से कुछ प्रयत्न करने ही होंगे। हमें बताया गया था कि योजना काल में यह राशि ९०० करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु यह ६०० करोड़ तो हो गयी और २०५ की एक व्यवस्था और है। वर्ष के अन्त तक ९०० करोड़ का उपयोग हो जायेगा। इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार का आकर्षक कार्यक्रम बनाया जाये ताकि बचत साधनों में लोग सरकार को काफी रुपया कर्ज दें। घाटे के लिए कर्ज और राष्ट्रीय बचत के उपलब्ध साधनों का उपयोग करना ही होगा।

कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह कहना ठीक नहीं कि सरकार बड़े उद्योगपतियों की बात ही न सुने। यदि उन्हें अधिक लाभ है तो उत्पादन शुल्क का निर्णय करने से पूर्व सरकार सारी बात का अध्ययन कर ले। वास्तविकता यह है कि आप कुछ भी करें परन्तु उपलब्ध साधन वहीं है, इसलिए इन बातों से उत्पादन कम ही होगा। कपड़ा उद्योग में तो इसके चिन्ह दिखाई भी देने लग गये हैं। शोलापुर की दो मिलों के मामले की ओर देखिए, वहाँ की सारी अर्थ-व्यवस्था ही नष्ट-भ्रष्ट हो गयी है। बम्बई की एक बीस वर्ष पुरानी मिल बन्द हो गयी है। और भी बहुत सी मिले संकट की स्थिति में ही हैं। आप

[श्री सोमानी]

सारी बात का यदि अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उद्योग घाटे में चल रहा है। यदि कोई सहायता न दी गयी तो उत्पादन कम होगा ही, इससे राजस्व के बढ़ने की भी तो आशा नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को कपड़ा उद्योग के ठीक प्रकार से चलने के संबंध में कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। इस काम में पहले ही बहुत देर हो गई है और अब और देर करने से स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी। यदि उचित कार्यवाही हो जायेगी तो मिलें इस संकट को दूर करने में समर्थ हो जायेंगी और उद्योग को अपना उत्पादन ऐसे समय में कम करने के लिये मजबूर नहीं होना पड़ेगा जब कि हम अधिक से अधिक निर्यात करना व उत्पादन करना चाहते हैं। रोजगार की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किये जा रहे है अतः वस्त्र उद्योग के आंकड़ों की भी पूरी जांच की जानी चाहिए।

†**डा० कृष्णास्वामी** (चिंगलपेट) : सबसे पहले मैं मौलाना आजाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

आयव्ययक के सम्बन्ध में मैं पिछले ५-६ वर्षों से देख रहा हूं कि आयव्ययक की हालत कुछ अजीब सी रहती है। सम्पूर्ण आयव्ययक को पढ़ने के बाद भी यह पता नहीं लगता कि कुल राजस्व कितना है; कुल व्यय कितना है और कितनी विदेशी सहायता मिली। कुछ मदें बिलकुल खाली पड़ी हैं। इन खाली मदों का क्या महत्व है? हमारे प्रधान मंत्री ने इस आयव्ययक को बहुत अच्छा बताया है पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी गंभीर है।

हमारा विदेशी विनिमय सारा का सारा समाप्त हो गया है। आगामी वर्ष में कृषि तथा उद्योग का उत्पादन भी कम होगा। पर प्रधान मंत्री ने आयव्ययक के संबंध में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं किया। फिर आयव्ययक में २०५ करोड़ रुपये का घाटा भी कुछ सुरक्षा की बात नहीं है। हमारी दूसरी योजना में ४८०० करोड़ की बात वाह्य रूप से बहुत आकर्षक मालूम होती है। पहले दो वर्षों में १५०० करोड़ व्यय हो चुके हैं; १९५८-५९ में १००० करोड़ व्यय होगा। शेष २ वर्षों के लिए २४०० करोड़ शेष हैं। यह भी कहा गया है कि योजित-अर्थ-व्यवस्था की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता १०५ करोड़ से बढ़ाकर ३२५ करोड़ ली जायेगी। हमें अपने विदेशी मित्रों का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने समय पर हमारी सहायता की। पर विदेशी सहायता पर हम कहां तक निर्भर रहेंगे हमें अपने देश में—केन्द्र में तथा राज्यों में—संसाधनों की वृद्धि करनी चाहिए।

नये करों के कारण हमें लाभ अवश्य हुआ था पर हानि भी हुई थी। सरकारी ऋणों तथा अन्य रूपों में भी हमें बहुत सी राशि व्यय करनी पड़ी। अतः यदि हम संसाधनों का विकास नहीं करते तो हमारी राजकोषीय नीति सफल नहीं कही जा सकती।

कर प्रणाली में पर्याप्त तथा उचित सुधार करने की आवश्यकता है। अनिवार्य निक्षेप की योजना पहले तो बहुत कठोर थी। इस योजना में बहुत प्रशासकीय कठिनाई भी है। अतः इस योजना में उचित परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है।

धन कर का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। समवायों को १½ वर्ष या २ वर्ष पूर्व जितना लाभ होता था अब उतना नहीं होता तथा असमानता की मात्रा में भी कोई कमी नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्क के कारण भी बहुत हानि हुई है। कितनी ही मिलों में काम बन्द हो गया है। अनेक मिलों में माल पड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि मिलों के बन्द होने से बेरोजगारी बढ़ती है। फिर शहरों की बेरोजगारी देहातों की बेरोजगारी से कहीं अधिक भयंकर होती है। वित्त विधेयक पर विचार करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

एक समस्या यह भी है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमारे देश में संसाधनों की बहुत कमी है। देर से भुगतान किये जाने वाले ऋण हमने लिए हैं। उनका भुगतान करने के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा। निर्यात बढ़ाने में कई कठिनाइयां हैं। खाद्य समस्या भी बहुत भीषण रही है। इस समस्या को हमें बहुत सावधानी से हल करना चाहिए। देर से भुगतान किये जाने वाले ऋणों के भुगतान का समय अब आ गया है अतः हमें बहुत परिश्रम करके इस समस्या को हल करना चाहिए।

आगामी वर्षों में हमें सरकारी व्यय बहुत संभाल कर करना है। १००० करोड़ से अधिक व्यय हमें नहीं करना चाहिए। आयव्ययक में भी बचत दिखानी चाहिए। उत्पादन की वृद्धि भी आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निर्यात कैसे बढ़ायेंगे। साथ ही इन बातों को सफलता पूर्वक पूरा किये बिना हम तीसरी योजना तो चला ही नहीं पायेंगे। इससे राष्ट्रीय तथा आर्थिक क्षति होगी।

यदि आप दूसरी योजना पूर्ण करके तीसरी योजना शुरू करना चाहते है तो आप को द्वितीय योजना के व्यय का लक्ष्य ४८०० करोड़ से घटा कर ४२०० करोड़ या ४४० करोड़ करना चाहिए। ध्यान रहे कि योजित ढंग से व्यवस्था करने में यह संभव हो सकेगा. यह धन प्रथम पंचवर्षीय के व्यय लक्ष्य का दूना होगा।

आज सारा संसार हमारी आर्थिक प्रगति को बड़े ध्यान से देख रहा है। हमें अपनी योजनाओं को बड़ी सावधानी तथा विचार से तैयार करना है। हमने सर्ववयस्क मताधिकार का अनोखा प्रयोग आरंभ किया है। अतः अपना सम्मान, अपनी मर्यादा तथा अपनी ख्याति को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक सावधानी से अपनी नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करें।

†**श्री मसानी** (रांची–पूर्व) : हमारे इस आयव्ययक में पूंजीगत घाटा भी है और राजस्व में भी घाटा है जिसको पूरा करने में हम समर्थ नहीं हुए हैं। हमारे देश के लिये यह स्थिति अच्छी नहीं है। मगर मैं इस विषय में डर फैलाने वाले समाचारों अथवा बाहरी आलोचना से प्रभावित नहीं होऊंगा।

मैं तो १९५७–५८ के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही ऐसा कहूंगा क्योंकि यह सर्वेक्षण बड़ी ईमानदारी से किया गया था और इससे सचाई का पता लगता है।

माननीय मित्र श्री कृष्णस्वामी ने इसके उद्धरण दिये हैं और बताया है कि हमारी आर्थिक स्थिति की हालत कैसी खराब है। मैं भी कुछ पहलुओं के बारे में यहां बताऊंगा।

पृष्ठ १८ में कहा गया है कि मूल्यों की वृद्धि किसी सीमा तक रुक गयी है किन्तु मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाई देने लग गया है।

पृष्ठ १६ तथा १७ में खाद्य स्थिति के बारे में कहा गया है। पृष्ठ ३ पर औद्योगिक ऋण की कमी का उल्लेख है। उसमें यह भी कहा गया है कि सीने की मशीनें, साइकिलों आदि के उद्योगों में इस वर्ष उत्पादन की भारी कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मसानी]

पृष्ठ ११ पर निर्यात में कमी का उल्लेख है और पृष्ठ ८ पर कहा गया है कि इस वर्ष पूंजी निर्गम में भी कमी हुई है ।

पृष्ठ १, ९ तथा १७ में विदेशी विनिमय की कमी का उल्लेख है और १७ में दैनिक दत्त की कमी के बारे में कहा गया है ।

इसके बाद सर्वेक्षण में यह लिखा है कि तृतीय योजना की अवधि में वर्तमान वाक्वद्धताओं से हमारे ऊपर पर्याप्त बोझ पड़ेगा । यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है । जो ऋण हम ले रहे हैं इनका ब्याज ही तृतीय योजना के प्रथम वर्षों में १२० करोड़ रुपये तक जा पहुंचेगा । तीसरी योजना में हम पर ३०० करोड़ तक का बोझा पड़ेगा ।

सर्वेक्षण में आगे चल कर कहा गया है कि क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों से अत्यधिक भार पड़ रहा है ।

पृष्ठ १४ पर कहा गया है कि योजना बनाते समय भुगतान संतुलन के प्रभाव का बहुत थोड़ा अनुमान लगाया गया था ।

ऐसी दशा में हम यह पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया है ।

गत वर्ष के आय व्ययक से लोगों का जीवन स्तर बढ़ने की बजाय गिरा है । मध्यम श्रेणी के लोग तो बिल्कुल ही मारे गये हैं । छोटे लोगों की बचतों को भी खतरा हो गया है । सोने का भाव १०४ से ११३ रुपये तोला हो गया है । इससे यही परिणाम निकलता है कि लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं । भारत में सोना चोरी छिपे भी लाया जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तो सोने का भाव ६६ रुपये प्रति तोला है । छोटे लोग अब रुपया अपने पास ही इकट्ठा करने लगे हैं ।

गत वर्ष के आय व्ययक से उद्योगों पर भी कितना भारी बुरा प्रभाव पड़ा है । कराधान से लोगों का उत्साह क्षीण हो जाता है ।

बड़े व्यापारियों को छोड़िये—यदि छोटे व्यापारियों की स्थिति ही ठीक की जाये तो हमारे समाज का स्तर बहुत ऊंचा उठ सकता है ।

आयात नियन्त्रण से भी छोटे व्यापारी मारे गये हैं तथा उत्पादन शुल्कों का प्रभाव भी छोटी मोटी दुकानदारियां करने वाले लोगों पर ही पड़ा है ।

हम अपने भविष्य को गिरवी रख कर अपनी साख दुनियां में खराब करना चाहते हैं और वास्तव में कर ही रहे हैं । आर्थिक सर्वेक्षण से यही बातें ज्ञात होती हैं ।

इस आय व्ययक में समस्त आर्थिक स्थिति को हल करने का एक भी प्रस्ताव नहीं है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मई, १९५७ के पश्चात् से अब तक कुछ भी नहीं हुआ है । जो कर आदि उसके बाद लगे थे बस इस उसी दुनिया में रह रहे हैं । यह जन साधारण का आय व्ययक नहीं है यह तो किसी स्वप्नदर्शी का आय व्ययक है जो गलियों में से ऊंघता हुआ निकले और उसे मोटरों तांगों का कोई भी भय न हो ।

यह बजट गतिशील नहीं है । हम वास्तव में इससे सडन पैदा कर देंगे ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि ९५ प्रतिशत योजना कार्यान्वित की जायेंगी । श्री कृष्णस्वामी तो इसमें सन्देह करते हैं । ४८०० करोड़ के कुल व्यय में से केवल २४०० के तो संसाधन हैं ।

अब उन २४०० की स्थिति भी विचित्र है । पहले जिस अतिरिक्त राशि का ध्यान था वह ८०० के स्थान पर ५०० करोड़ के लगभग ही रह गई है । बचतें भी केवल २३५ करोड़ रुपया ही दे सकती हैं । अब हमें ३४८५ करोड़ रुपये की रकम जुटानी पड़ेगी । यह योजना का लगभग ७५वां भाग है । आप यह भी कह सकते हैं कि इस वर्ष लोगों से अधिक ऋण मिल जायेगा जबकि कर तो उतने ही हैं । हमें तथ्यों की ओर भी तो ध्यान देना चाहिये ।

चलो हम उनके अनुमान के आधार पर ही देखते हैं किन्तु तब भी २०५ करोड़ की कमी रहती है । नोट छापने पड़ेंगे अतः इस वर्ष हमें कम से कम ३०० करोड़ पये के घाटे के बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

जब पहले योजना बनी थी तब ईमानदार अर्थ शास्त्रियों ने कहा था कि पांच वर्ष की अवधि में १२०० करोड़ का घाटा बहुत ही हानिकारक होगा । उनका कथन ठीक हो रहा है । मुद्रास्फीति के बढ़ रहे प्रभाव स्पष्ट हैं । हम सब यही चाहते हैं कि इतने नोट न छापे जायें ।

वास्तव में योजना के पहले दो वर्षों में ही लगभग ६०० करोड़ रुपये के घाटे के बजट की व्यवस्था तो हो ही चुकी है । तब कैसे सारी अवधि में १२०० करोड़ से कम की राशि रह जायेगी ।

यह बजट पता नहीं कैसे बनाये जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम गलत अन्दाज लगाते हैं और फिर निराश होना पड़ता है । हम अनुभव से भी तो कुछ नहीं सीखते ।

सरकार को सच सच कह देना चाहिये कि यह योजना ज्यों की त्यों कार्यान्वित नहीं की जा सकती । जब रूस जैसी तानाशाही सरकारें सच बता देती हैं तो हमें क्या खतरा है ।

अपनी छठी पंचवर्षीय योजना की अवास्तविकता को रूस वालों ने स्वीकार किया है । वह लोग तो डंडे के जोर से शासन करते हैं । जब वह सत्य कह सकते हैं तो फिर हमें क्या डर है । यहां योजनाबद्ध विकास से कोई झगड़ा नहीं । झगड़ा तो केवल उद्देश्यों की प्राप्ति का है ।

हमें पहले तो यह विचार छोड़ देना चाहिये कि प्रगति के लिये छोटा मार्ग भी होता है । सिडनी वेन जैसे महान् व्यक्ति का कहना है कि कल्याण शीघ्रता से नहीं होता । तेज जरूर चलना पड़ता है ।

आप लोग कहते हैं कि इस योजना के पश्चात् हमारे देश में सम्पन्नता आ जायेगी । यह बात गलत है । इस प्रकार तो लोग बलिदान करने वाले करते करते मर मिटेंगे और पता नहीं कब खुशी के दिन कौन देखेगा । लोग तो अपना और अपने बच्चों का सुख चाहते हैं । यदि उनके पोते या पड़पोते सुखी रहे तो उन्हें क्या । आज गरीब लोगों का जीवन स्तर निम्नस्तर का होता जा रहा है ।

इस समय भारत विश्व बैंक से बहुत सी सहायता ले रहा है । उस बैंक अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि लोग तब तक नहीं बचाते जब तक उन्हें पहली बचत का फल नजर न आये । लोकतंत्रात्मक समाज में बढ़ती खपत तथा बढ़ते विनियोजन में संतुलन होना चाहिये । कोई भी सरकार खाने को छोड़ कर लोहे के कारखानों को प्राथमिकता नहीं दे सकती ।

हम वास्तव में लोगों में उत्साह का निर्माण नहीं कर रहे हैं ।

एक माननीय मित्र ने कहा कि हमारी सरकार तो उलटे काम करके सब बातों में विकास की बजाये ह्रास का वातावरण पैदा कर देती है ।

[डा० कृष्णस्वामी]

इस्पात का घातक आकर्षण हमारी बड़ी भारी गलती है। यद्यपि इस्पात का महत्व बहुत ज्यादा है किन्तु बहुत से ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें से शीघ्र लाभ उठ सकता है। १० लाख टन इस्पात कारखाने के लिये आपको २०० करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है। इस विनियोजन से आपको २५ प्रतिशत से भी कम आय होगी।

यदि यही रुपया हम उर्वरक बनाने में लगायें तो ५० प्रतिशत तक का लाभ हो सकता है। कृमि-नाशक चीजें बना कर आप २०० प्रतिशत लाभ कमा सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था से ही आय बढ़ सकती है।

अब विकासातिरिक्त व्यय का सम्बन्ध है। १९५०–५१ की तुलना में यह व्यय चौगुना बढ़ चुका है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें उत्पादन शुल्क इत्यादि कर हटा देने चाहियें।

सरकार तो यह भी कहती है कि लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रेम करते हैं। किन्तु क्या वास्तव में ही स्थिति यह है ?

आप कहते हैं कि किसान अनाज को संग्रह करके रख लेते हैं। वास्तव में किसानों में जो यह स्वभाव बना है उसका भाव ही यह है कि वह इस योजना को पसन्द नहीं करता। सभी लोग असंतुष्ट हैं।

यह बात अलग है कि कांग्रेस चुनाव के समय तिरंगे का सहारा ले, महात्मा गांधी के नाम पर या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वोट ले जाती है। इससे यह अनुमान कदापि भी न लगाना चाहिये कि लोग योजना से प्रसन्न हैं। आप लोग ज्यादा हैं—आप हमारी बातों को रद्द कर सकते हैं किन्तु यदि आप अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को तोड़ते हैं तो इससे आप खतरे की ओर जा रहे हैं। बहुमत से आप नहीं बच सकेंगे।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान् इस आयव्ययक को हमने आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रख कर आंकना है। सर्वेक्षण के अन्त में लिखा है कि अब हमारे देश की अर्थ व्यवस्था एक कठिन स्थल में प्रवेश कर चुकी है। पहले दो वक्ताओं श्री कृष्णस्वामी तथा श्री मसानी ने तरीके बताये हैं। श्री मसानी ने कहा है कि पीछे हट जाना चाहिये। किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या इतना कुछ कर चुकने के बाद यह बात उचित होगी ?

हमें तो आर्थिक उन्नति के नियमों की बात करनी चाहिये। हमें सामान्य दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर देखना है।

एक अर्धविकसित देश को पहले पहल बड़े भारी प्रयत्न करने पड़ते हैं। आरम्भ का समय बड़ा खतरनाक होता है। हमारे लिये ये वर्ष ऐसे ही हैं जैसे ब्रिटेन के लिये द्वितीय युद्ध का काल था।

अब क्या हम उस समस्या का हल इसी शिथल भाव से करें जैसा कि सरकार कर रही है। इस काम के लिये उत्साह की आवश्यकता है। यह उत्साह इस प्रकार के आय व्ययक से पैदा नहीं होगा और न ही कोई ऐसे भाषण ही काम करेंगे जैसे कि विरोधी दल के नेता देते हैं।

सभी मुद्रास्फीति की बातें करते हैं। किन्तु "यू० एस० न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट" के अनुसार १७४७ से १९५७ तक लोगों की क्रम शक्ति गिरी है। उसमें २२ देशों का उल्लेख है। उन सब में केवल स्विटजरलैण्ड को छोड़ कर भारत की स्थिति सर्वोत्तम है। मुद्रास्फीति खतरनाक है किन्तु उस समय जब कि देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हो। यदि देश गतिशील है तो घबराने की कोई बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अमरीका में यद्यपि कीमतें २० प्रतिशत गिर गई हैं किन्तु पैदावार कितनी बढ़ी है। कई परिस्थितियों में कीमतें बढ़ती ही हैं। हमें जनता को इस प्रकार यों ही डराना भी नहीं चाहिये।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है हमें कम से कम हद तक तो अवश्य ही करना चाहिये। वास्तव में हमें अपनी गति नहीं रोकनी चाहिये। इस समय देश की आबादी तथा नगर बढ़ रहे हैं। हमें अधिक गति से उनकी सम्हाल करनी पड़ेगी।

जहां तक पुनःव्यवस्था का प्रश्न है, यह ठीक है। अब चीजें क्रमानुसार नहीं रहतीं। गाड़ियों को बिजली द्वारा चलाने की योजनायें हैं किन्तु वे सब ठीक नहीं चलेंगी उनकी प्रतिक्रिया होगी और उनका प्रभाव दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। योजना में कांट छांट करने से क्या होगा। हमें इसे क्रियान्वित करने के उपाय सोचने चाहियें। सरकार को तनिक होशियार रहना चाहिये।

अब हम यह भी देख रहे हैं कि औद्योगिक बस्तियां किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर रही हैं। हमें देखना यह है कि गलती कहां हो रही है। मकानों की योजना भी आगे नहीं बढ़ रही। हमें वास्तव में इन्हीं चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये।

कहा जा रहा है कि लोगों को अधिक बचत करनी चाहिये। किन्तु सब से बड़ी अचम्भे की बात तो यही है कि सरकारी बचत कुछ भी नहीं है। पूंजी निर्माण पहले की अपेक्षा कहीं कम हुआ है।

श्रीमान् योजना के पिछले वर्षों में हम २३००–२४०० करोड़ रुपये का व्यय करेंगे। घाटे की व्यवस्था करने की हमारी क्षमता कम हो गई है। हमें अपने निर्यात बढ़ाने होंगे। इसी प्रकार की किसी कार्यवाही से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

मैं यह सुझाव नहीं देता कि अमुक कर लगाओ या यह शुल्क लगाओ किन्तु देश में सामूहिक उत्पादन को ही बढ़ावा दिया जाये। जब तक उत्पादन की वृद्धि के लिये हम कटिबद्ध नहीं हो जायेंगे तब तक कुछ आशा नहीं की जा सकती। इस समय यह विचार नहीं चलेंगे कि यह अमुक क्षेत्र ह वह दूसरा है।

अब हमने पूंजी पर पूर्ण कर लगा दिये हैं। अब देश में किसी मूल्यांकन प्राधिकारी की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता पहले भी महसूस की जा चुकी है। विकासशील देश में मुद्रास्फीति भी होगी और लाभ भी बढ़ेंगे। हमें पूंजी लगाने की ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। पता नहीं गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग करों से क्यों डरते हैं। यदि वे भारी कर नहीं चाहते तो सरकार से बातचीत करके ज्यादा पूंजी तो लगायें। तो दोनों बातों में से एक बात तो करें।

अब हमें राज्य व्यापार क्यों करना पड़ा ? मैंने अनाज समिति में काम किया था। वहां देखा कि लोग मुद्रास्फीति के कारण अनाज संग्रह करते हैं। इस बात को रोकना है। मलकीयत के लाभ अधिक आकर्षक होते हैं। इसी कारण हमें नीति सम्बन्धी कार्य करने होंगे।

विदेशी सहायता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया है कि हमने तीसरी योजना को गिरवी रख दिया है इत्यादि। मैं यह नहीं कहता कि तीसरी योजना में हम समस्त इस्पात का निर्यात ही कर सकेंगे। हमें यहां औजार बनाने आदि में उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। किन्तु और हो भी क्या सकता है? हमें १०–१५ वर्ष की लम्बी नीति के बारे में सोचना चाहिये। हमें विदेशों से ऋण लेने ही पड़ेंगे। हमें इन बातों को विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिये। शायद पन्द्रह वर्ष बाद हम आवश्यकता वाले देशों को सहायता करने योग्य हो जायें।

[श्री अशोक मेहता]

हमारी मुद्रा सम्बन्धी नीति तो ठीक है किन्तु आय व्यय नीति ठीक नहीं। पहले तो हमने मूल्यों सम्बन्धी किसी नीति को नहीं अपना रखा। इसका सारा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। यदि किसान सुखी हों तो हम उनसे कह सकते हैं कि वे योजना के लिये अधिक बलिदान दें किन्तु इस स्थिति में हम उन पर बोझ नहीं डाल सकते। गत पांच वर्षों में कृषक की १५०० करोड़ की आय यों ही नष्ट हो गई है।

दूसरे वेतन की नीति का प्रश्न है। सरकार निर्माण पर २४० करोड़ रुपये का व्यय कर रही है। किन्तु क्या वे लोग जिनके पास यह रुपया जा रहा है कर भी देते हैं? कर एकत्रण कठिन काम है। बैठे बिठाये तो कुछ नहीं होता। अब सरकार तथा अन्य सम्बद्ध संस्थायें कुल मिलाकर ४९० करोड़ रुपये वेतनों के रूप में देते हैं।

कुछ समय पूर्व यह निर्णय किया गया था कि सब का वेतन आवश्यकतानुसार हो। किन्तु क्या यह हो सकता है? हमें सारे प्रश्न पर विचार करना चाहिये। यदि आप वेतन ज्यादा दें तो कैसे देंगे? हमें वेतन नीति के सम्बन्ध में भी सोच लेना चाहिये।

यद्यपि मैं स्वतः कर्मचारी संघों में काम करता हूं किन्तु इस समय इस सभा में मैं यह नहीं कह सकता कि यह कर दो या इतना वेतन दे डालों। हमें देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था पर नजर डालनी है। आवश्यकता के अनुसार वेतन देना संभव नहीं है।

मैं बड़े लोगों से पूछता हूं कि वह किस मुंह से यह बात कहते हैं कि व्यय कर हटा दिया जाये। क्या वे लोग स्वतः व्यय कम नहीं कर सकते?

आय-व्ययक में यह आर्थिक समीक्षा में रोजगार की समस्या पर भी कोई बात नहीं कही गई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। रोजगार की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या का डा० राज ने हाल ही में बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया है। मैं आशा करता हूं सरकार उस पर ध्यान देगी। उन्होंने काहिरा विश्वविद्यालय के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि यद्यपि विनियोजन में वृद्धि करने से रोजगार बढ़ता है किन्तु उत्पादक वस्तु उपयोग पर बल देने से रोजगार सीमित हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि नवीन विकास तथा बड़े पैमाने के विकास के क्षेत्र तथा पारम्परिक व्यवसायों के क्षेत्र पर एक साथ दृष्टि रख कर ही विचार किया जाना चाहिये। विकास इसी प्रकार होता है कि पुरानी रूढ़ियों का ढांचा टूटने लगता है और उस पर नव निर्माण आरम्भ होता है और इस संक्रमण काल में ही इस प्रकार की समस्यायें उपस्थित हो जाती हैं।

यदि हमारे प्रधान मंत्री ने आजकल की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध पुराने तरीकों के आधार पर ही चलना चाहा और पुराने ढंगों को बदलने की कोशिश नहीं की तो यह देश के लिये ठीक नहीं होगा। यह तो नैराश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के समय ही होगा। हमें इस संघर्ष के लिये पूरी तरह तैयार होना चाहिये तभी हम अगले तीन वर्षों में स्थिति पर पूर्ण काबू पा सकेंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : हमारी योजना और आयव्ययक ऐसे समय उपस्थित किये गये हैं जबकि देश में निराशा की भावना फैली हुई है।

श्री मसानी और अन्य सदस्यों के भाषणों से यही पता लगता है कि योजना के लिये उपस्थित कठिनाइयों के कारण इस में काफी कांट छांट करनी पड़ेगी। देश में कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि योजना के ४००० करोड़ रुपये के लक्ष्य भी पूरे नहीं हो सकेंगे। मैं समझती हूं कि योजना के बारे में ऐसी दुःखद भावनायें हमारी आत्मनिर्भरता और गति की क्षमता के लिये धब्बा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि योजना बनाने वालों को इस बात का पता था कि द्वितीय योजना में बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित होंगी और उन्होंने जान बूझ कर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की बात का उल्लेख नहीं किया ।

कठिनाइयों को सामने देख कर इस प्रकार निराश हो जाना हमारे देश को शोभा नहीं देता । जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा है हमें समस्या का वीरता से सामना करना चाहिये अन्यथा आर्थिक संकट के कारण लोग यही समझने लगेंगे कि यह योजना असफल हो रही है ।

श्री डांगे का भाषण तो केवल प्रचार ही था किन्तु श्री मसानी तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और मैं उन से पूछती हूं कि योजना को किस रूप में कार्यान्वित करने के पक्ष में हैं । क्या उन का यह विश्वास है कि हमारा लोकतंत्रात्मक योजना में विश्वास नहीं रहा और यह संकट हमारे आत्म विश्वास के अभाव का प्रतीक है ? क्या वे समझते हैं कि ऐसी स्थिति से देश की लोकतन्त्रात्मक परम्परायें विनिष्ट हो जायेंगी ? उन्होंने क्या यह अनुभव नहीं किया कि आत्मविश्वास के अभाव का यह तथा कथित संकट वस्तुतः विकास का स्वाभाविक संकट है । ऐसा संकट अन्य देशों में भी उपस्थित हुआ है । कारण यही है कि पंच वर्षीय योजना की प्रगति बहुत तीव्र हो गई है ।

देश को दो संकटों का सामना करना पड़ा है, एक तो विदेशी मुद्रा का अभाव और दूसरे भयानक मुद्रास्फीति । ये दोनों ही योजना की तीव्र प्रगति के कारण हैं और समाज की ऐसी अवस्था में जब कहीं तो सर्वथा अभाव है और कहीं सम्पूर्ण सम्पन्नता ऐसा संकट उपस्थित होना आवश्यम्भावी था ।

विदेशी मुद्री की स्थिति पर तो काबू पा लिया गया है और मद्रास्फीति पर भी काफी नियंत्रण है ।

देश और विदेश में ये भाव व्यक्त किये गये हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत संकट में है किन्तु उन्होंने योजना और आर्थिक स्थिति के विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । किन्तु यदि संसद् के सदस्य इस बात पर बल दें कि आत्मविश्वास के आधार पर इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है तो हमें सफलता की आशा प्राप्त हो जायेगी ।

देश की आर्थिक स्थिति में प्रथम आशाप्रद बात तो यही है कि हम बढ़ते हुए मूल्यों को रोक सके हैं । श्री अशोक मेहता ने कहा है कि यह मूल्यों का बढ़ना प्रशंसनीय है और दूसरे देशों की तुलना में तो यह और भी प्रशंसनीय है । फिर देश के आयोजित आर्थिक विकास में मद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लेना बहुत ही महत्व की बात है ।

कृषि की समस्या बहुत गहन है । प्रयत्न करने से इस का उत्पादन तो बढ़ जाता है किन्तु मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हुए भी वे घटने लगते हैं । कारण यह कि समाज की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि इस में कुछ लोगों के पास अधिक धन और कुछ का आभावग्रस्त रहना स्वाभाविक है । अतः हमारी आयोजित अर्थ-व्यवस्था में मद्रास्फीति का संकट उपस्थित होना भी स्वाभाविक है ।

निर्वाह व्यय और मूल्य देशनांक देखने से पता लगता है कि १९४८—५३ में यहां मूल्यों में ज वृद्धि हुई वह इंगलैंड, कनाडा, फ्रांस आदि देशों की तुलना में बहुत कम है । इसी प्रकार १९५३—५७ में हमारे देश में मूल्य उक्त देशों की तुलना में कम गति से बढ़े थे । इस का अभिप्राय यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति अधिक स्थिर रही है ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

निस्संदेह अर्थ-व्यवस्था में कुछ त्रुटियां भी हैं किन्तु इतने विस्तृत देश में ये स्वभाविक हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिस में इतनी अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्यायें होंगी। अतः हमने जो भी सफलतायें प्राप्त की हैं वे प्रशंसनीय हैं।

हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि हम मूल्यों को स्थिर कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश की मुद्रास्फीति अन्य देशों की तुलना में भिन्न प्रकार की है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जहां तहां मुद्रा पर नियंत्रण किया जाये। इसी कारण रक्षित बैंक ने सभी अनुसूचित बैंकों को परिपत्र लिखा था कि वे ऐसे लोगों को ऋण न दें जो पैसे को सट्टे में लगाते हों क्योंकि उस व्यवसाय से किसी उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इस बात के लिये भी अनुरोध किया गया था कि ऐसी वस्तुओं के लिये पेशगियां न दी जायें जिन की कमी हो जाने की सम्भावना है। इस नियंत्रण का कपास, चीनी और कपड़ों के मूल्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

आयात नीति का भी बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है और सरकार ने निर्यात तथा आयात व्यापार के देश के लिये, हानिकारक असंतुलन को समाप्त कर दिया है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था में भारतीय बैंकिंग का विकास एक महत्वपूर्ण विकास है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है।

आयोजित अर्थ-व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भुगतान के कारण अनुसूचित बैंकों में निक्षेप बढ़ने की संभावना तो थी ही अतः १९५४-५५ में ये निक्षेप १८४ करोड़ रुपये तक बढ़ गये थे और १९५६ में २८० करोड़ पये तक बढ़ गये थे। परन्तु एक असंगत की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह यह है कि ये निक्षेप सुरक्षित प्रतिभूतियों में नहीं लगाये गये। इस का अभिप्राय यह है कि सरकार की नीति इतनी स्थिर नहीं कि वह निक्षेपकों को इस विनियोजन की ओर आकर्षित कर सके।

किन्तु सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में एक और बहुत आशाप्रद बात की और वह यह है कि ३½ प्रतिशत ब्याज पर ऋण लिया और सरकार जिनका ऋण लेना चाहती थी वह दो सप्ताह में ही उसे मिल गया। इस से पता लगता है कि सरकार की ऋण लेने की नीति बहुत अच्छी प्रमाणित होगी।

सरकार का छोटी बचत का आन्दोलन बहुत असफल हुआ है जिस का अभिप्राय है कि लोगों का इस में विश्वास नहीं और सरकार गंभीरता से इस आन्दोलन को नहीं चला रही। उन्हें इस आन्दोलन को छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि इस का सीधा प्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ता है।

इस आय-व्ययक में अधिक कर तो नहीं लगाये गये किन्तु इस से देश में नई वैज्ञानिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। द्वितीय योजना के लिये कर व्यवस्था योजना के दूसरे वर्ष में ही पूरी कर ली गई थी अतः अब लोगों को आगामी तीन वर्षों में अधिक करों की आशंका नहीं रहेगी जिस से लोगों में अधिक भरोसा पैदा होगा।

संसार को पता लग गया है कि यद्यपि लोगों ने, साम्यवादियों ने भी और गैर-सरकारी उद्योगपतियों ने भी गत वर्ष के कराधान का विरोध किया था किन्तु हम ने फिर भी प्रगतिशील कराधान को लागू किया था। अब उद्योगपतियों का यह भरोसा रहेगा कि करों में अधिक उथल पुथल नहीं होगी।

अन्त में पुनः यह कहना चाहती हूं कि सरकार को लोगों में नव विश्वास का संचार करना चाहिये। हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उनसे निराश नहीं होना चाहिये वरन् उनका मुकाबला करना चाहिये ।

†**श्री रामेश्वर राव** (महबूबनगर) : श्री अशोक मेहता ने सरकार की योजना, विकास और वित्त सम्बन्धी नीति को उचित कहा है और इस प्रकार हमारा भार कुछ हल्का कर दिया है ।

गत मई की आय-व्ययक प्रस्थापनाओं पर चर्चा करते हुए मैंने देश की आर्थिक स्थिति के बढ़ते हुए असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया था। आवश्यकता यह है कि कृषि तथा पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में एक संतुलन हो जिससे एक एकीकृत अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हो सके। किन्तु कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी परियोजनाओं पर समान बल नहीं दिया जा रहा जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों पर तथा अर्थव्यवस्था पर सख्त प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस असंतुलन को दूर करने के लिये निश्चित योजना की आवश्यकता है।

इस वर्ष के आय-व्ययक में कोई नई बात नहीं है। दान कर तो धन कर और व्यय कर के बाद स्वाभाविक ही था। अब कर और नहीं बढ़ाया जा सकता। उद्योगपतियों के पास उद्योगों में लगाने के लिये अधिक पूंजी भी नहीं रही अतः उद्योगों में पूंजी विनियोजन का भार सरकार पर है। विदेशी ऋण से समस्या पूर्णतः हल नहीं होगी। तो क्या सरकार एकाधिकार के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों के लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी? किन्तु इससे अर्थ केन्द्रीभूत हो जायगा जोकि अच्छा नहीं ।

मैं प्रत्यक्ष कराधान में कमी का सुझाव नहीं देता क्योंकि विकास के लिये अधिक पूंजी इसी से प्राप्त होगी। इस के अतिरिक्त कर वसूली की व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

कर वसूली की व्यवस्था की त्रुटियों को दूर कर देने से हमें काफी निधि मिल सकती है, विकास कार्यक्रम द्वारा जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के हाथ में अतिरिक्त क्रय शक्ति प्रदान की जा रही है उस को समुचित रूप में उपयोग में लाना होगा ।

यह दो प्रकार से हो सकता है या तो अप्रत्यक्ष कराधान से अथवा छोटी बचतों द्वारा। और अधिक अप्रत्यक्ष कर तो बहुत बोझ हो जायगा। छोटी बचत के साधन को अपनाया जा सकता है और वह भी केवल राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदि के रूप में नहीं बल्कि वह बचत औद्योगिक उपक्रमों में भी लगानी चाहिये। ऐसा राष्ट्रीकृत उपक्रमों में ही किया जा सकता है। सरकार को ऐसा साधन अपनाना चाहिये कि वह सरकारी समवायों में ६० प्रतिशत अंश पूंजी रखे तथा शेष लोगों से प्राप्त करे। ऐसे उपक्रमों और निगमों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहे और अंशधारी लोगों को भी डायरेक्टरों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाये। इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा तथा सरकार का आर्थिक भार कम होगा ।

भौगोलिक दृष्टि से भी योजना द्वारा देश का संतुलित विकास होना चाहिये। जो क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं उनका अधिक विकास किया जा रहा है किन्तु अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में आंध्र में कोई भी नया उद्योग नहीं खोला गया। दूसरे जिन देशों में इस प्रकार की असंतुलित योजना बनाई गई थी वे अब गलती को सुधार रहे हैं। अतः हमें पहले से ही ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये।

हमारे देश की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में इन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. हम आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का समर्थन करते हुए यह आशा करते हैं कि सरकार योजना में आवश्यक परिवर्तन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : २८ फरवरी को जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है उस-से जनसाधारण को बहुत शांति मिली है क्योंकि इस बार केवल दान कर लागू किया जा रहा है ।

इस कर के सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि इस का प्रभाव बहुत कम लोगों पर पड़ेगा ।

योजना की कार्यान्विति के लिये जो कर गत वर्ष लगाये गये हैं उनके बोझ से लोग बुरी तरह दबे हुए हैं । अतः यह देखना आवश्यक है कि क्या इस आय-व्ययक की सहायता से हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं अथवा नहीं और योजना की कार्यान्विति में हम कहां तक सफल हुए हैं ।

योजना के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न पैदा होता है कि उसकी कार्यान्विति के लिये हमारे पास संसाधन हैं अथवा नहीं । आय-व्ययक में इसके लिये ७३४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है किन्तु इस आय-व्ययक में कुल घाटा २८४ करोड़ रुपये का है । इस घाटे के कारण ये हैं कि छोटी बचत में २० करोड़ पये की कमी हुई है और विदेशी सहायता १५० करोड़ रुपये के अनुमान की बजाय केवल १०५ करोड़ पये की कमी है ।

विदेशी सहायता तो हमारे हाथ की बात नहीं परन्तु यह विचार करने की बात है कि छोटी बचत की क्या स्थिति है । 'एकनामिक रिव्यू' के १ मार्च १९५८ के अंक में कहा गया है कि इस वर्ष छोटी बचत से लक्ष्य का ५० प्रतिशत धन भी प्राप्त होने की आशा नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा । इस वर्ष का लक्ष्य १२५ करोड़ रुपये का है किन्तु यह लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं देता ।

इस निराशाजनक परिणाम का कारण यह है कि लोगों में विकास की भावना पैदा नहीं हुई । वे योजना को अपना नहीं समझते । हम ने प्रथम योजना और गत दो वर्षों में योजना कार्य में बहुत सफलता प्राप्त की है किन्तु क्या लोगों को पता है कि जहाज़ों का कारखाना बना है, इस्पात के कारखाने लगाये जा रहे हैं आदि । वस्तुतः दुर्भाग्य की बात है कि इस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है ।

बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सामुदायिक विकास कार्य में केवल सरकारी कर्मकारी काम कर रहे हैं और माननीय मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गैर-सरकारी लोगों को सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा । अतः आवश्यकता यह है कि लोगों को योजना के बारे में अधिकाधिक बताया जाये और उनमें उत्साह का संचार किया जाये जिससे वे कर को बोझ न समझें और बैंकों में अधिकाधिक धन जमा करें जिससे योजना को कार्यान्वित किया जा सके ।

उत्साह के अभाव का कारण यह है कि निर्वाह व्यय बहुत अधिक है । यह ठीक है कि मूल्यों का बढ़ना रोक दिया गया है और सरकार मूल्य कम रखने का प्रयत्न कर रही है किन्तु उसे स्थिर मूल्यों के बारे में अभी निश्चित ज्ञान नहीं है ।

इस समय गेहूं एक रुपये का दो सेर, चावल ३२ रुपये मन और चीनी एक रुपया सेर बिक रही है । ये मूल्य उचित नहीं हैं । हमें गत वर्ष की घटनाओं अर्थात् डाक तथा तार की हड़ताल के खतरे, रेलवे की हड़ताल के खतरे आदि से चेतावनी प्राप्त करनी चाहिये क्योंकि इनका मुख्य कारण अत्यधिक निर्वाहव्यय ही था ।

---

†मूल अंग्रजी में

यदि हम चाहते हैं कि लोग प्रसन्नता से तथा देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो कर दें और योजना कार्यान्वित हो तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि लोगों को उनकी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिले ।

दूसरे देशों से अनाज का आयात करना हमारे लिये अपमान का विषय है । माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं यदि हम में अनुशासन की भावना हो और हम सतर्क हों । यह सच है कि यदि राज्य इस सम्बन्ध मे सतर्क रहते तो हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा सकते थे और फिर हमें अनाज का आयात न करना पड़ता ।

मुझे यह देख कर दुःख हुआ है कि इस आय-व्ययक में सामुदायिक विकास के अनुदान में बहुत कम वृद्धि हुई है । सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में जो कि देश भर में फैले हुए हैं हमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये ।

इस आय-व्ययक में सामुदायिक विकास, अनुसूचित जातियों के कल्याण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अनुदान में केवल ३·८६ करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है जिसका अभिप्राय यह है कि सामुदायिक विकास को इसका केवल एक तिहाई भाग मिलेगा । सामुदायिक विकास के अन्तर्गत अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक और छोटी सिंचाई योजनाओं आदि की सहायता की व्यवस्था की जानी है जिसके लिये यह राशि अपर्याप्त है । इसी योजना के द्वारा तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है ।

यद्यपि योजना के सार की परिभाषा कर दी गई है किन्तु मेरे विचार में तो योजना का सार लोगों में विकास की भावना पैदा करना, उत्साह का संचार करना और उन्हें यह बताना ही है कि योजना की कार्यान्विति उन्ही पर निर्भर है ।

अन्त में, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिहांद योजना को योजना के मुख्य भाग में स्थान दिया है । इस रियायत के लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : आयव्ययक में यदि हम राजस्व की परीक्षा करें तो पता लगेगा कि लगभग सभी बड़े शीर्षों में कमी हो रही है । सीमाशुल्क १६ करोड़ रुपये कम हो गया है । जबकि हमने गत वर्ष ४०४ अधिक वस्तुओं पर शुल्क लगाया था । संघ उत्पादन शुल्क में ७ करोड़ रुपये, धनकर में ३ करोड़ रुपये, रेलवे किरायों पर कर में २·२ करोड़ रुपये तथा डाक और तार में १½ करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार पता लगता है कि हमें लगभग सभी मुख्य शीर्षों में कम आय ही हुई है । १९५७-५८ की आय के पुनरीक्षित प्राक्कलन ७२४ करोड़ रुपये थे और अब आयव्ययक में आय का अनुमान ७७० रुपये लगाया गया है, यानी ४६ करोड़ रुपये अधिक की आशा की गई है । परन्तु जब हमने इस वर्ष केवल ६ करोड़ रुपये के कर लगाये हैं तो मैं नहीं जानता कि यह ४६ करोड़ रुपये किस प्रकार उगाहे जायेंगे ।

माननीय प्रधान मंत्री ने घाटा २७ करोड़ रुपये बताया है । परन्तु मैं समझता हूं कि यह घाटा ७५ करोड़ से ८० करोड़ रुपये हो जायेगा और नवम्बर में अनुपूरक आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई इस समय यह है कि हम अपनी योजना को अब तक स्पष्टतया नहीं समझे हैं । हम नहीं जानते कि योजना के आवश्यक अंग क्या हैं । और हम इसी धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि योजना ४,८०० करोड़ रुपये की है । हम चालू वर्ष में लगभग १,०१७ करोड़ रुपये व्यय करना चाहते हैं जिसका अर्थ हुआ कि तीन वर्ष में केवल आधा लक्ष्य ही पूरा हो गया है और इसमें भी १,२०० करोड़ रुपये की कमी ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी म

[श्री नौशीर भरूचा]

मैं भी आशावादी हूं परन्तु मैं इस प्रकार का आशावादी नहीं हूं जिससे मूर्खता झलकने लगे। प्रधान मंत्री ने बताया कि बाज़ार से ऋण के द्वारा हमें १४५ करोड़ रुपये मिलेंगे। मुझे कोई तुक इसमें दिखाई नहीं दी क्योंकि जब हमें ८० करोड़ रुपये इन वर्षों में नहीं मिल पाये तो यह धनराशि किस प्रकार मिलेगी। हम विदेशी सहायता की आशा कर सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, आदि से हमें सहायता मिल रही है। परन्तु यह बहुत कम है।

विदेशी मुद्रा की हालत बड़ी खराब है। ३१ दिसम्बर को हमारे विदेशी मुद्रा संसाधन २९८ करोड़ रुपये थे परन्तु अब वह १० करोड़ से १५ करोड़ रुपये प्रतिमास कम होते जा रहे हैं जिसका अर्थ हुआ कि आज उनकी हालत २५० करोड़ रुपये के आस पास है।

पूंजीगत आयव्ययक के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम ४१२ करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बना रहे हैं और इसके साथ ३६२ करोड़ रुपये का ऋण राज्यों को दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ अन्य व्ययों को मिला कर हमें ८३५ करोड़ रुपया उगाहना है। परन्तु यदि आप विभिन्न साधनों से होने वाली आय का हिसाब लगायें तो पता लगेगा कि फिर भी लगभग ३५० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। हमारे सामने यही प्रश्न उठता है कि इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाये। प्रधान मंत्री ने बताया कि पिछले साल की कमी राजहुंडियों के द्वारा पूरी की गई थी और मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी इसका ही सहारा लिया जायेगा। हमें बताया गया है कि इस आयव्ययक वर्ष के अन्त में राजहुंडियों की कुल राशि १४०० करोड़ रुपये हो जायेगी। राजहुंडियों का प्रयोग आमतौर से राजस्व में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिये किया जाता है क्योंकि सरकार को रुपया नियमित रूप से तो मिलता नहीं है वह तो थोड़ा थोड़ा करके आता है जब कि खर्च लगातार करना होता है। इसलिये सरकार को बीच की कमी पूरी करने के लिये राजहुंडियों का सहारा लेना पड़ता है। राजहुंडियों का अर्थ यह है कि आप बैंकों से दो या तीन महीनों के लिये ऋण लेते हैं। अब यहां हम इन १४०० करोड़ रुपयों को दीर्घ-कालीन ऋण में परिवर्तित कर रहे हैं जो कि एक ग़लत चीज़ है और सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। आप साफ़ क्यों नहीं कहते कि योजना असफल हो रही है और रुपये की कमी पड़ रही है। यहीं घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न आता है। यह अनुचित रूप से घाटे की अर्थ व्यवस्था करना नहीं तो और क्या है?

अन्य सदस्यों के समान मेरा भी अपना यही सुझाव है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये हमें और अधिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। गत वर्ष हमने ५० करोड़ रुपये बढ़ाये थे और इस वर्ष और बढ़ा दिये गये हैं। परन्तु इससे क्या किया जा रहा है? इससे विमान खरीदे जा रहे हैं परन्तु कैसे यह हमें नहीं बताया जाता है। हम नहीं चाहते कि हमें वायुयानों की ठीक ठीक क़िस्म बताई जाये क्योंकि यह गोपनीय बातें हैं परन्तु हमें यह तो बताया जाये कि प्रतिरक्षा मंत्री ने हमारी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की है। इस ज़माने में युद्ध का रूप ही अब बदल गया है और यह विमान कुछ समय पश्चात् अजायबघर में रखने की वस्तु हो जायेंगे। अब दूरमारक अस्त्र, स्पूतनिक बन गये हैं और विमानरोधक तोपें आदि सब बेकार की चीज़ें मानी जाती हैं। क्योंकि दूरमारक अस्त्र को रोकने की कोई वस्तु अभी नहीं बनी है। इसलिए हमें अब इन पुरानी चीज़ों पर धन बरबाद नहीं करना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि इन ३०० करोड़ रुपयों को किस प्रकार व्यय किया जायगा। जिससे उस पर विचार किया जा सके।

एक बात खाद्यान्न नीति के बारे में कहूंगा। मैंने कहा है कि इस देश में १० लाख टन खाद्यान्न प्रति सप्ताह का खर्च है। मैं चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री बतायें कि आगामी छः मास में कितनी खपत का अनुमान लगाया गया है। और कितने उत्पादन की आशा है। कितनी मात्रा में अनाज का आयात होने की उम्मीद है और एक दिन में प्रति व्यक्ति कितने औंस खर्च होगा। हमें अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरीया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि मैं तो निराश सा हो करके लौट ही गया था।

महोदय, इस वर्ष श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, वित्त मंत्री के जाने के बाद और अर्थ मंत्री का काम प्रधान मंत्री के हाथों में आने के पश्चात् देश की जनता ने और पढ़े लिखे लोगों ने बहुत बड़ी आशा लगायी थी, और सोचा था कि इस वर्ष का बजट कुछ समाजवादी बजट होगा, मुल्क को कुछ नया मोड़ देगा और देश की जनता के अन्दर कुछ प्रेरणा उत्पन्न करेगा। लेकिन बजट देखने के पश्चात् आम जनता की प्रतिक्रिया यह हुई है, उस जनता की प्रतिक्रिया जो कि, टैक्सों के बोझे से दबी हुई है, कि अगर इस बजट को, घाटे के बजट के बजाये दिवालिया बजट कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो बजट कि लोक-सभा में पेश किया जाता है वह सारे मुल्क की जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, और उसी बजट से आगे के साल के लिए जनता कुछ सोचती है, कुछ अन्दाजा लगाती है और यह विचार करती है कि हमारे ऊपर आने वाली तक्लीफें कुछ कम होंगी, राहत की सांस मिलेगी, और हमारा जीवन स्तर कुछ ऊंचा होगा। लेकिन इन तमाम बातों में देश की जनता को निराश होना पड़ा है। यह निराशा कोई नई बात नहीं है क्योंकि यहां पर तो सरकारी पार्टी ने हमेशा बड़े बड़े स्लोगन दिये हैं। आज से कोई साल पहले मेरठ में कहा था कि हम क्लासलैस और कास्टलैस सोसाइटी बनायेंगे, यानी वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज की रचना करेंगे। लेकिन एक साल के बाद ही अपने पुराने संकल्प को ठुकरा करके एक दूसरा नारा दिया। वह यह था कि हम कोआपरेटिव कामनवैल्थ की तामीर करेंगे। साल पूरा भी नहीं होने पाया था कि वह संकल्प भी बदल दिया। ये संकल्प क्यों बदलते हैं ? सरकारी पार्टी हमेशा ही वक्ती नारे दिया करती है। वह जनता को ुमराह करने की कोशिश करती है। तो तीसरा नारा हुआ कि हम समाजवादी ढंग का समाज बनायेंगे। यानी सोशलिस्टिक पैटर्न का समाज बनायेंगे।

एक माननीय सदस्य : कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : कर रहे हैं यह तो श्रीमन् आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपके मारफत उन महोदय को यह बताना चहाता हूं कि समाजवादी ढंग का समाज निर्माण हो रहा है यह वे स्वयं चाहे इन अच्छे फ्लेटों में रह कर समझने लगे हों, लेकिन जहां से वे निर्वाचित होकर आये हैं क्या वहां की जनता भी यह अनुभव करती है कि उसके सामने समाजवादी समाज का स्वरूप आ रहा है ? आप किसी भी काम का अन्दाजा केवल अपने विचार से ही न लगायें बल्कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं.....

श्री म० प्र० मिश्र (बेगू सराय) : आप समाजवादी स्वरूप बताइये।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : समाजवादी स्वरूप भी आगे आ रहा है। मुल्क के और दुनिया के जितने भी तरक्की पसन्द या प्रगतिशील लोग होते हैं वे हमेशा पीछे से आगे को बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन यह प्रश्न पूछने वाले अन्धकार से प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, पीछे से हटकर आगे

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

की तरफ बढ़ेंगे, उसी दिन वह यह समझ लेंगे कि यही समाजवादी स्वरूप है और इसीसे देश का कल्याण हो सकता है। केवल बात करने से काम नहीं होगा यदि उस बात पर अमल भी न किया जाये। जब तक करनी और कथनी में भेद रहेगा, जब तक अपनी जीभ का आदर नहीं किया जायेगा, जब तक हम अपने संकल्पों पर दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक न हम नये मुल्क की तामीर कर सकेंगे और न हम अपने देश के अन्दर इस समाजवादी समाज को बसा सकेंगे।

श्रीमन्, मुझे सिर्फ यह कहना है कि मुल्क की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है यह किसी भाषण से नहीं बल्कि आपके सामने तुलनात्मक तथ्य रखकर बताऊंगा। उन तथ्यों से पता चलेगा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है। अगर हम अंग्रेजी काल के सन् १९३८ से ले कर सन् १९४७ तक के ज़माने को देखें तो हमको मालूम होगा कि इस काल में अंग्रेज़ ने क्या किया। सन् १९३८-३९ में युद्ध चल रहा था। आज भी देश की स्थिति युद्धकाल सरीखी है। देश की जनता उन्हीं मुसीबतों में दबी हुई है जिस तरह से किसी भी मुल्क में युद्ध के समय होता है। अंग्रेज़ ने युद्ध काल के अन्दर क्या किया? उसने चार अरब ६४ करोड़, ८९ लाख रुपया जो हमारे ऊपर विदेशी क़र्ज़ा था वह अदा किया और १५ अरब रुपया हमारा खुद का विदेशों में क़र्ज़े का इंगलैंड पर जमा हुआ। यानी १५ अरब रुपया कमाया और लगभग साढ़े चार अरब रुपया उसने अदा किया। लेकिन अब हमें यह देखना है कि सन् १९४८-४९ से सन् १९५७–५८ तक हमने क्या किया। अगर इस पर ग़ौर किया जाये तो मालूम पड़ता है कि जहां अंग्रेज़ ने ४ अरब ६४ करोड़ क़र्ज़ा अदा किया था वहां अब हमने अपने ऊपर उससे तो करोड़ और ज्यादा यानी ४ अरब और ६६ करोड़ क़र्ज़ा कर लिया है और जो हमारी स्टर्लिंग बैलेंस के रूप में संचित पूंजी थी वह लगभग सभी खर्च हो गयी है, केवल ७९ करोड़ को छोड़ कर। तो यह हालत है कि जो कुछ भी बचा हुआ था वह हमने खर्च किया। हम पर कोई क़र्ज़ा नहीं था सो हम पर क़र्ज़ा लद गया। तो कितनी तरक्की हुई? क्या इन्हीं तथ्यों को ले करके, क्या इसी भारी क़र्ज़ के बोझे को ले करके मुल्क को बनाने के लिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे? मैं आपको आंकड़े दूंगा कि हमारे ऊपर किस देश का कितना क़र्ज़ है। मैं बतलाऊंगा कि हमारे ऊपर कितना इंगलैंड का, कितना अमरीका का, कितना जापान का, कितना रूस का और कितना जरमनी आदि का कर्ज़ा है। आप अगर केन्द्रीय सरकार के बजट की ज्ञापन की पुस्तिका को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर ३७९ करोड़ का क़र्ज़ा डालर क्षेत्र का यानी अमरीका का है, ४५ करोड़ ९८ लाख रुपया रूबल क्षेत्र यानी रूस का है, ४४ करोड़ जरमनी का है, १५ करोड़ १३ लाख जापान वगैरह का है जो कि सब मिला कर ४६६ करोड़ ६९ लाख का योग होता है। इतने विदेशी कर्ज़ का बोझ हमारे सिर पर है। इसके अलावा देशी कर्ज़ा भी हमारे सिर पर है।

सन् १९४८-४९ में हमारे सिर पर सिर्फ २१ अरब रुपये का क़र्ज़ा था और वह अब बढ़ कर ५१,१८,३४,००,००० रुपये हो गया है। कहां २१ अरब और कहां ५१ अरब। इसका अर्थ यह है कि १९४८–४९ से आज तक हमारे सिर पर ३० अरब रुपये का क़र्ज़ा बढ़ गया है। हर साल हमारे सिर पर ३ अरब के क़रीब और ज्यादा कर्ज़ा बढता चला जा रहा है। इस कर्ज़े की राशि में कब तक इज़ाफा होता रहेगा?

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : जब तक विकास का काम जारी रहेगा।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : हमारी बात का क्रम तब तक जारी रहेगा, जब तक आप अपने अंधेरे से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। ३१ मार्च, १९५८ तक हमारी कुल देनदारी ४४,१६,००,००,००० रुपये की है और ३१ मार्च, १९५९ तक हमारी कुल देनदारी ५१,१८,३४,००,००० पये की हो जायगी । इस का मतलब यह है कि एक साल में हम को लगभग ७,०१,५०,००,००० की राशि और अदा करनी होगी--चाहे तो हम कर्ज लें, चाहे नये टैक्स लगायें । कहा जा रहा है कि इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है । नया टैक्स नहीं आया है, यह बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अर्थ मंत्री महोदय से कि अगर नया टैक्स नहीं लगा है, तो फिर ३१ मार्च, १९५९ को जो यह ७,०१,५०,००,००० रुपये की कमी होगी, यह कहां से पूरी की जायगी । क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट किया गया ? लेकिन स्पष्ट इस लिये नहीं होता है कि दो तरह की बजटिंग चलती है । अगर बजट का खलासा देखा जाये, तो मालूम होता है कि रेवेन्यू साइड के खर्चे को कम दिखाया जा रहा है और तमाम ऐसे खर्चे, जो कि रेवेन्यू साइड में जाने चाहिये, कैपिटल साइड में डाल दिये गये हैं । और इस सम्बन्ध में कहा यह जायगा कि ये तो हमारे असेट्स हैं, यह हमारी पूंजी है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो अशोक होटल बना हुआ है, क्या वह हमारी पंजी है । उससे क्या लाभ होता है ? उसमें तो घाटा होता है । इस तरह की जो पूंजी लगी हुई है, उससे मल्क का विकास नहीं हो रहा है, मुल्क की तरक्की नहीं हो रही है और न ही कोई ऐसा काम हो रहा है, जिससे कि देश की जनता के दिलों में कोई आशा का दिया जले । बल्कि निराशा बढ़ती चली जा रही है और जब किसी कौम में निराशा बढ़ती है, तो कोई काम कोरी बातों से नहीं हो सकता है ।

अब मैं द्वितीय पंच वर्षीय योजना को लेता हूं । उसके बारे में इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है और मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी बहुत कुछ कहा है। दूसरे की आलोचनायें यहां पर चलती हैं । अभी एक सदस्या ने कामरेड डांगे के बारे में कहा कि उन्होंने प्रोपेगेंडा-वैल्यु के लिये तकरीर की । लेकिन उन्हीं के एक दूसरे साथी यह कह रहे थे कि सदस्या महोदया ने जो कुछ कहा, वह सरकारी बेंचों के कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिये कहा--शायद आगे के लिये कुछ आशा ले कर उन्होंने वे बातें कहीं । यह तो दोनों तरफ़ से विरोध चल रहा है और दोनों के ऊपर कमेन्ट्री की जा सकती है, लेकिन रास्ता हमारा साफ होना चाहिये । हमें इन बातों को किसी दूसरे की आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से देखना है कि अपना मुल्क हमने बनाना है और द्वितीव पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है । हमारी योजना तभी कामयाब होगी, जब कि खर्चे में कमी की जायें और जो खर्चे होते हैं, उन पर सख्ती से निगाह रखी जाये ।

आज आप लोग भी अनुभव करते हैं और कहते भी हैं कि भ्रष्टाचार का सब से बड़ा सेन्टर पी० डब्ल्यु० डी० के अन्दर है । यानी जो कुछ भी भ्रष्टाचार खामोशी से होता है, उसे जाने दीजिए । उस के अलावा कहीं पर साढ़े चार फीसदी, कहीं पर साढ़े बारह फ़ीसदी खुले-आम अपना हक़--अपना अधिकार--समझ कर ठेकेदारों से लिया जाता है । अगर यह रक़म बचे, तो उसको मुल्क की तामीर के काम में लगाया जा सकाता है । हमारा जो प्लान एक करोड़ पये का है, उसमें से लाखों रुपया इसी तरह से चला जाता है । अगर यह रकम बचे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है । मुझे केवल इतना ही कहना है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की कामयाबी के लिये हमको अपने खर्चे में कमी करनी होगी और आमदनी के नये सोर्स ढूंढने होंगे और जो खर्चा हो रहा है, उस पर सख्ती से निगाह रखनी होगी । मेरी राय में तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब करने के लिये बाहर से हमें क़र्ज़ चाहे न मिले, लेकिन हमारे देश में हमारी जो खुद की पूंजी है, हमको उसे ढूंढना होगा । हमारी वह पूंजी चाय के बाग हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जायें । लाइफ इशोरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया है, लेकिन इस में तब तक सफलता नहीं हो सकती है, जब तक कि बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण न किया जायें । अगर बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हो, तो द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिये करोड़ों रुपये बचाये

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

जा सकते हैं, । जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हो, तब तक गल्ले की पैदावार को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है । क्यों ? बैंकों का करोड़ों सस्त आदेशों के बावजूद भी बड़े बड़े सरमायादारों को दिया जाता है, जो कि किसानों की मुसीबत के दिनों में गल्ला खरीद कर रख लेते हैं और उसकी जमा से वह फिर और तेज़ भावों पर बेच कर गरीबों को बिल्कुल ही मोहताज कर देते हैं। हमारा यह परामर्श है कि गल्ले की पैदावार को बढ़ाने के लिये और द्वितीय चवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । इसके साथ ही साथ हम लोगों को भी कुछ करना है, सरकार को भी कुछ करना है । मैं यह चाहता हूं कि यह जो अपर हाउस बना हुआ है, उसको समाप्त कर दिया जायें । आखिर उसका क्या इस्तैमाल है ? सब कुछ हम यहां पर पास कर देते हैं और फिर उस को वहां पर भेज देते हैं और वहां से लौट कर वह यहां पर आ जाता है । इससे क्या अन्तर पड़ता है ? जिन लोगों को आप बहुत काबिल समझते हैं, क्यों नहीं उन को यहां पर बलाया जाता है ? अगर उन की काबलियत की ज़रूरत है, तो जो वहां पर बैठे हुए हैं, वे यहां पर भी आ सकते हैं । मेरी राय में अपर हाउस का खात्मा कर देना चाहिये । सूबों में जो कमिश्नर रखे गये हैं, उनका भी कोई इस्तेमाल नहीं है । इस लिये उन को भी खत्म किया जाये । इस प्रकार से हम इस मुल्क में गरीबी के बावजूद भी अरबों रुपये बचा सकते हैं और मुल्क की तामीर करके, यहां की भुखमरी और गरीबी को दूर करके निराशा के दिनों में आशा का दीप जला सकते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (सिकन्दराबाद) : अब तक के सभी वक्ता यह बता चुके हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी संकटमय है । मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जनता यह जानने के लिये उत्सुक है कि हमारी आर्थिक नीति में क्या और क्यों खराबी आ गई है । प्रथम योजना की समाप्ति पर देश में बड़ा उत्साह था, आशा थी, और द्वितीय योजना के लिये अपेक्षित आत्मविश्वास था । परन्तु इस डेढ़ वर्ष में जो विकास हुआ है उससे जनता को बड़ी निराशा हुई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १२ मार्च १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ११ मार्च १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२०२५–५१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८३७	खेसारी दाल	२०२५–२७
८३८	बड़ी सिंचाई योजनायें	२०२७–२८
८४१	अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति	२०२८–२९
८४२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	२०२९–३०
८४४	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	२०३०–३१
८४५	'टेल्को' में बने इंजन	२०३१–३४
८४८	पोत निर्माण उद्योग	२०३४–३६
८५०	भाखड़ा-नंगल परियोजना	२०३६
८५१	रेलवे की भोजन व्यवस्था	२०३६–३८
८५२	बिजली की रेलें	२०३८
८५३	उड़ान प्रशिक्षक (फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स)	२०३९–४०
८५५	दिल्ली में फसल का नुकसान	२०४०–४१
८५७	काश्मीर मेल	२०४१
८५९	त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजना	२०४२
८६१	रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियां	२०४२–४३
८६२	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी	२०४४–४५
८६३	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण को विमानों द्वारा जाने वाला माल	२०४५–४६
८६४	चीनी का निर्यात	२०४६–४८
८६५	कोजिकोडे में हवाई अड्डा	२०४९
८६६	रेलवे के माल-डिब्बों का सम्भरण	२०४९–५०
८६७	रेलवे के माल-डिब्बों की कमी	२०५०–५१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२०५१–८३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८३९	भारतीय वाणिज्यपोत वर्ग	२०५१
८४०	व्यापार पोत	२०५१–५२
८४३	चावल का आसंचयन	२०५२
८४६	पश्चिमी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनायें	२०५२

380 L.S.D.—6A.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८४७	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	२०५३
८४९	फल उत्पादन	२०५३
८५४	त्रिपुरा के देहातों में डाक सम्बन्धी सुविधायें	२०५३
८५६	बकिंघम नहर	२०५४
८५८	कृषकों द्वारा पर्यटन	२०५४
८६०	आन्ध्र में चावल का उत्पादन	२०५४
८६८	बिहार के हजारी बाग जिले में भूख से मौतें	२०५४-५५
८६९	फोर्ड प्रतिष्ठान	२०५५
८७१	रांची में मेडिकल कालिज	२०५५
८७२	नागार्जुनसागर बांध	२०५५-५६
८७३	राज्यों में सिंचित क्षेत्र	२०५६-५७
८७४	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें	२०५७
८७५	त्रिपुरा में कपास का उत्पादन	२०५७
८७६	दिल्ली में बिजली के दर	२०५७-५८
८७७	त्रिपुरा में चावल का पकड़ा जाना	२०५८
८७८	मध्य रेलवे में लूट की घटना	२०५८-५९
८७९	ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें	२०५९
८८०	उर्वरक	२०५९
८८१	वणिक पोत नाविक स्कूल, कोचीन	२०६०
८८२	नागाजुनसागर परियोजना क्षेत्र में अस्पताल	२०६०
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
११२७	वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन	२०६०
११२८	डाक तथा तार घर, कोटा	२०६१
११२९	उत्तर प्रदेश में घनी खेती	२०६१
११३०	हिमाचल प्रदेश को उर्वरक का संभरण	२०६१
११३१	रेलवे संरक्षण बल	२०६२
११३२	रेलवे संरक्षण बल	२०६२
११३३	आन्ध्र में नदियों के ऊपर पुल	२०६२-६३
११३४	आन्ध्र प्रदेश के देहातों में जल संभरण योजनायें	२०६३
११३५	उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल	२०६३-६४
११३६	वन्य पशुओं का परिक्षण	२०६४
११३७	डाक तथा तार विभाग	२०६४
११३८	राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन	२०६४-६५
११३९	इरूगूर हाल्ट-स्टेशन	२०६५
११४०	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के निवृत्ति-प्राप्त कर्मचारी	२०६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

११४१ बम्बई के मीन क्षेत्र का विकास २०६५–६६
११४२ बम्बई राज्य को परिवार आयोजन केन्द्र २०६६
११४३ टेलीफोन निर्देशिकायें २०६६
११४४ मलेरिया निरोधी योजना २०६६–६७
११४५ पंजाब में सहकारी खेती २०६७
११४६ यमुना पर रेलवे का पुल २०६७
११४७ बच्चों में आहारपुष्टि की कमी का सर्वेक्षण २०६७–६८
११४८ ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति २०६८
११४९ रेलवे की आय २०६८
११५० जम्म् और काश्मीर म सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा २०६९
११५१ काश्मीर को केन्द्रीय सहायता २०६९
११५२ डी-लक्स रेलगाड़ियां २०६९–७०
११५३ नौवहन २०७०
११५४ रेलवे दुर्घटना २०७०
११५५ पश्चिम रेलवे का गुड्स यार्ड २०७१
११५६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड २०७१
११५७ उत्तर प्रदेश में अधिक अन्न उपजाओ योजनायें २०७१–७२
११५८ उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें २०७२–७३
११५९ 'स्वस्थ हिन्द' २०७३
११६० फ्रीज ड्राइंग मशीनें २०७३–७४
११६१ भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर, इत्यादि २०७४
११६२ गण्डक परियोजना २०७४
११६३ सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी २०७४
११६४ रेलवे सम्बन्धी कागजात का गुम होना २०७४–७५
११६५ हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर २०७५
११६६ हिमाचल प्रदेश में पंचायतें २०७५
११६७ पंजाब में सहकारिता आन्दोलन २०७५–७६
११६८ देवरिया और गोरखपुर में चीनी मिलें २०७६–७७
११६९ आन्ध्र में भूमि संरक्षण २०७७
११७० आन्ध्र में भाण्डागार २०७७–७८
११७१ आयात किया गया खाद्यान्न २०७८
११७२ दरवली रेलवे स्टेशन २०७८
११७३ मृगवन २०७८–७९
११७४ राष्ट्रीय राजपथ संख्या १० पर पुल २०७९
११७५ दण्डकारण्य को रेलवे लाइन २०७९
११७६ त्रिपुरा में मछलियों का संभरण २०८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११७७	रेलवे वायरलेस आपरेटर	२०८०
११७८	हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट पालन केन्द्र	२०८१
११७९	वातानुकूलित रेल गाड़ियां	२०८१
११८०	सपलकोट रेलवे स्टेशन	२०८१
११८१	चामाराजनगर--सत्यमंगलम रेलमार्ग	२०८१-८२
११८२	डाकखानों में गबन	२०८२
११८३	दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस	२०८२-८३
११८४	पंजाब में वन विकास	२०८३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		२०८३-८४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली, दिल्ली गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ० १२ (१५४)/५६-एम० टी० एन्ड सी० ई० होम, दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ ।

(दो) मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली, दिल्ली गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ० १२ ३८ /५७/एम० एन्ड पी० जी०/होम, दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ ।

(तीन) त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली त्रिपुरा गजट में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या एफ० ४(६४)—एम० वी०/५७, दिनांक २० सितम्बर, १९५७ ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) पश्चिमी बंगाल चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली एस० आर० ओ० संख्या ४७०, दिनांक ८ फरवरी, १९५८ ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या ५००, दिनांक ६ फरवरी, १९५८ जिसमें चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(तीन) चावल (रेल द्वारा भेजने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या १, दिनांक १० फरवरी, १९५८ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(चार) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या १८, दिनांक १३ फरवरी, १९५८।

(पांच) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ७६, दिनांक २६ फरवरी, १९५८।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २०८४

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक पुरस्थापित किया गया।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २०८४-८५

बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित २०८५-८७

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा २०८८-२११२

आय-व्ययक (सामान्य) १९५८-५९ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, १२ मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्ययक १९५८-५९ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा।